छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष : 2012 – 13

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2012–2013

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2012–13'' **नामक प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन का यह तेरहवॉ अंक है।**

इस प्रकाशन के दो भाग है। प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है। भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकाशन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम उनके आभारी है। संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

आशा है, प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान सामाजार्थिक स्थिति एवं विकास की गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा। प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहर्ष स्वागत है।

रायपुर,
दिनांक : फरवरी, 2013

(अमिताभ पाण्डा)
आयुक्त, सह–संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकाशन तैयार करने में सहयोगी अधिकारी/कर्मचारी

क्र.	नाम	पदनाम
1.	श्री रोशन लाल साहू	अपर संचालक
2.	श्री यू. सी. ओगरे	संयुक्त संचालक
3.	श्री जे. आर. मधुकर	सहायक संचालक
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी
5.	श्री विजेन्द्र पाल सिंह	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी
6.	श्री हर्ष नारायण मिश्रा	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर

भाग–एक

आर्थिक विवेचना

–:: विषय सूची ::–

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	**आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा**	**1-4**
2	**राज्यीय आय**	**5-8**
3	**कृषि**	**9-21**
4	**भाव स्थिति**	**22-26**
5.	**पशुपालन एवं डेयरी विकास**	**27-30**
6.	**मत्स्य विकास**	**31-33**
7.	**वानिकी**	**34-41**
8.	**जल संसाधन**	**42-48**
9.	**विद्युत उर्जा**	**49-59**
10.	**उद्योग**	**60-76**
11.	**खनिज**	**77-79**
12	**परिवहन सुविधायें**	**80-82**
13.	**श्रम एवं रोजगार**	**83-89**
14	**सामाजिक सेवायें**	**90-121**
15.	**सहकारिता**	**122**
16.	**बचत एवं विनियोजन**	**123-127**
17.	**संस्कृति एवं पर्यटन**	**128-134**
18.	**नगरीय निकाय**	**135-141**
19.	**पंचवर्षीय योजना**	**142-150**

अध्याय–1

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

वर्ष 2010–2011 में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रू. 11797830 लाख था, जिसमें 18.25 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2011–12 में यह रू.13951495 लाख अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, 2010–11 की तुलना में, वर्ष 2011–12 में 16.09 प्रति ात, द्वितीयक क्षेत्र में 18.02 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 20.20 प्रतिशत अनुमानित है।

इसी प्रकार स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2010–11 में सकल घरेलू उत्पाद रू.7829688 लाख था, जो 8.14 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2011–12 में रू. 8467358 लाख अनुमानित है। क्षेत्रवार वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 3.87 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 9.09 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 10.72 प्रतिशत अनुमानित है।

बाक्स नं–1.1

प्रगति की संभावनायें

- कृषि क्षेत्र में प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2011–12 में 2882578 लाख रूपये की तुलना में वर्ष 2012–13 में 3196563 लाख रूपये संभावित है।
- यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष 2011–12 के 5656810 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 6425180 लाख रूपये होने की संभावना है।
- अनुमान किया गया है कि वर्ष 2011–12 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर लगभग 14.82 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष 2012–13 में 16018771 लाख रूपये होने की संभावना है तथा स्थिर भावों (वर्श 2004–05) पर 8.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्श 2011–12 के 8467358 लाख रू. की तुलना में 9193330 लाख रूपये संभावित हैं। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति (निवल राज्य घरेलू उत्पाद) 2011–12 में रू. 46743 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में रू. 52689 होने की संभावना है।

2 वर्ष 2011-12 में 6,886.07 हजार मी.टन खरीफ एवं 1,861.79 हजार मी.टन रबी फसलों का उत्पादन हुआ। खरीफ फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि रबी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3. वर्ष 2011-12 में वेट (प्रान्तीय) कर संग्रहण लक्ष्य 5,274.14 करोड़ रू. के विरूद्ध मार्च 2012 तक 5,269.97 करोड़ रू प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का 99.92 प्रतिशत है। वर्ष 2012-13 में वेट (प्रान्तीय) कर हेतु 6,313.00 करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध माह सितंबर 2012 तक 2,454.64 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं। वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य 765.31 करोड़ रू. के विरूद्ध 798.45 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का 104.40 प्रतिशत है। इसका कारण अंतर्राज्यीय बिक्री बढ़ना है, जिससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय विक्रय कर हेतु 897.00 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर 2012 तक 365.69 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। वर्ष 2011-12 में प्रवेश कर के 700.00 करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध 825.67 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का 117.95 प्रतिशत है। वर्ष 2012-13 में प्रवेश कर के अंतर्गत 950.00 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2012 तक 412.73 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। वर्ष 2011-12 में वृत्तिकर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 3.12 करोड़ रू. के विरूद्ध 7.80 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि लक्ष्य का 250.00 प्रतिशत है। वर्ष 2012-13 में वृत्ति कर के अंतर्गत लक्ष्य 1.12 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2012 तक 0.70 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2011-12 में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य 2.30 करोड़ रू. के विरूद्ध 3.27 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ जो कि निर्धारित लक्ष्य का 142.17 % है। वर्ष 2012-13 में होटल कर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 2.65 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2012 तक 0.96 करोड़ रू. की राजस्व वसूली हो चुकी है।

4. वर्ष 2011–12 में महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि रू. 2492.95 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 2046.10 करोड़ व्यय कर कुल 1200.17 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। योजना में मांग के आधार पर 26.57 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। वर्ष 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि रू. 1419.71 करोड़ के विरूद्ध रू. 995.06 करोड़ व्यय कर

590.01 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर कुल 17.52 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

5. दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2011-2012 में 5.13 मिलियन टन हॉट मेटल, 4.90 मिलियन टन क्रूड स्टील, 4.29 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, इन उत्पादों की लक्षित क्षमता से क्रमशः 9.1, 24.9 एवं 36.2 प्रतिशत अधिक है। संयत्र ने वर्ष 2011-2012 में रू. 2,714.75 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष 2011-2012 में भारत एल्युमीनियम कम्पनी, कोरबा द्वारा 8671 मी. टन इग्नाईट एवं 167826 मी. टन प्रॉपजी राड्स तथा 69157 मी. टन रोल्ड का उत्पादन किया गया। वर्ष 2012–13 में सितम्बर 2012 तक 2785 मी. टन इग्नाईट, 90343 मी. टन प्रॉपजी रॉड तथा 29736 मी. टन. रोल्ड का उत्पादन हुआ है।

6. वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 12982.778 मिलियन यूनिट (तापीय 12636.65 मिलियन यूनिट, जलीय 343.780 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 2.3497 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 1074.92 मिलियन यूनिट कम है अर्थात 7.65% की विद्युत उत्पादन में कमी हुई है। गत वर्ष कुल विद्युत उत्पादन 14057.698 मिलियन यूनिट हुआ था। मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 12 वर्षों में दिसम्बर, 2012 के अंत तक, बढ़कर 1924.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 1780 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

7. वर्ष 2011-12 के अंत की स्थिति में 19196 ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2011-12 में कुल 07 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से मंडल द्वारा एवं 14 ग्रामों का विद्युतीकरण वितरण कंपनी द्वारा तथा 14 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में कुल 35 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 97.22 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011-12 तक प्रदेश में कुल 313047 पंपों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 288104 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया।

8. प्रदेश में न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष 2011 में जन्म दर 24.9 और मृत्यु दर 7.9 तथा शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार आंकी गई है। न्यादर्श पंजीयन प्रणाली के वर्ष

2011 को आधार माने तो राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011 में प्रावधिक रूप से जन्म पंजीयन का स्तर 68.88 % एवं मृत्यु पंजीयन का स्तर 74.56 तथा शिशु मृत्यु का स्तर 16.92 % निर्धारित होता है। स्थानीय स्तर पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाना के स्थान पर 01 जनवरी 2008 से, पंचायत/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में यह कार्य नगरीय निकायों द्वारा पूर्ववत जारी है।

9. वर्ष 2011-12 में प्राथ. शाला 193, माध्य. शाला 140, हाई स्कूल 1136, उच्च. मा. शाला 101 इस प्रकार कुल 1570 शालाएं प्रारंभ की गई हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 181 शासकीय, 222 अशासकीय अनुदान रहित एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 109748 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 20095 सामान्य, 15813 अनुसूचित जाति तथा 24030 अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 49810 छात्र/छात्राऐं अन्य पिछड़ावर्ग की हैं।

10. राज्य में वर्ष 2012-13 की स्थिति में 50 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 19590 विद्यार्थियों की है। राज्य में 23 पालिटेक्निक संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 3820 विद्यार्थियों की है। इसके साथ 24 एम.बी.ए, 01 आर्किटेक्चर एवं 10 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाऐं हैं।

11. दिनॉक 01-04-2012 की स्थिति में चिन्हित 72329 बसाहटों में से 8815 बसाहटें पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित पाई गईं, जिनमें आयरन युक्त 8339 बसाहटें, सेलेनिटी युक्त 163 बसाहटें एवं फ्लोराइड युक्त 313 बसाहटें पाई गई हैं। वर्ष 2012–13 में 4810 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

राज्य के ऐसे ग्राम/बसाहटें जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है वहॉ के लिए सौर ऊर्जा से चलित पंपों पर आधारित योजना कियान्वित की जा रही है। अब तक प्रदेश में 265 सौर ऊर्जा से चलित पंपों आधारित योजना कियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अध्याय– 2

राज्यीय आय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2010–11 में 11797830 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें 18.25% की वृद्धि होकर वर्ष 2011–12 के त्वरित अनुमान 13951495 लाख रू. आंकलित किये गये। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2008–09	2009–10	2010–11 (प्रा.)	2011–12 (त्व.)	गत वर्श सें 2011–12 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	2935858	2933936	3656970	4245541	16.09
2	द्वितीयक क्षेत्र	3563811	3353256	3638147	4293847	18.02
3	तृतीयक क्षेत्र	3197549	3649234	4502713	5412107	20.20
	सकल रा.घ.उ.	**9697218**	**9936426**	**11797830**	**13951495**	**18.25**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	40237	40557	47191	54712	15.94

स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010–11 में 7829688 लाख रू. अनुमानित किया गया हैं। जिसमें 8.14% की वृद्धि होकर वर्ष 2011–12 में यह 8467358 लाख रू. आंकलित किया गया हैं।

स्थिर (2004–2005) भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2008–09	2009–10	2010–11 (प्रा.)	2011–12 (त्व.)	गत वर्श सें 2011–12 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1918721	2036746	2353804	2444961	3.87
2	द्वितीयक क्षेत्र	2581614	2471163	2488095	2714336	9.09
3	तृतीयक क्षेत्र	2397876	2626353	2987789	3308061	10.72
	सकल रा.घ.उ.	**6898211**	**7134262**	**7829688**	**8467358**	**8.14**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	28623	29119	31319	33205	6.02

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2011–12 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वितरण क्रमशः 30.43, 30.78 एवं 38.79 रहा जबकि इसी अवधि में स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर उपरोक्त क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण क्रमशः 28.88, 32.05 तथा 39.07 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2010–11 (प्रा.)		2011–12(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	31.00	30.06	30.43	28.88
द्वितीयक क्षेत्र	30.84	31.78	30.78	32.05
तृतीयक क्षेत्र	38.16	38.16	38.79	39.07
सकल रा.घ.उ.	100.00	100.00	100.00	100.00

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान.

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2010–11 में 10041568 लाख रू. अनुमानित है, जिसमें 18.70% की वृद्धि होकर वर्ष 2011–12 के त्वरित अनुमान 11919581 लाख रू. आंकलित किये गये। प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2010–11 में 40166 रू. एवं वर्ष 2011–12 में 46743 रू. अनुमानित हैं। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2008–09	2009–10	2010–11 (प्रा.)	2011–12 (त्व.)	गत वर्ष से 2011–12 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	2565638	2564277	3266428	3772656	15.50
2	द्वितीयक क्षेत्र	2739679	2467164	2571779	3076541	19.63
3	तृतीयक क्षेत्र	2975555	3388145	4203361	5070384	20.63
शुद्ध रा.घ.उ.		**8280872**	**8419586**	**10041568**	**11919581**	**18.70**
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रू.में)		34360	34366	40166	46743	16.37

स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2010–11 में 6446967 लाख रू. अनुमानित किया गया जिसमें 6.71% की वृद्धि होकर वर्ष 2011–12 में यह 6879640 लाख रू. अनुमानित किया गया है। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

स्थिर (2004–2005) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख़ रू. में)

क्र		2008–09	2009–10	2010–11 (प्रा.)	2011–12 (त्व.)	गत वर्श सें 2011–12 में %वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1635977	1754095	2026930	2065126	1.88
2	द्वितीयक क्षेत्र	1909990	1746667	1651678	1747275	5.79
3	तृतीयक क्षेत्र	2220207	2425566	2768359	3067239	10.80
शुद्ध रा.घ.उ.		**5766174**	**5926328**	**6446967**	**6879640**	**6.71**
प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)		23926	24189	25788	26979	4.62

छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का स्थिर भावों के आधार पर वर्ष 2011–12 में प्रति ात वितरण प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 30.02, 25.40 एवं 44.58 रहा जबकि इसी वर्ष में प्रचलित भावों के आधार पर यह प्रतिशत क्रमशः 31.65, 25.81 तथा 42.54 है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2010–11 (प्रा.)		2011–12(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	32.53	31.44	31.65	30.02
द्वितीयक क्षेत्र	25.61	25.62	25.81	25.40
तृतीयक क्षेत्र	41.86	42.94	42.54	44.58
शुद्ध रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

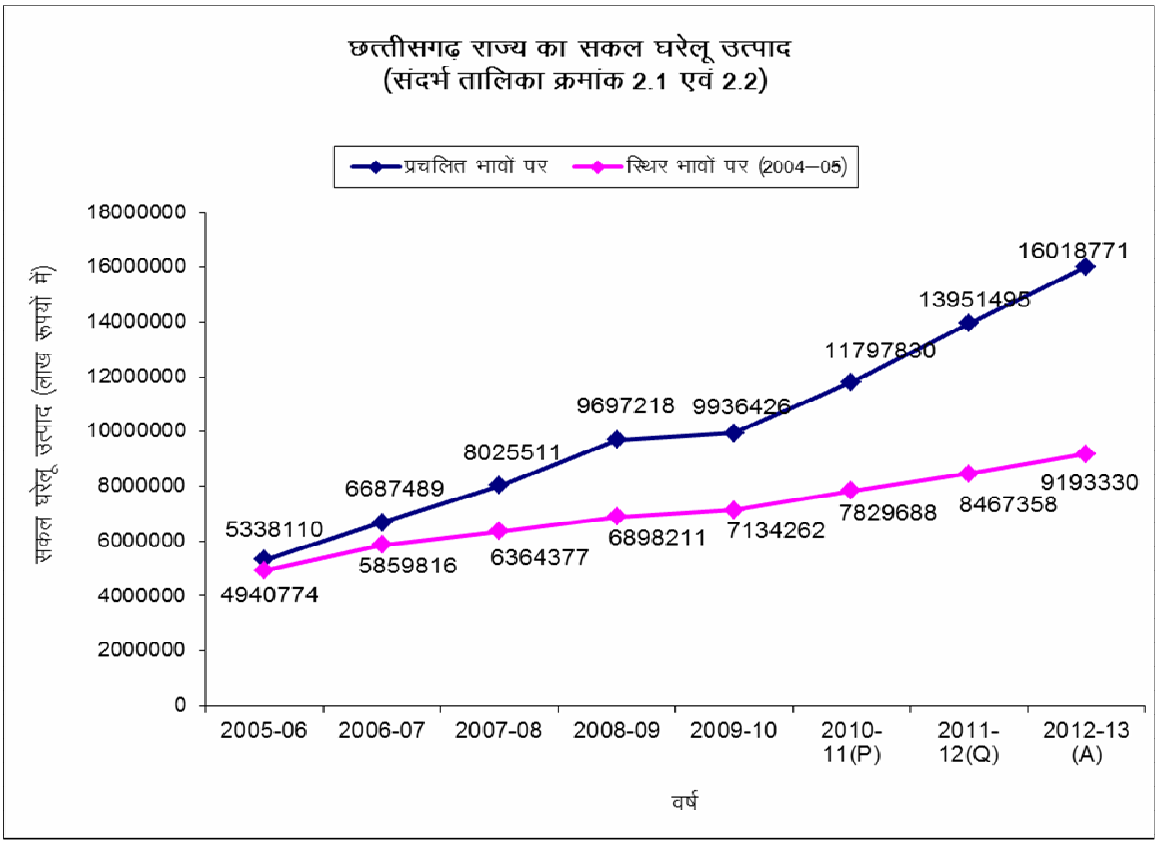

छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.1 एवं 2.2)
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर (2004–05)
सकल घरेलू उत्पाद (लाख रूपयों में)
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
5338110
6687489
8025511
9697218
9936426
11797830
13951495
16018771
4940774
5859816
6364377
6898211
7134262
7829688
8467358
9193330
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11(P)
2011-12(Q)
2012-13 (A)
वर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.3 एवं 2.4)
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर(2004–05)
प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
18530
24800
29385
34360
34366
40166
46743
52689
20117
21580
22929
23926
24189
25788
26979
28666
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11(P)
2011-12(Q)
2012-13(A)
वर्ष

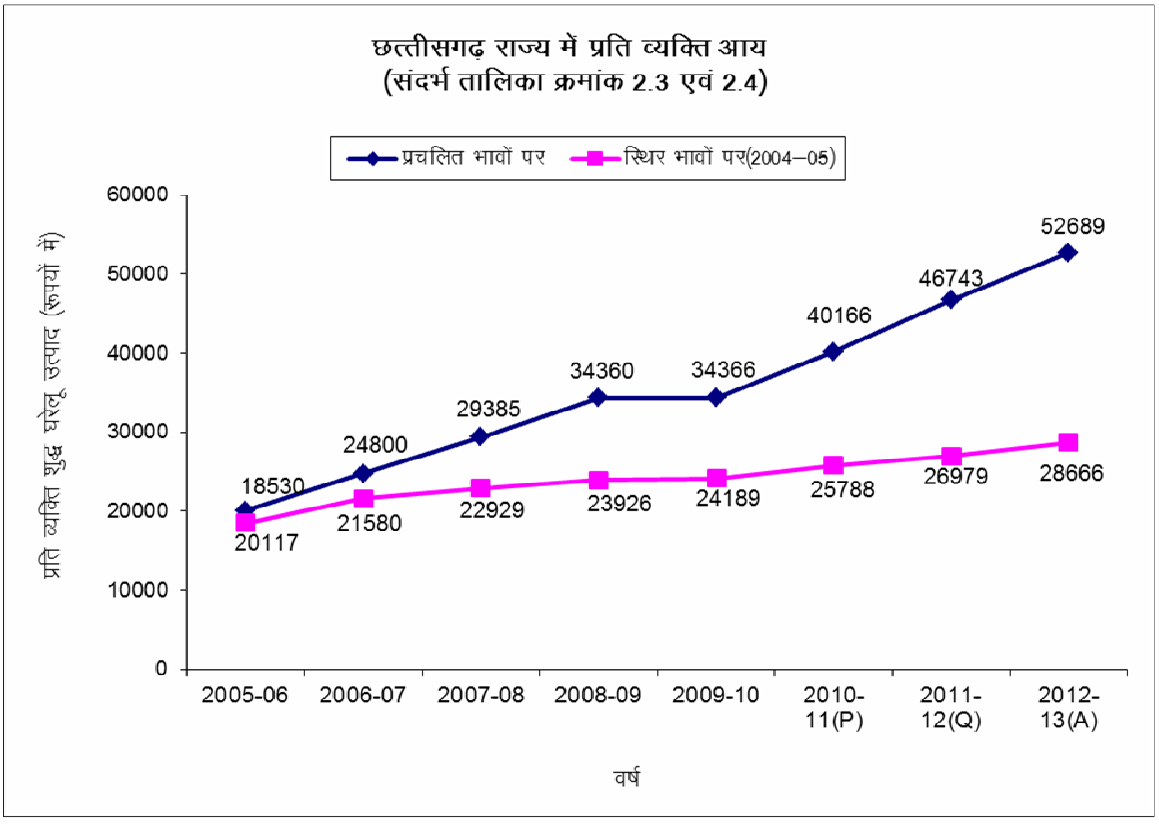

अध्याय–3

कृषि

छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 80% जनसंख्या का जीवन–यापन कृषि पर आश्रित है। प्रदेश के 32.55 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, वर्तमान में प्रदेश में सभी स्त्रोतों से लगभग 29% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध सिंचाई में से सर्वाधिक 66% क्षेत्र सिंचाई जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है। प्रदेश की लगभग 55% कास्तभूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं होता।

राज्य गठन के पश्चात कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में बढ़ोत्तरी हुई है तथा राज्य शासन द्वारा कृषकों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

फसल उत्पादन (खरीफ)

(इकाई – हजार मे. टन)

क्र.	फसल	2010–11	2011–12	वृद्धि/कमी %	2012–13 लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धान	6159.21	6095.45	-1	6479.99
2	मक्का	324.65	322.07	-1	342.16
3	अरहर	85.74	85.64	0	99.00
4	मूँग	9.67	8.56	-11	9.88
5	उड़द	73.51	77.27	5	81.94
6	मूँगफली	79.09	68.29	-14	81.00
7	सोयाबीन	174.35	137.35	-21	190.00
8	रामतिल	28.09	25.18	-10	25.76
	महायोग खरीफ	6934.31	6819.81	-2	7309.73

फसल उत्पादन (रबी)

(इकाई – हजार मे. टन)

क्र.	फसल	2010–11	2011–12	वृद्धि/कमी %	2012–13 लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गेहूँ	215.91	233.50	8	252.98
2	मक्का	34.29	50.18	46	57.75
3	धान	640.52	668.23	4	691.13
4	चना	341.26	369.40	8	410.40
5	मटर	25.30	26.45	5	29.12
6	तिवड़ा	231.19	238.40	3	257.18
7	राई सरसों	81.96	84.90	4	90.68
8	अलसी	33.35	33.74	1	35.25
	महायोग रबी	1603.78	1704.8	6	1824.49

प्रमुख फसलों का उत्पादन
(हजार मीट्रिक टन)
(संदर्भ तालिका 3.2)

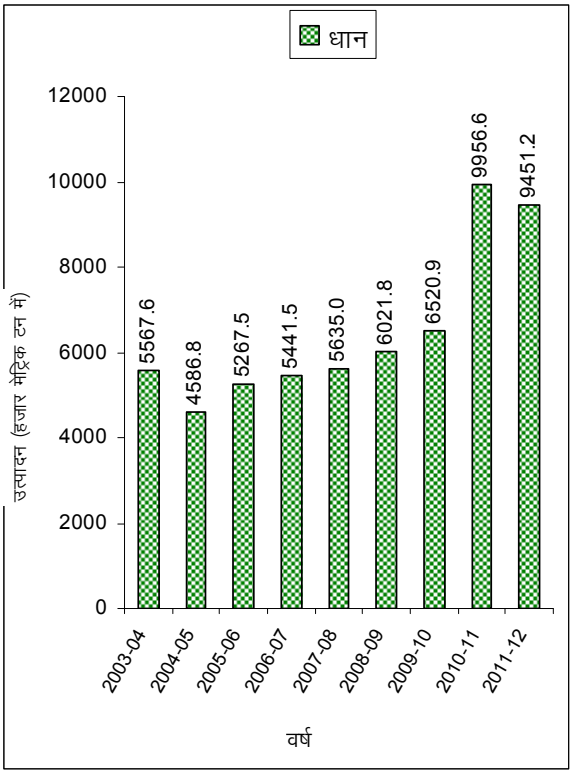

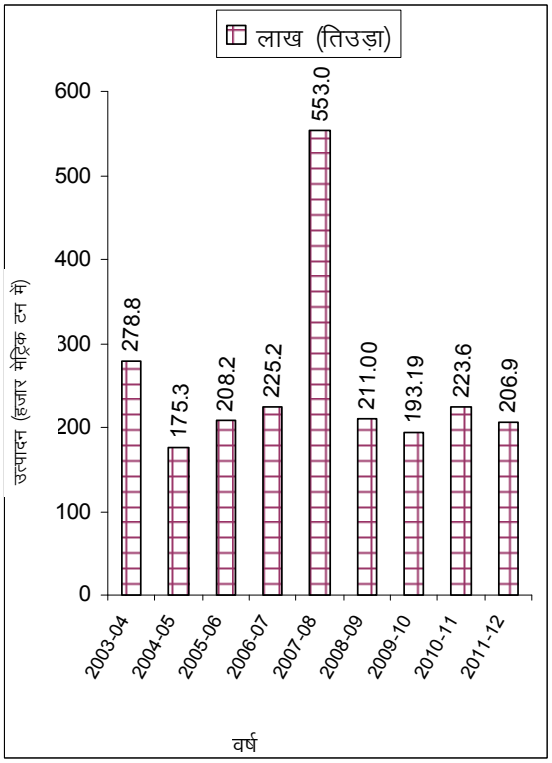

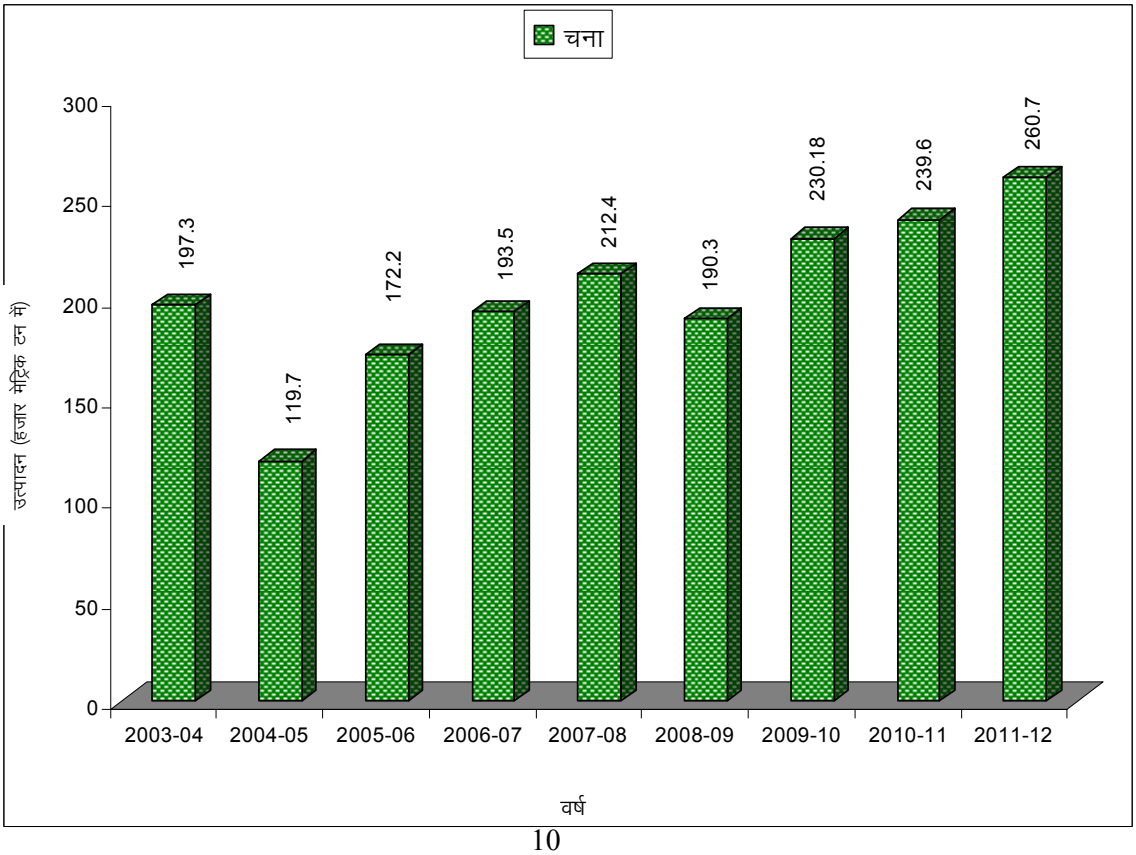

आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

फसलों के उत्पादन में उच्च गुणवत्तायुक्त बीज एक महत्वपूर्ण कृषि आदान है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य पोषित अक्तीबीज संवर्धन योजना, केन्द्र प्रवर्तित मेक्रो मैनेजमेंट वर्कप्लान अंतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम धान एवं गेहूँ, आइसोपाम योजनांतर्गत तिलहन एवं मक्का विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन क्रियान्वित की जा रही है। जिसके फलस्वरूप बीज घटक में निम्नानुसार प्रगति हुई है।

क्र.	विवरण	इकाई	2010–11	2011–12	वृद्धि %	2012–13 खरीफ की पूर्ति एवं रबी का कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बीज उत्पादन कार्यक्रम					
	खरीफ	हे.	35471	37084	5	42290
	रबी	हे.	13558	14463	7	13179
	योग (खरीफ + रबी)		**49029**	**51547**	**5**	**55469**
2	प्रमाणित बीज उत्पादन					
	खरीफ	क्वि.	438850	660000	50	700000
	रबी	क्वि.	92950	110000	18	125000
	योग (खरीफ + रबी)		**531800**	**770000**	**45**	**825000**
3	प्रमाणित बीज वितरण					
	खरीफ	क्वि.	488988	590290	21	631696
	रबी	क्वि.	95176	102819	8	130000
	योग (खरीफ + रबी)		**584164**	**693109**	**19**	**761696**

सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार

कृषि विकास में सिंचाई साधन का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना 2005-06 से प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। योजनाओं की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार है :–

योजना का नाम	इकाई	2010-11	2011-12	2012–13	
				लक्ष्य	पूर्ति (अक्टू.)
शाकम्भरी					
कूप	संख्या	428	376	640	119
पंप	संख्या	12244	20142	21000	11443
लघु सिंचाई नलकूप	संख्या	4178	4555	7000	650
किसान समृद्धि नलकूप	संख्या	1796	1912		
योग नलकूप	संख्या	5974	6467	7000	650
लघुत्तम सिंचाई तालाब	संख्या	216	135	212	104
सूक्ष्म सिंचाई योजना (गैर उद्यानिकी) स्प्रिंकलर	हे.	12918	13003	8750	458

उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण

कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरता क्षमता वृद्धि हेतु आदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (मे. टन)				प्रति हे. उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
2010-11								
खरीफ	247273	132841	57267	437381	52	28	12	92
रबी	74719	38345	11720	124784	43	22	7	72
योग	321992	171186	68987	562165				
2011-12								
खरीफ	242747	114002	31810	388559	51	24	7	82
रबी	113651	63334	30029	207014	67	37	18	122
योग	356398	177336	61839	595573				
2012-13								
खरीफपूर्ति	287034	163525	71663	522221	60	34	15	109
रबी लक्ष्य	129090	73350	31270	233710	70	40	17	126
योग	416124	236875	102933	755931				

वर्ष	कल्चर वितरण (खरीफ)				कल्चर वितरण (रबी)			
	राइजोबियम	पी.एस.बी.	एजेक्टोवेक्टर	योग	राइजोबियम	पी.एस.बी.	एजेक्टोवेक्टर	योग
2010-11	225560	723430	97600	1046590	195850	391855	62605	650310
2011-12	904545	136510	414290	1455345	243314	490350	68565	802228
2012-13 खरीफ पूर्ति एवं रबीलक्ष्य	372600	915320	162550	1450470	272900	641050	98050	1012000

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
(वर्ष 2008–09 से अद्यतन प्रगति)

- 113 शहीद वीर नारायण सिंह विकासखण्ड स्तरीय बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रू. 6985.00 लाख स्वीकृत, 22 निर्मित, शेष निर्माणाधीन हैं।
- 469 कृषक सूचना सलाह केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रू. 3687 लाख स्वीकृत 75 निर्मित, शेष निर्माणाधीन है।
- 15500 शैलोटयूबवेल की स्थापना हेतु रू. 3100 लाख स्वीकृत, 10913 निर्मित।
- टिश्युकल्चर प्रयोगशाला निर्माण हेतु राशि रू. 372 लाख का अतिरिक्त अनुदान सहायता।
- हरित क्रांति योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में रू. 814.13 लाख से 92 चेक डेम एवं रू. 641.64 लाख से 32 तालाब निर्माणाधीन।

कृषि अभियांत्रिकी

कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2012–13 में सितंबर अंत तक की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियॉं	इकाई	वर्ष 2012–13 (सितंबर 2012)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख रू.में)	
			लक्ष्य	पूर्ति (सितंबर 12 तक)	आबंटन	व्यय (सितंबर 12 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शाकम्भरी					
	(क) कूप निर्माण	संख्या	800	119	3200.00	1592.78
	(ख) डीजल/विद्युत पंप	संख्या	15000	11443		
2	मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना					
	डोजिंग कार्य	घंटे	16400	5149	85.00	6.96
	कल्टीवेशन कार्य	घंटे	17500	5574		
	यील्ड टेस्ट *	संख्या	-	18		
3	मेक्रोमेनेजमेंट वर्क प्लान					
	ट्रैक्टर वितरण	संख्या	750	335	200.00	42.20
	पावर ट्रिलर का वितरण	संख्या	60	12		
	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	735	117		
	हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण	संख्या	-	305		
4	कृषि यंत्रों का प्रदर्शन	संख्या	-	552	3.99	3.99
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना					
	पावर टिलर का वितरण	संख्या	1200	256	750.00	90.15
	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	6201	1625		

रिमार्क :– * शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

शाकम्भरी योजना : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-06 से लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु ''शाकम्भरी'' योजना चलायी जा रही है, जिसमें कृषकों के 5 एच.पी. तक के विद्युत/डीजल चलित/केरोसीन पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

केन्द्र प्रवर्तित मैक्रोमैनेजमेन्ट योजना : इस योजनांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत 40 पी.टी.ओ. हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर, 8 बी.एच.पी. एवं अधिक के पावर ट्रिलर, शक्ति चलित/बैल चलित/हस्त चलित कृषि यंत्रों को 25% से 40% अनुदान पर वितरित करने की योजना भी संचालनालय द्वारा कियान्वित की जा रही है। वर्ष 2007-08 से राज्य शासन द्वारा ट्रैक्टर को छोड़कर शेष मशीनों/यंत्रों पर 10% से 25% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषि यंत्रों पर 50% तथा पावर ट्रिलर पर 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है।

पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेन्ट योजना : केन्द्र सरकार की इस योजनांतर्गत थ्रेशिंग, क्लीनिंग, मिलिंग तथा प्रोसेसिंग आदि हेतु उपयोगी यंत्रों का क्रय किया गया है। इन यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन कर कृषकों के मध्य उनका प्रचार–प्रसार किया जावेगा, जिससे कृषक अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने तथा फसल के प्रोसेसिंग से प्राप्त सह–उत्पाद का भी विक्रय कर उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान की योजना : प्रदेश में उन्नत तकनीक से धान रोपाई को प्रोत्साहित करने, रोपाई रकबे में वृद्धि, कृषि श्रमिकों के अभाव की समस्या से निंदान, बीज की बचत, निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि की सुगमता तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 2012–13 से पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान देने की नवीन योजना प्रारंभ की गई है। जिसमें चयनित हितग्राही कृषकों को उपयुक्त भूमि की तैयारी (जुताई,मताई) मैट टाईप नर्सरी तैयार करने तथा पैडी ट्रॉसप्लांटर मशीन से धान रोपाई पर राशि रू. 3000/– प्रति एकड़ की दर से अनुदान देय है।

कृषि विपणन

कृषि उपज मंडियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 73 कृषि उपज मण्डियां एवं 112 उप मण्डियॉ कार्यरत हैं। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मंडियों में आवक : राज्य की मंडियों में वर्ष 2010–2011 में 73,68,594 टन अनाज की आवक हुई, जबकि वर्ष 2011–12 में 83,48,811 टन अनाज की आवक हुई जो कि गत वर्ष की तुलना में 9,80,217 टन अर्थात 13.0 प्रतिशत अधिक है।

मंडियों की आय : मंडियों में वर्ष 2010–2011 में 16413.46 लाख रू. की आय हुई जबकि वर्ष 2011–12 में 17153.17 लाख रू. की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 739.71 लाख रू. अधिक है।

बोर्ड शुल्क : प्रदेश की मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क ही बोर्ड की आय का प्रमुख स्त्रोत है, जो मंडियों द्वारा बोर्ड को बोर्ड–शुल्क के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2011-12 में 18,57.66 लाख रूपये बोर्ड शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड द्वारा कृषकों को दी जा रही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं :

1. किसानों के उपज का सही तौल हेतु मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मशीन की स्थापना की गई है।
2. राज्य एवं अन्य प्रांतों की प्रमुख मंडियों में फसलों के प्रचलित बाजार भाव का प्रसारण हेतु प्रदेश की 20 मंडियों में डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया गया है।
3. कृषकों को निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके तहत् 9259 सेम्पल का मिट्टी परीक्षण किया गया।
4. एगमार्क नेट के माध्यम से प्रदेश की मंडियों में देश विदेश के कृषि जिन्सों के भाव तथा कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी की जानकारी हेतु वर्ष 2005–06 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
5. छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु वर्ष 2011–12 में रू. 50.00 करोड़ ऋण दिया गया है।

किसान शॉपिंग मॉल :– राजनांदगॉव मंडी में कृषकों (विक्रेताओं) तथा मंडी कृत्यकारियों के सुविधार्थ किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया गया है।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन
(कि.ग्रा. प्रति हेक्टर)
संदर्भ तालिका 3.3

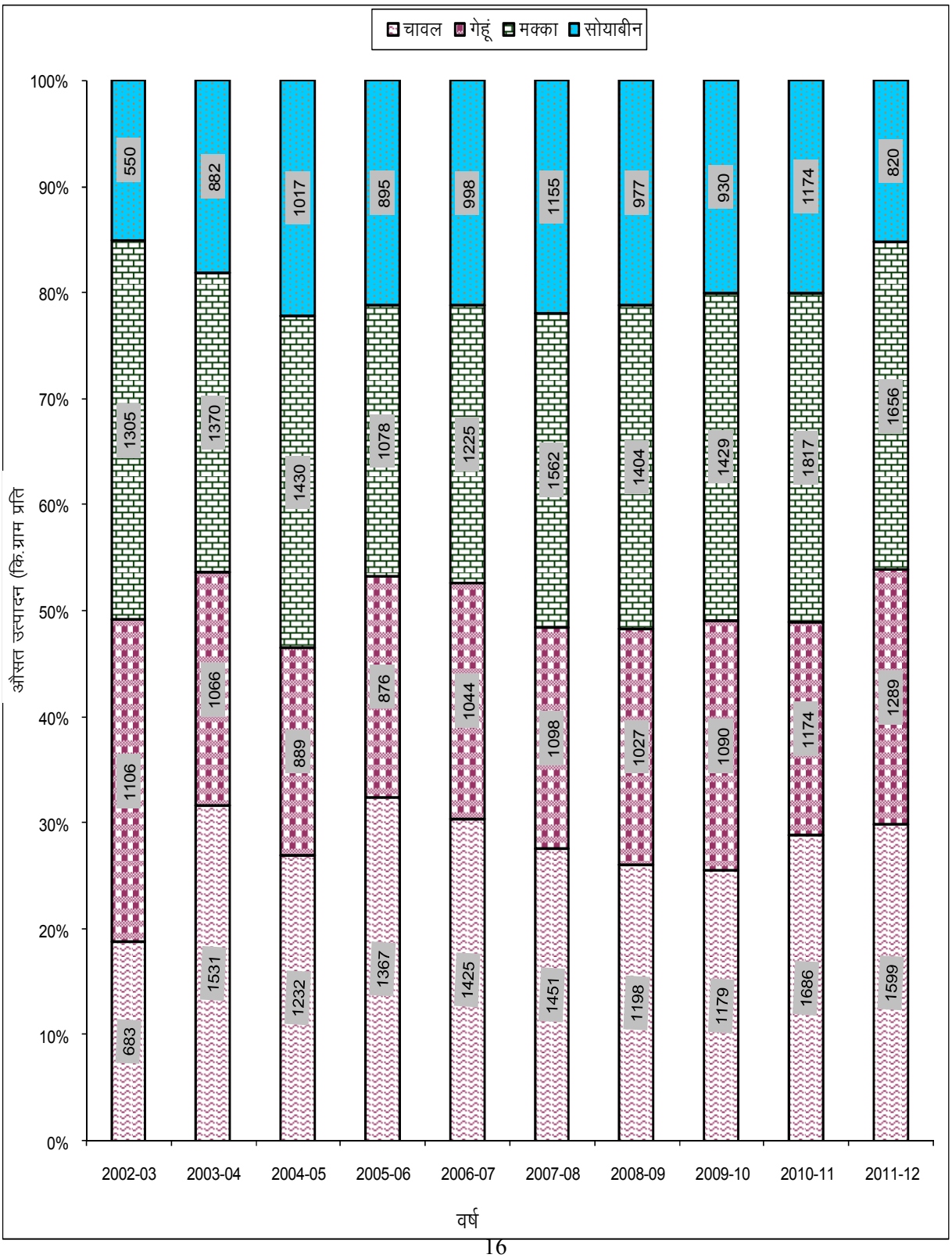

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। विभाग के अन्तर्गत 111 उद्यान रोपणी तथा एक सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र है।

वर्ष 2011-12 में विभिन्न उद्यानिकी फसलों अन्तर्गत फलोद्यान का रकबा 1.85 लाख हेक्टेयर एवं उत्पादन 15.69 लाख मीट्रिक टन, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल 3.51 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 45.83 लाख मीट्रिक टन, मसाला फसलों का क्षेत्रफल 0.82 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 5.41 लाख मीट्रिक टन, औषधि एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्रफल 0.12 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 0.91 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्प फसलों का क्षेत्रफल 0.08 लाख हैक्टेयर एवं उत्पादन 0.32 लाख मीट्रिक टन था।

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं :–

(1) राज्य पोषित योजनायें

1. **फल विकास कार्यक्रम** : इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदण्ड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नही लेना चाहतें हैं, उन्हें विभागीय फलोंद्यान योजना के अन्तर्गत, केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2011-12 में 2616.80 हैक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। जिस पर रू. 147.68 लाख व्यय हुए एवं वर्ष 2012–13 में माह दिसंबर, 2012 तक 2536.93 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही योजना में देशी वृक्षों की ग्राफ्टिंग कर उन्नतशील किस्मों में अद्यतन बदलने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में 120770 एवं वर्ष 2012-13 में अद्यतन 28338 पौधों को ग्राफ्टिंग उपरांत उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया गया है।
2. **केला विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में 4000 प्रदर्शन आयोजित किए गए जिस पर रू. 89.90 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 3091 केला प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।

3. **आलू विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में 33000 प्रदर्शन आयोजित किए गए जिस पर रू. 164.72 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 29900 आलू प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।

4. **मसाला विकास योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में 132000 मिनिकिट वितरण किए गए जिस पर रू. 131.77 लाख व्यय हुए तथा वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक विभिन्न मसाला फसलों के 151975 मिनिकिट्स वितरित किए गए हैं।

5. **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना (नवीन योजना)** : योजनांतर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर) योजनांतर्गत वर्ष 2012–13 में 2083 हेक्टर ड्रिप प्रतिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है।

6. **घरेलू बागवानी की आदर्श योजना** : योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में 368000 मिनिकिट वितरण किए गए जिस पर 91.97 लाख रू. व्यय हुए तथा वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 628477 मिनिकिट्स का वितरण किया गया है।

(2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना :–

1. **मॉडल नर्सरी :–** 2 से 4 हेक्टेयर वाली मॉडल रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत 25.00 लाख रू. प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में मॉडल रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2011-12 में 10 नर्सरियों के विरूद्ध 10 नर्सरी स्थापित की गईं तथा वर्ष 2012-13 में प्रावधानित 8 के विरूद्ध अद्यतन 5 नर्सरी स्थापित की गई है। लघु नर्सरी जो लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगी जिसकी लागत 6.25 लाख रू. प्रति यूनिट है। लघु नर्सरी की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में शत–प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रों की इकाईयों हेतु अधिकतम अनुदान सीमा 50 प्रतिशत या 3.125 लाख रू. प्रति हैक्टेयर है।

2. **फलोद्यान विकास :–** योजनांतर्गत आम, लीची, नीबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2011-12 में 9534 हैक्टेयर में स्थापित किए गए, जिस पर अद्यतन रू. 1875.30 लाख एवं वर्ष 2012–13 में माह नवंबर, 2012 तक 5349 हेक्टेयर में स्थापित किए गए जिस पर अद्यतन रू. 1332.56 लाख व्यय हुआ है।

3. **पुष्प विकास योजना :–** पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 5920 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प विस्तार का कार्य किया गया, जिस पर रू. 2013.70 लाख व्यय हुए एवं

वर्ष 2012–13 में माह नवम्बर 2012 तक 25 हेक्टेयर में स्थापित किए गए जिस पर अद्यतन रू. 2.99 लाख अद्यतन व्यय हुआ है।

4. **मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल** :– योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 17733 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया जिस पर 2214.13 लाख रू. व्यय हुए हैं। वर्ष 2012-13 में 1249 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला औषधि एवं सुगंधित फसल योजनान्तर्गत विस्तार कार्य माह नवम्बर तक किया गया है। जिस पर रू. 131.18 लाख व्यय हुए हैं।
5. **काजू क्षेत्र विकास** :– योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 122 हेक्टेयर क्षेत्र में रू. 39.77 लाख व्यय कर विस्तार कार्य किया गया एवं वर्ष 2012–13 में अद्यतन 2535 हेक्टेयर क्षेत्र में 760.66 लाख रू. व्यय कर विस्तार कार्य किया गया।
6. **सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास** :– सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 300 सामुदायिक नलकूप खनित किए गए जिस पर 209.46 लाख राशि व्यय हुई एवं वर्ष 2012–13 में अद्यतन 620 सामुदायिक नलकूप खनित किए गए। योजनांतर्गत 10 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षमता विकसित किए जाने हेतु रू. 7.00 लाख का प्रावधान है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना

ड्रिप सिंचाई योजना :– वर्ष 2012-13 में ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को कुल लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान देय है, वहीं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में दिसम्बर, 2012 तक 106 हितग्राहियों को 136.13 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. **सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार** :– वर्ष 2011-12 में 4800 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार, 5815 सब्जी प्रदर्शन एवं 20000 सब्जी मिनिकिट वितरण कार्यक्रम लिया गया जिस पर रू. 1282.50 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2012-13 में अद्यतन 3600 सब्जी क्षेत्र विस्तार, 80600 सब्जी प्रदर्शन एवं 250500 सब्जी मिनिकिट वितरण किए गए जिस पर रू. 2862.00 लाख व्यय हुआ है।

2. **मसाला फसलों का उत्पादन** :– वर्ष 2011-12 में 2156 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला फसलों के उत्पादन कार्यक्रम पर 269.50 लाख रू. व्यय हुए। वर्ष 2012-13 में अद्यतन 4800 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्यक्रम लिया गया जिस पर कुल रू. 625.00 लाख व्यय हुए।

3. **पुष्प विकास योजना** :– वर्ष 2011-12 में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम लिया गया जिस पर रू. 450 लाख व्यय हुए। वर्ष 2012-13 में अद्यतन 1200 हेक्टेयर में कार्यक्रम लिया गया, जिस पर कुल रू. 414.00 लाख व्यय हुए।

4. **वेजीटेबल इनिशिएटिव फॉर पेरी अरबन एरिया** :– योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में शहरी समूहों के लिए सब्जी विकास के कार्यक्रम अंतर्गत रू. 1250.00 लाख व्यय हुए एवं वर्ष 2012-13 में अद्यतन राशि रू. 168.50 लाख व्यय किए गए हैं।

5. **संरक्षित खेती** :– योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में 1000 हेक्टेयर हेतु मल्चिंग पर 100.00 लाख रू. व्यय हुए।

6. **कीट व्याधि प्रबंधन** :– योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यक्रम लिया जाने हेतु रू. 10.00 लाख प्रावधानित हैं।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका क्रमांक–3.4)

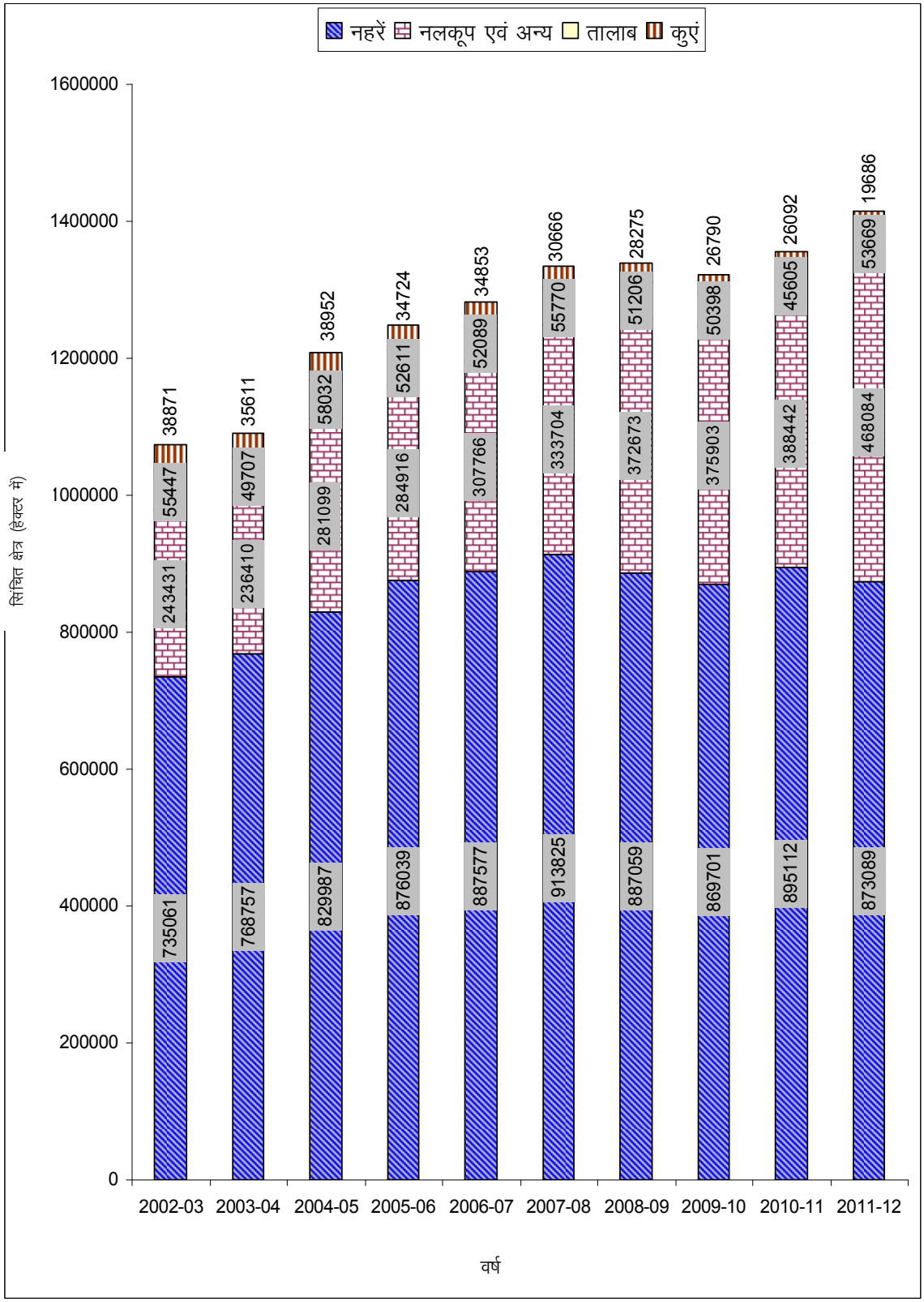

अध्याय–4

भाव स्थिति

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पद उपलब्ध करायी जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किए जाने हेतु घोषित मूल्य पर धान का उपार्जन करता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है।

1 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से 34.51 लाख गरीब राशनकार्डधारी परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इनमें से 8.83 लाख अन्त्योदय परिवारों को 1 रू. प्रतिकिलो की दर पर तथा शेष 25.48 लाख गरीब परिवारों को 2 रू. प्रतिकिलो की दर पर 35 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।

2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में 6501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थीं। राज्य गठन के बाद 4382 नई दुकानें स्थापित की गई हैं। राज्य में अगस्त 2012 की स्थिति में 10883 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। जिसमें से 3995 पंचायत, 4359 सेवा सहकारी समिति, 2363 महिला स्वसहायता समूह, 154 वन सुरक्षा समितियॉ तथा 12 नगरीय निकाय द्वारा संचालित की जा रही हैं।

3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी राशनकार्ड

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु राशनकार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था है। एपीएल राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र में राशनकार्ड बनाने का अधिकार है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को बनाने का अधिकार है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 34.62 लाख बीपीएल एवं 11.39 लाख एपीएल राशनकार्ड प्रचलित हैं योजनावार कार्डों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	राशनकार्डों की संख्या
1	बीपीएल (पीला)	6.13 लाख
2	अंत्योदय अन्न योजना	8.93 लाख
3	अन्नपूर्णा योजना	0.22 लाख
4	केसरिया 35 किलो	5.95 लाख
5	स्लेटी	11.50 लाख
6	केसरिया 10 किलो	1.53 लाख
7	निःशक्तजन हरा	0.33 लाख

4 समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किए जाने हेतु घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य द्वारा धान की खरीदी की जाती है। राज्य की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से धान की खरीदी की जाती है। वर्ष 2012-13 में 1925 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है।

वर्ष 2000-01 में सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रू. 510 प्रति क्विंटल तथा 'ए' श्रेणी के धान के लिए रू. 540 प्रतिक्विंटल था, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 1250 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड 'ए' धान के लिए 1280 रू. प्रति क्विंटल किया गया है। वर्ष 2011-12 में समर्थन मूल्य पर 59.73 लाख टन धान खरीदा गया तथा 6814.00 करोड़ रू. किसानों को भुगतान किया गया।

5 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण

खरीफ वर्ष 2007-08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया। इस वर्ष भी राज्य के 1888 धान खरीदी केन्द्रों में राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया गया है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा सभी 1888 धान खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं तथा प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई। किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय के तुरंत बाद कम्प्यूटर द्वारा निर्मित चेक तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। धान खरीदी की व्यवस्था के

कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो जाती है। राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विक्रय इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

अ – पीडीएस–ऑनलाईन व्यवस्था – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं अब तक राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोडा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 10883 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 14.09.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कम्प्यूटरीकृत पीडीएस व्यवस्था को देश के अन्य राज्यों में लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

ब – चावल उत्सव :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है। इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

स – कॉल सेंटर :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग

द्वारा सूचना प्रौद्यौगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमॉक 1800–233–3663 है और यह एक टोल फ्री फोन लाईन है। जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब तक कुल 5953 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। प्राप्त शिकायतों में से 5839 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।

द – जनभागीदारी वेबसाईट :– जनभागीदारी वेबसाईट राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। इस वेबसाईट का पता www.cg.nic.in/citizen है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना नि:शुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है। वर्तमान में खाद्यान्न भंडारण के एस.एम.एस. हेतु 31487 मोबाईज नंबर पंजीकृत हैं।

इ – केरोसिन वितरण व्यवस्था में सुधार :– उचित मूल्य दुकानों को केरोसिन आबंटन एवं प्रदाय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा केरोसिन आबंटन एवं प्रदाय व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। अप्रैल 2012 से राशनकार्ड डाटाबेस के आधार पर जिलों को केरोसिन का आबंटन प्रारंभ किया गया तथा एस.एम. एस के जरिए केरोसिन उठाव एवं वितरण की जानकारी तत्काल प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था क्रियान्वित होने के बाद राज्य में केरोसिन की बचत परिलक्षित हुई है तथा अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकार्ड केरोसिन पात्रता 5 लीटर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिकार्ड 4 लीटर निर्धारित की गई है।

7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई–इंडिया अवार्ड तथा सी.एस.आई. ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना द्वारा उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राज्य के लगभग 34.51 लाख निर्धन परिवारों को निःशुल्क 02 किलो आयोडाईज्ड नमक प्रतिमाह वितरित कराया जा रहा है।

2. चना वितरण योजना के माध्यम से वर्तमान में सरगुजा एवं बस्तर संभाग के 10.95 लाख गरीब राशनकार्डधारी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। **01 जनवरी 2013 से राज्य के 85 अनुसूचित विकासखण्डों के समस्त बीपीएल परिवारों को 02 किलो चना 05 रू. प्रतिकिलो की दर से प्रदाय किए जाने की योजना है।**

3. अन्नपूर्णा दाल–भात योजनांतर्गत 31.12.2011 की स्थिति में 133 अन्नपूर्णा दाल–भात केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क गैस चूल्हे एवं प्रेशर कुकर उपलब्ध कराए गए हैं तथा बी.पी.एल. दर पर प्रतिमाह 188 मेट्रिक टन चावल प्रदाय किया जा रहा है। इस योजना से प्रतिदिन 10 से 15 हजार जरूरतमंद हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

अध्याय–5

पशुधन विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। 15 अक्टूबर, 2007 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.44 करोड़ पशुधन तथा 1.42 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु विकासः– पशु संगणना 2007 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 33.62 लाख है। राज्य में वर्ष 2011-2012 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 252 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाईयॉ, 241 पशु चिकित्सालय, 775 पशु औषधालय, 10 मु. ग्रा. खण्ड, 100 मु. ग्रा. खण्ड इकाई कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2011-12 में 4.61 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.39 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.20 लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 0.20 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 30.30 लाख पशुओं का उपचार, 25.57 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.20 लाख पशुओं में बधियाकरण एवं 198.33 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

वर्ष 2012-13 में माह सितम्बर 2012 तक 1.82 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.16 लाख पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई। जिससे 0.52 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन एवं 0.10 लाख प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है। तथा 10.58 लाख पशुओं का उपचार, 11.97 लाख पशुओं को औषधी प्रदाय, 0.68 पशुओं में बधियाकरण एवं 124.93 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार 27.68 लाख बकरे–बकरियॉ हैं, प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में नर बकरा हेतु रू. 162.00 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 6000 नर बकरों के विरूद्ध 4397 नर बकरों का प्रदाय किया गया। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

सूकर विकास : वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.13 लाख़ सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालको को वर्ष 2011-12 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा तथा 1 नर सूकर) हेतु वितरण राशि रू. 80.00 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 1155 सूकरत्रयी के विरूद्ध राशि रू. 79.85 लाख व्यय कर 790 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया, एवं अनुदान पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु राशि रू. 22.95 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 450 नर सूकर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012-13 में सूकरत्रयी वितरण हेतु राशि रू. 80.00 लाख आवंटन के विरूद्ध 888 सूकरत्रयी एवं नर सूकर हेतु राशि रू. 22.95 लाख के विरूद्ध 500 नर सूकर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में सकालो, जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। जिसमें लार्जव्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र कुनकुरी जिला जशपुर में स्थापना प्रगति पर है।

शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– प्रदेश में वर्ष 2006-07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है। योजना प्रारंभ से सितंबर 2012 तक कुल 4611 सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रदाय किए गए हैं। वर्ष 2011-12 में रू. 123.93 लाख के परिव्यय से 316 सांड़ों का वितरण किया गया है। वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक राशि रू. 27.98 लाख व्यय कर 08 साड़ों का वितरण किया गया है। शेष सांड़ों का वितरण कार्य प्रगति पर है।

कुक्कुट विकास : प्रदेश में पशु संगणना 2007 के अनुसार प्रदेश में 142.46 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत, आहार एवं औषधि सहित घर पहॅुचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2011-12 में राशि रू. 180.00 लाख आबंटन से 16654 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2012-13 हेतु माह सितंबर 2012 तक राशि रू. 156.43 लाख व्यय कर 1284 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2012-13 में राशि रू. 180.00 लाख से 6666 लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय योजना (एस्काड) : केन्द्र प्रवर्तित योजना एस्काड योजनांतर्गत प्रतिबंधात्मक टीकाकरण पशुरोग अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण प्रचार–प्रसार आदि कार्य किया जाता है। वर्ष 2011-12 में रू. 1434.49 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत थी जिसके विरूद्ध राशि रू. 686.28 लाख प्राप्त हुई थी। वर्ष 2012-13 में स्वीकृत योजना राशि रू. 846.35 लाख के विरूद्ध प्रथम किस्त में राशि रू. 500.00 लाख प्राप्त हुई है।

बॉक्स क 5.1

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 1378.00 लाख रू. की कार्ययोजना स्वीकृत हुई थी जिसके विरूद्ध राशि रू. 1378.00 लाख व्यय की गई।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में राशि रू. 2098.61 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत रू. 2098.61 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है।
- दूरस्थ अंचलों में पशु चिकित्सा सेवायें हेतु स्वर्णिम रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 5663 बेरोजगारों को गौ सेवक प्रशिक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में कुल 150 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बॉक्स क 5.2

प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सालय

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	241
पशु औषधालय	775
चल चिकित्सालय	16
माता महामारी उन्मूलन योजना	05
पशु जॉच चौकियॉ	07
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	18
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	252
एम्बुलेट्री क्लीनिक	10
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :– छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैं :–

1. पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुॅच विहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।
7. 996 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है।
8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास।
9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय गौवंशीय/भैंसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है।

पशु उत्पाद उपलब्धता:– वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य के 16 जिलों में केन्द्रीय प्रवर्तित न्यादर्श सर्वेक्षण अन्तर्गत 240 ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 129 ग्राम दूध, प्रतिवर्ष 56 अण्डे प्रतिव्यक्ति तथा वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.244 किलोग्राम होना पाया गया है।

अध्याय–6

मत्स्य विकास

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.63 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.516 लाख है। जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 93.00 प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2010-11 में समस्त स्त्रोतों से 8396.90 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) तथा वर्ष 2011-12 में 9069.47 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 8.00 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012-13 में माह सितम्बर 2012 तक 7968.07 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया।

2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2010-11 में राज्य में समस्त स्त्रोतों से 228207 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2011-12 में 250695.02 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.85 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2012-13 में माह सितम्बर 2012 तक 141160.40 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है।

3. मछुआ सहकारिता :– राज्य में वर्ष 2012-13 में माह सितम्बर 12 तक समितियों की संख्या 970 है। जिनकी सदस्य संख्या 30130 है। इन समितियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने सुधारने, नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति रू. 750, जाल बुनने एवं धागा के लिए रू. 400 तथा अन्य व्यय हेतु रू. 100 इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय रू. 1250 का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3650 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बॉक्स क्र 6.1

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रू. 50000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 100000 रू. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2011-12 में 126551 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
- वर्ष 2011-12 तक मछुआरों के लिए 336 आवास सुविधा का निर्माण किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य 50:50 के अनुपात में व्यय भार वहन किया गया।
- सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु. जनजाति महिला कृषकों को स्वयं की भूमि पर एक हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण पर अधिकतम रू. 5 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाएगी तथा रू. 1 लाख हितग्राही अंशदान इस प्रकार कुल 6 लाख की सहायता। वर्ष 2011-12 में 55 तालाब निर्मित किए गए।

5. मत्स्य पालन प्रसार :–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम 15000 रू. का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 में 550 इकाईयॉ स्थापित की गई है जिसमें 160.71 लाख झींगा बीज संचयन कर 3269 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है।

6. **अल्पअवधि बचत–सह–राहत योजना :–** बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना कियान्वयन की गई है। योजना कियान्वयन का 50 प्रतिशत राज्य शासन एवं 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा अंशदान से रू. 600 तथा शासन द्वारा अंशदान रू. 1200 इस प्रकार कुल रू. 1800 हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किए जाते हैं। जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 600 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है। वर्ष 2011-12 में 5000 मछुआरों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा।

7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 में 6.72 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के छः चयनित जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 18 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु 18 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2012–13 माह सितंबर 12 तक की

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियॉं

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रू. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मत्स्यबीज उत्पादन					
	स्पान		37950.00	40532.00	244.70	100.41
	स्टेण्डर्ड फ्राई	लाख	1000.00	7968.07	-	-
2.	मत्स्यबीज संचयन	लाख	9207.66	7516.00	-	-
3.	मत्स्योत्पादन	मी. टन	254779.04	141160.40	141.50	14.62
4.	विभागीय आय	लाख रू.	6.71	86.674	-	-
5.	त्रिस्तरीय पंचायतों से आय	लाख रू.	-	142.443	-	-
6.	प्रशिक्षण	संख्या	4970	1400	61.75	28.33
7.	रोजगार सृजन	ला. मा. दि.	110.00	35.90	-	-
	केन्द्र प्रवर्तित योजना					
1	मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता					
	अ. ऋण	लाख रू.	493.00	47.66	-	-
	ब. अनुदान	लाख रू.	203.00	14.96	-	-
2	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	संख्या	-	5	-	-
		हे.	-	3.65	-	-
3	मत्स्य जीवियों को दुर्घटना बीमा	संख्या	159997	159997	23.20	23.20

अध्याय–7

वानिकी

भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38% भाग वनाच्छादित है। जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी. (43.13%), संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21%), अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 32 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। कार्य आयोजना वैज्ञानिक पद्धति से किसी भी वनमंडल के वनों के विदोहन/पातन हेतु भारत शासन द्वारा स्वीकृत योजना है।

वनमंडल की कार्य आयोजना वरिष्ठ वन अधिकारी (उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण, कार्य आयोजना समाप्ति के 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है, ताकि समयावधि समाप्त होने के पश्चात् वनमंडल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सके। वर्तमान में 03 वनमंडलों में कार्य आयोजना पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य के समस्त वन मंडल के वन क्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

बाक्स नं–7.1

- राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। योजनांतर्गत 2011–12 में रू. 530.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें 123.50 कि.मी. में रोपण तथा 472 कि.मी. में रखरखाव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनांतर्गत रू. 620.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें 98 कि.मी. सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा 300 कि.मी. रखरखाव का लक्ष्य है। अक्टूबर 2012 तक 91.43 लाख का व्यय किया जा चुका है।

- बिगड़े वनों का सुधार कार्य योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में रू. 8100.00 लाख के बजट के विरूद्ध रू. 8065.74 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष 2012–13 हेतु इस मद में रू. 11000.00 लाख बजट के विरूद्ध अक्टूबर 2012 तक 3471.89 लाख व्यय किया जा चुका है।

प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु वर्ष 2011–12 में कुल प्रावधानित राशि रू. 200.00 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2012–13 में 250.00 लाख रू. का प्रावधान है, जिसमें अक्टूबर 2012 तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण :– वनक्षेत्रों से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 2050.00 लाख का प्रावधान किया गया था तथा 363 रपटा/पुलिया निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह अक्टूबर 2012 तक रू. 248.10 लाख का व्यय हुआ है।

पौधा प्रदाय योजना : जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु ''पौधा प्रदाय योजना'' राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें 1 रू.प्रति पौधा की दर से अधिकतम एक हजार पौधे एक हितग्राही को दिये जायेंगे। वर्ष 2011–12 में रू. 150.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 146.86 लाख व्यय किए गए हैं एवं विभिन्न प्रजाति के 35.85 लाख पौधे वन विभाग की नर्सरियों में तैयार कर हितग्राहियों को रियायती दर पर प्रदाय किया गया। वर्ष 2012–13 में रू. 140 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें 27 लाख पौधा तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2012 तक योजनांतर्गत रू. 52.75 लाख व्यय किया गया है।

हरियाली प्रसार योजना : कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांरित किए जाएंगे, साथ ही आगामी दो वर्षो के लिए रख–रखाव हेतु 1.00 रू. प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2011–12 में रू. 305.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरूद्ध रू. 297.24 लाख व्यय कर 36 लाख पौधे किसानों की भूमि पर रोपित किए गए। वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू. 425.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसमें 42 लाख पौधों का रोपण किसानों की भूमि पर किया गया है। अक्टूबर 2012 तक रू. 267.59 लाख व्यय हुआ है।

नदी तट वृक्षारोपण योजना : राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदीतट वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है। इससे नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण

और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जायेगा। वर्ष 2011–12 में इस मद में रू. 580.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिससे वर्षान्त तक रू. 575.41 लाख के व्यय 417 हे. में तैयारी तथा 209 हे. में रोपण किया गया। वर्ष 2012–13 में इस योजनांतर्गत रू. 650 लाख की राशि का प्रावधान कर 417 हे. में रोपण तथा 209 हे. में तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2012 तक 176.62 लाख रू. की राशि व्यय की गई है।

बांस वनों का पुनरोद्धार :– बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले (कोपल) प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। वर्ष 2011–12 में इस मद में रू. 4260.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध रू. 4207.26 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2012–13 में इस मद में रू. 4900.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2012 तक रू. 1290.61 लाख व्यय किया गया।

भू–जल संरक्षण :– भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू–संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु यह योजना प्रारंभ की है, वर्ष 2011–12 में रू. 2070.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध रू. 2060.70 लाख व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजनांतर्गत रू. 2150.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिससे 49900 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार एवं 73000 हे. क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य का लक्ष्य रखा है। माह अक्टूबर 2012 तक 1493.71 लाख रू. का व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :–

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 से अस्तित्व में आया तब तक रायपुर क्षेत्र में 4 परियोजना मण्डल अस्तित्व में थे। सितंबर, 2001 से औद्योगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन किया गया। औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल का मुख्य कार्य एस.ई.सी.एल. बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य है। क्षेत्र हस्तांतरण के उपरान्त अक्टूबर 2003 में तीन नवीन परियोजना मण्डलों का गठन किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 7 परियोजना मण्डल हैं, एक कालान्तर में बन्द हो गया।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में वर्तमान में दो क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय हैं जिसका मुख्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में है।

निगम के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल एवं रोपित रकबा (हेक्टेयर में) 2012 की स्थिति में :–

निगम का वन क्षेत्रफल	सागौन	बांस	मिश्रित	औषधीय	योग
197322	96933	6739	923	317	104912

वर्ष 2013 में 2400 हे. सकल क्षेत्र में सागौन, 180 हे. क्षेत्र में नीलगिरी रोपण का लक्ष्य निर्धारित है।

उच्च तकनीक वृक्षारोपण :– वर्ष 1997 से परियोजनाओं में उच्च तकनीक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं जिसके परिणाम काफी अच्छे प्राप्त हुए है। परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है।

परि. मण्डल का नाम	**रोपित क्षेत्र (हेक्टेयर में)**										
	1998	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2010**	**2011**	**2012**	**योग (हे.)**
बारनवापारा	10.00	15.00	-	-	-	-	-	-	15.00	22.00	62
कोटा	-	20.47	25.00	25.00	25.00	-	-	31.00	30.00	34.00	190.47
पानाबरस	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20
अंतागढ़	-	-	-	-	-	10.00	12.00	-	-	-	22
कवर्धा	-	-	-	-	-	-	-	10.00	30.00	-	40
सरगुजा	-	-	-	-	-	-	-	28.00	45.00	55.00	128
योग :	20.00	45.47	25.00	25.00	25.00	10.00	12.00	69.00	120.00	111.00	462.47

(वर्ष 1998 से 2011 तक)

वर्षा ऋतु वर्ष 2013 में उच्च तकनीक रोपण हेतु 100 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है।

खदानी रोपण :– वर्ष 1990 से 2012 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 210.82 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2013 में 2.50 लाख पौधों का रोपण लक्ष्य प्रस्तावित है।

सड़क किनारे वृक्षारोपण :– माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान 604.26 कि.मी. लम्बाई में पथ वृक्षारोपण किया गया है:–

वर्ष	उपलब्धि	
	रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	रोपित पौधों की संख्या
2006	62.45	99223
2007	64.00	123000
2008	101.85	201925
2009	72.40	144881
2010	65.61	129937
2011	135.45	261226
2012	102.50	205000
योग	604.26	1165192

वर्ष 2013 में 100 कि.मी. में पथ वृक्षारोपण किया जाना निर्धारित है, जो संस्थाओं द्वारा अनुबंध कर राशि प्रदाय करने पर निर्भर है।

बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य : निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्र में अधिकांश बांस वन बिगड़ी स्थिति में है। वर्ष 2009–10 में वन विकास उपकर निधि मद से 2977 हेक्टेयर बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य कराया गया। वर्ष 2010–11 में 846.88 हे. बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं 2977 हे. में करला सुरक्षा कार्य प्रस्तावित है।

क्र.	परियोजना मण्डल का नाम	वर्ष 2009–10 में किया गया सुधार कार्य (हे.)	वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित कार्य	
			बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य (हे.)	बांस रोपण (तैयारी)
1	बारनवापारा–रायपुर	256	298	-
2	अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	425	174	-
3	पानाबरस–राजनांदगांव	374	100	-
4	कोटा–बिलासपुर	1202	200	-
5	कवर्धा–कबीरधाम	720	75	-
	योग	2977	847	

वनौषधि रोपण : राष्ट्रीय औषधी पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा "Central Sectors Scheme for Conservation and Development of Medicinal Plant " के तहत औषधी पौधों के 600 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं रोपणी की तैयारी की तीन वर्षीय योजना दिनांक 06.05.09 को स्वीकृत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.	परियोजना मण्डल का नाम	प्रजाति	कुल लक्ष्य	वर्ष 2009. 10 में रोपण (हे.)	वर्ष 2010. 11 में रोपण (हे.)	योग (हे.)
1	बारनवापारा, कोटा सरगुजा	सतावर	150	-	51.00	51.00
2	बारनवापारा, कवर्धा	कालमेघ	200	100	100.00	200.00
3	बारनवापारा, कवर्धा, पानाबरस, अंतागढ़, कोटा, सरगुजा	गिलोय	100	5.50	35.00	40.50
4	बारनवापारा, कवर्धा	सर्पगंधा	50	-	3.90	3.90
5	अंतागढ़, कोटा	बायबिडंग	100	-	22.00	22.00
योग			600	105.50	211.90	317.40

इसके अतिरिक्त रोपणी में 8.00 हे. क्षेत्र रोपण स्टाक तैयार किया गया है।

वर्षा ऋतु वर्ष 2013 में किए जाने वाले वृक्षारोपणों हेतु परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में उपलब्ध पौधों का विवरण :–

वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2013 वर्षा ऋतु के रोपण हेतु तैयार किए गए हैं :–

परियोजना मण्डल का नाम	वर्षा ऋतु वर्ष 2013 के रोपण के लिए रोपणियों में उपलब्ध पौधे		
	सागौन	बॉस	मिश्रित
बारनवापारा–रायपुर	7290000	-	272000
पानाबरस–राजनांदगांव	2593000	390000	123000
अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	3000000	-	-
कवर्धा– कबीरधाम	5652000	-	-
कोटा–बिलासपुर	3117000	-	-
सरगुजा–अम्बिकापुर	2697000	355000	-
औ.वृक्षा रोपण मण्डल, कोरबा	0	-	-
योग	24349000	745000	395000

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिए दिनांक 28 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है।

दायित्व :– औषधीय पादपों के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान, औषधीय पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण, औषधीय पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आंकलन, औषधीय पौधों के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना, पारंपरिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना, औषधीय पादपों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य।

विभिन्न योजनाएं

राज्य वनस्पति मंडल योजना :–

1. 100 हेक्टेयर क्षेत्र पर दशमूल प्रजातियों (बेल, अग्निमंथ, श्योनाक, गंभारी, पाटला, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोच्छुर) का रोपण ।
2. राज्य के 07 वनमंडल अंतर्गत 485 हेक्टेयर क्षेत्र पर त्रिफला (आंवला, हर्रा, बहेडा) प्रजातियों का रोपण।
3. हर्बल उत्पादों के विक्रय को प्रोत्साहित करने रेल्वे स्टेशन, रायपुर एवं माना विमानतल में रिटेल आउटलेट की स्थापना।
4. राज्य के 08 वनमंडलों के 140 हेक्टेयर क्षेत्र में मेंहदी रोपण।
5. राज्य के 09 वनमण्डलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना हेतु वनौषधि प्रजाति के पौधों की तैयार हेतु 09 रोपणियों की स्थापना।
6. राज्य के 08 वनमण्डलों में 327 हेक्टेयर क्षेत्र पर अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, केंवाच, तुलसी, लेमन, ग्रास आदि औषधीय प्रजातियों का अंतःस्थलीय रोपण।
7. राज्य के 14 प्रमुख केन्द्रों पर परंपरागत् चिकित्सकों का सम्मेलन आयोजित कर 2000 परंपरागत चिकित्सकों की पहचान कर उनका डाटाबेस तैयार किया गया।
8. औषधीय पादपों के पहचान सुनिश्चित करने राज्य की 200 औषधीय प्रजातियों का रॉ ड्रग रिपाजिटरी की स्थापना।

यू.एन.डी.पी. परियोजना :–

- राज्य के 7 वनमंडलों में प्रत्येक वनमंडल अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्र पर 150 से 200 प्रजातियों का अंतःस्थलीय संरक्षण।
- औषधीय पादपों की पहचान हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- परंपरागत ज्ञान के अभिलेखीकरण हेतु पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान का संकलन।
- राज्य में होम हर्बल गार्डन योजना।
- संवाद रणनीति विकसित करने तथा औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु स्थानीय समुदाय में जागरूकता लाने के लिए फिल्म, नाटक तथा अन्य माध्यम का उपयोग।

आंवला कैम्पेन परियोजना :– राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भारत शासन द्वारा आंवला पौधों के रोपण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य के 6 जिलों के 7 विकासखण्डों में 12 लाख आंवला पौधों के वितरण तथा 127 हेक्टेयर क्षेत्र पर ऑवला प्रदर्शन प्रक्षेत्र की स्थापना। वनमंडलाधिकारी, धमतरी द्वारा ऑवला उत्पाद के प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है।

औषधीय पौधों के राष्ट्रीय मिशन योजनांतर्गत संचालित कार्य :–

- वर्ष 2010–11 में 14 मॉडल नर्सरी (शासकीय 8, अशासकीय 6) तथा 10 छोटी नर्सरी (शासकीय 3, अशासकीय 7) की स्थापना।
- 364 हेक्टेयर क्षेत्र पर 19 चयनित औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण।
- क्लस्टर आधारित कृषिकरण कार्य (24 क्लस्टर) कृषकों को रू. 15.83 लाख अनुदान राशि वितरित।
- वर्ष 2011–12 में 5 मॉडल नर्सरी की स्थापना (धमतरी, बस्तर, कोण्डागॉव, कांकेर एवं खैरागढ़ वनमण्डल)।

अध्याय–8

जल संसाधन

छत्तीसगढ राज्य में जल संसाधनों के उपयोग एवं विकास कार्य

छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान राज्य है, वर्ष 2011–12 में प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 55.61 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 46.83 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्त्रोतों से 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था जो कुल बोये गये क्षेत्र का 23 प्रतिशत है। आंकलन के अनुसार 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है। जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू जल से 9.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा सकती है, राज्य गठन के पश्चात राष्ट्रीय औसत 48.90 प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्त्रोतों से जल की उपलब्धता की मात्रा में सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. एवं भू–जल की मात्रा 14548 मि.घ.मी. इस प्रकार कुल 62844 मि.घ.मी. आंकी गई है।

प्रदेश का वर्ष 2008–09 में जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता की गई। वर्ष 2011–12 में 0.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया। मार्च 2012 तक 5.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के वृद्धि की जाकर प्रदेश में कुल 18.44 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है, जो कि कुल बोया गया क्षेत्र का 33.15 प्रतिशत है।

प्रदेश में मार्च 2012 तकं 08 वृहद 33 मध्यम एवं 2365 लघु योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं इसके अलावा 3 वृहद, 6 मध्यम एवं 403 लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन है।

12 वीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन विकास के लिए रू. 15000 करोड़ की आयोजना सीमा प्रस्तावित है तथा 3.30 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

भू–जल स्त्रोतों का उपयोग :– केन्द्रीय भू जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभवनाएँ हैं। राज्य में कुल उपयोगी 33638 मी.घ.मी. सतही जल की उपलब्धता है। इसमें समस्त स्त्रोतों अभी तक 2792.12 एम.सी.एम. अर्थात 20.40

प्रतिशत जल का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 तक शासकीय नलकूपों की 26 योजनाओं से 1134 नलकूपों द्वारा 25500 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई है तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के निजी नलकूप निर्माण द्वारा वर्ष 2011-12 तक 2308 सफल नलकूप से 11540 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

सिंचित क्षेत्र :– 1 नवम्बर 2000 को समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, राज्य गठन के पश्चात् क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि निम्नानुसार है :–

अवधि	बजट आबंटन (करोड़ रू. में)	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	कुल सिंचाई लाख हें.	सिंचाई का प्रतिशत
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	111.57	12000	13.40	23.15
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	294.16	71000	14.11	24.38
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	501.63	42000	14.53	25.10
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	577.97	98000	15.51	26.78
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	818.78	75000	16.26	28.10
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	780.07	55000	16.81	29.40
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	881.14	41000	17.22	30.12
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	1004.41	36000	17.58	30.76
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	1086.75	13700	17.71	30.89
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	1199.94	17400	17.89	31.12
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	1761.82	20000	18.09	31.83
अप्रैल 2011 से मार्च 2012	1658.64	35000	18.44	33.15

नवीन प्रशासकीय स्वीकृत की योजनाएं :– वर्ष 2012-13 में अक्टूबर 2012 तक शासन द्वारा प्रदाय की गई स्वीकृत/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रकार	संख्या	लागत (करोड़ रू. में)	सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिंचाई योजनाएँ	40	806.03	37044
2	एनीकट/स्टॉपडेम	101	473.12	13882
	योग	**141**	**1279.15**	**50926**

बॉक्स नं–8.1

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- वर्ष 2012–13 में 141 नई परियोजनाओं एनीकेट सहित (लागत 1279.16 करोड़ रू.) जिनकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 50926 हेक्टेयर है।
- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 264311 हेक्टेयर (खरीफ) है। वर्ष 2011–12 में 216636 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हेक्टेयर है। वर्ष 2011–12 में 16218 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है।
- जोंक परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 12870 हेक्टेयर है जिसके विरूद्ध वर्ष 2011–12 में 8100 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- तान्दुला जलाशय परियोजना से वर्ष 2011–12 में 89011 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2011–2012 में वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से 13.03 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके विरूद्ध 10. 90 लाख हे.सिंचाई के साथ औद्योगिक संयत्रो के लिएं 2991.41 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय का आबंटन किया गया तथा प्रदेश के 08 नगरों को पेयजल आपूर्ति हेतु 315.703 मिलियन घन मीटर प्रतिवर्ष प्रदाय किया जा रहा है।
- बहुउद्देशीय वृहद परियोजना, हसदेव बांगो जिसकी निर्मित सिंचाई क्षमता मार्च 2012 तक 247400 हेक्टेयर खरीफ एवं 173180 हेक्टेयर रबी कुल 420580 हेक्टेयर है जिसके विरूद्ध खरीफ की सिंचाई हेतु वर्ष 2011–12 में 256299 हेक्टेयर क्षेत्र में जल उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से एन.टी.पी.सी., छ.ग.रा.वि.मं. उत्पादन कंपनी, बाल्को, एस.ई.सी. एल., बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों तथा कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक से 130.16 करोड़ रू. की लागत से 19 मध्यम एवं 113 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनरूद्धार एवं उन्नयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। इन योजनाओं का खरीफ सिंचाई क्षेत्र 150460 हेक्टेयर है।

एनीकेट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदी नालों पर एनीकेट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है इससे पेयजल, सिंचाई, उद्योगों के उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता, पशुओं के लिए पीने का पानी निस्तार की आवश्यकता, भू–जल संवर्धन एवं भू–संरक्षण में सहायता होगी। वर्तमान में 595 एनीकेट के निर्माण हेतु कार्य योजना स्वीकृत है जिसकी अनुमानित लागत रू. 2570.95 जिसके अंतर्गत 160 एनीकेट का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत रू. 383.49 करोड़ है। तथा 128 एनीकेट का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत रू. 1001.24 करोड़ है।

समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2011–12 में जलाशयों से सृजित एवं उपयोग सिंचाई निम्नानुसार है :–

(लाख हेक्टेयर में)

क्र.	परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2011–12 में वास्तविक सिंचाई
1	वृहद परियोजना	10.09	7.26
2	मध्यम परियोजना	1.94	1.30
3	लघु परियोजना	6.41	2.95
योग		**18.44**	**11.51**

निर्माणाधीन योजनाएं

1. केलो वृहद परियोजना :– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. दूर केलो नदी पर निर्माणाधीन है। जिसकी अद्यतन लागत 598.91 करोड़ रू. है। जिसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 22800 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य की भौतिक प्रगति क्रमशः 97% एवं 58% है।

2. सूखा नाला बैराज :– यह मध्यम परियोजना राजनांदगॉव जिले के डोंगरगॉव तहसील के ग्राम बह्मनीकनेरी के पास सूखानाला में प्रस्तावित है। इसकी अद्यतन लागत् रू. 91.54 करोड़ है। इसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 6270 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 100% तथा नहर कार्य 95% पूर्ण कर लिया गया है।

3. घुमरिया नाला बैराज परियोजना :– घुमरिया नाला बैराज परियोजना राजनांदगॉव जिले के छुरिया तहसील के ग्राम जोशीनमती के समीप घुमरियानाला पर निर्माणाधीन है। योजना की लागत रू. 47.79 करोड एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 80% तथा नहर कार्य 80% पूर्ण कर लिया गया है।

4. कर्रानाला बैराज परियोजना :– यह परियोजना कबीरधाम जिले के सहसपुर–लोहारा विकासखण्ड मुख्यालय से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। योजना की वर्तमान लागत रू. 9919.13 लाख है। योजना का शीर्ष कार्य 100% तथा नहर कार्य 97% पूर्ण किया जा चुका है।

आयाकट विकास

महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10.11 लाख हेक्टेयर एवं कृषि योग्य भूमि 7.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। यह समूचा क्षेत्र रायपुर जिले के 12 विकासखण्डों के 1172 ग्राम, दुर्ग जिले के 7 विकासखण्डों के 611 ग्राम, धमतरी जिले के 4 विकासखण्डों के 315 ग्राम तथा महासमुन्द जिले के 1 विकासखण्ड के 48 ग्रामों का क्षेत्र है।

परियोजनावार सिंचाई क्षमता का उपयोग वर्ष 2010–11 एवं 2011–2012

(हेक्टेयर में)

क्र	परियोजना का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषि योग्य भूमि सी. सी.ए.	मौसम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2010–11		वर्ष 2011–12	
						वास्तविक	सृजित	वास्तविक	सृजित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	महानदी परियोजना (सोढूर सहित)	611668	386703	खरीफ	276571	278376	258959	278376	226864
				रबी	-	-	-	-	-
2.	पैरी परियोजना	62631	40489	खरीफ	39741	39741	36870	39741	37006
				रबी	-	-	-	-	-
3.	कोडार परियोजना	27777	21740	खरीफ	16754	16754	16186	16754	16218
				रबी	6718	-	-	-	985
4.	जोंक परियोजना	23523	21281	खरीफ	14569	14569	7860	14569	8100
				रबी	-	-	-	-	-
5.	बलार परियोजना	16741	8152	खरीफ	6880	5567	6064	5567	5966
				रबी	-	-	-	-	-
6.	तांदुला परियोजना	269164	246340	खरीफ	101977	101977	87558	101977	89011
				रबी	40713	-	-	-	-
7.	खपरी परियोजना	4588	6850	खरीफ	4588	-	-	-	-
				रबी	-	-	-	-	-

1– फील्ड चैनल का निर्माणः– वर्ष 2012–13 में फील्ड चैनल निर्माण के लिए 2150.00 लाख रू. का आबंटन उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध सितंबर 2012 तक 995.88 लाख रू. व्यय किए गए तथा 15926 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण के भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2012 तक 9935 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कराया गया है। वर्ष 2011–12 में 3410 स्ट्रक्चर्स भी लगाए जाने से मार्च 2012 तक स्ट्रक्चर्स की कुल संख्या 71651 तक पहुॅच गई है। वर्ष 2011–2012 में कुल 175184 मीटर में लाइनिंग किया गया। अब तक कुल 906059 मीटर की लाइनिंग की जा चुकी है।

2– कृषकों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण :– वर्ष 2012–13 में विकासशील कृषकों के भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 9.84 लाख रूपये का प्रावधान कर 1230 कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3– सहभागिता सिंचाई जल प्रबंधन :– विगत वर्ष 2000–01 से एक नई अभिनव योजना के तहत कृषकों में सिंचाई जल के समानुपातिक वितरण के ध्येय से महानदी आयाकट क्षेत्र में उक्त सहभागिता सिंचाई जल प्रबंध समितियों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2012–13 में 19444 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 175.00 लाख रू. का आबंटन तथा लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2012 तक 6004 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 54.04 लाख रू. का अनुदान संस्थाओं को प्रदान किया गया है। यह राशि संबंधित जल उपभोक्ता संस्था द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर वार्षिक ब्याज राशि से फील्ड चैनल का संधारण किया जाता है।

मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं इसके 42 कि.मी. नीचे कोरबा स्थित बैराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके है। एवं नहर प्रणाली का आंशिक शेष निर्माण कार्य समाप्ति पर है।

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में बांध का शत्–प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 801 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे। परियोजना की पूर्ण सिंचाई क्षमता 255000 हेक्टेयर के विरूद्ध 170 प्रतिशत सिंचाई तीव्रता से 433500 हेक्टेयर विकसित होना प्रस्तावित था।

वर्ष 2011–12 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 247400 हेक्टेयर सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध 221002 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई की गई। वर्ष 2012–13 में हसदेब बांगो परियोजना से 247400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध खरीफ सिंचाई अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार 220260 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है। इस वर्ष परियोजना के दायीं तट नहर के क्षेत्र में 42750 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल (ग्रीष्मकालीन धान) हेतु जल प्रदाय किया जा रहा है।

बहुद्देश्यीय परियोजना द्वारा बांध के नीचे स्थित विद्युत गृहों से 40 मेगावाट की 3 यूनिट द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना से एन.टी.पी.सी., छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, एस.ई.सी.एल तथा बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों के साथ–साथ कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है। इस वर्ष 2012–13 में परियोजना हेतु रू. 29.337 करोड़ का आबंटन उपलब्ध है। परियोजना पर सितंबर 2012 तक कुल रू. 1760.33 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

केलो परियोजना :– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. दूर पर रायगढ़–अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बॉध के निर्माण से रायगढ़ एवं जॉजगीर–चॉपा जिले के (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों की 24396 हेक्टेयर भूमि में से 22810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ–साथ रायगढ़ शहर पेयजल 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के पास स्थापित उद्योग हेतु 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. 598.91 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनॉक 31-03-2014 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 22810 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध योजना में वर्ष 2011–12 तक कोई सिंचाई क्षमता निर्मित नहीं की गई है। वर्ष 2012–13 में 7969 हेक्टेयर तथा शेष 14841 हेक्टेयर वर्ष 2013–14 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यों की भौतिक प्रगति क्रमशः 95 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत माह सितंबर 2012 तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना की लागत रू. 59891 लाख करोड़ है, जिसके विरूद्ध सितंबर 2012 तक कुल राशि रू. 42213.63 लाख व्यय की जा चुकी है।

अध्याय – 9

विद्युत (ऊर्जा)

विगत वित्त वर्ष 2011–2012 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2012–2013 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दु–वार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकाय :–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 12 वर्ष में अर्थात दिसम्बर, 2012 के अंत में बढ़कर 1924.7 मेगावाट हो गई है। इसमें 1780 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	कोरबा पूर्व –II	4 x 50 =200	1966-68
2	कोरबा पूर्व –III	2 x 120 =240	1976-81
3	डॉ. एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह	2 x 250=500	2007
4	कोरबा पश्चिम	4 x 210=840	1983-86
5	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 x 6 =6	2006
II	**जल विद्युत परियोजना –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो	3 x 40=120	1994-95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 x 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सीकासार	2x 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 x 0.85=1.7	2003,2009
	योग	**1924.7 MW**	

छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन में विस्तार के लिए 1500 मेगावाट के संयंत्र निर्माणाधीन है, जिसमें कोरबा पश्चिम विस्तार में 500 मेगावाट की एक इकाई एवं जिला चांपा–जांजगीर के समीपस्थ ग्राम मडवा–तेंदुभाठा में 500 मेगावाट की दो इकाईयॉ स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और इन इकाइयों द्वारा क्रमशः माह फरवरी 2013, मार्च 2013 एवं जून 2013 से व्यावसायिक उत्पादन

संभावित है। इन इकाइयों के स्थापित होने पर राज्य के अपने विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 3424.7 मेगावाट हो जायेगी, जो वर्तमान में स्थापित 1924.70 मेगावाट क्षमता में लगभग 78 प्रतिशत वृद्धि के बराबर होगी।

मंडल ने 2000–01 में कोरबा पूर्व उत्पादन संयत्रों की जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण की योजना बनाई थी जो वर्ष 2004–05 में पूर्ण कर ली गई। कोरबा पूर्व की इकाईयों के जीर्णोद्धार कार्य पूर्णता पर कुल 40 मेगावाट की स्थापित क्षमता में वृद्धि तथा 100 मेगावाट की उत्पादन उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इस कार्य पर मण्डल द्वारा कुल 375 करोड रू. का व्यय किया गया, जिससे कोरबा पूर्व इकाई क्र.1,2,3,4,5 एवं 6 का जीवनकाल 20 वर्ष बढ़ गया है। हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम की रिटर्न केनाल पर 0.85 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत इकाईयों (कुल 1.70 मेगावाट) को क्रमशः दिनांक 12 जनवरी, 2003 को एवं 29 मई, 2009 क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया। गंगरेल में 2.5 मेगावाट क्षमता की चार जल विद्युत इकाईयां स्थापित कर क्रमशः 2 अप्रैल 2004, 29 जून 2004, 17 अक्टूबर 2004 एवं 5 नवबंर 2004 को परिचालित की गई है। 6 मेगावाट क्षमता का कोजन पावर प्लांट कवर्धा में दिनांक 10 अगस्त, 2006 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया गया । सिकासार में 3.5 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत इकाईयों (कुल 7मेगावाट) को दिनांक 03 सितम्बर, 2006 को क्रियाशील कर विद्युत उत्पादन शुरू किया। 2 x 250 मेगावाट कोरबा पूर्व संयंत्र की इकाई क्र.1 एवं 2 को क्रमशः 30 मार्च 2007 एवं 11 दिसम्बर 2007 को परिचालित की गई तथा इन से व्यवसायिक उत्पादन क्रमशः 21 अक्टूबर 2007 एवं 20 मार्च 2008 से प्रारंभ हुआ।

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 20 मार्च, 2008 को छ.रा.वि.म.के (3 x 40 मेगावाट) हसदेव बांगो जल विद्युत गृह को वर्ष 2006–07 के दौरान प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान की गई।

विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 14 दिसम्बर, 2010 को छ.रा.वि.उत्पा.कंम. के (2 x 250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व को वर्ष 2010 के दौरान ऊर्जा दक्षता में प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

निरंतर प्रयास के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाली विद्युत खपत वर्ष 2000 में 10.35 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2011-12 में 9.46 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2000–01 में ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक 65.75 प्रतिशत था। जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 80.82 प्रतिशत हो गया, इस दौरान 12982.778 मिलियन यूनिट (तापीय 12636.648 जलीय 343.780 एवं अन्य सह–उत्पादन 2.35) विद्युत का उत्पादन किया गया, विशिष्ट तेल खपत 0.79 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई, विशिष्ट कोल खपत 0.771 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई, एवं संयंत्र विद्युत खपत 9.46 प्रतिशत हुई।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग 12629 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके एवज में संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 में दिसम्बर 2012 तक 9236.232 मिलियन यूनिट तापीय विद्युत का उत्पादन किया गया है। इसके अलावा 281.460 मिलियन यूनिट जलीय एवं 1.231 मिलियन यूनिट अन्य सह–उत्पादन किया गया।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां वर्ष 2010-11

1. 4x50 मेगावाट कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व की इकाई क्र. 2 द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन 37.828 मिलियन यूनिट (101.69% PLF) माह फरवरी 2011 में हुआ।
2. 4x210 मेगावाट हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की इकाई क्र. 4 द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक प्लांट लोड फैक्टर 100.92% माह फरवरी 2012 में अर्जित किया गया है।
3. 4x210 मेगावाट हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की इकाई क्र. 1 द्वारा सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 1821.91 मिलियन यूनिट (98.77%PLF) हुआ। इसका पिछला वार्षिक कीर्तिमान 1738.84 मिलियन यूनिट 94.52% प्लांट लोड फेक्टर के साथ वित्तीय वर्ष 2009-10 में रहा है।
4. वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 12982.778 मिलियन यूनिट (तापीय 12636.65 मिलियन यूनिट, जलीय 343.780 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 2.3497 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ एवं ताप विद्युत संयंत्रों का वार्षिक PLF 80.82% रहा। गत वर्ष कुल विद्युत उत्पादन 14057.698 मिलियन यूनिट हुआ था।

2. ताप संयंत्र उपयोजन गुणांक (पी.यू.एफ.) :–

ताप विद्युत उत्पादन में संयंत्रों के कार्य निष्पादन की दक्षता को "संयंत्र उपयोजन गुणांक" (प्लान्ट यूटीलाईजेशन फेक्टर, (पी.यू.एफ.) के प्रतिशत के रूप में आंका जाता

है। मंडल के कुशल प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन के परिणाम स्वरुप संयंत्रों के पी.यू.एफ. में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। विचाराधीन वर्ष 2011–12 में मंडल का ताप विद्युत उत्पादन ''संयंत्र उपयोजन गुणांक'' (पी.यू.एफ) 80.82% रहा है।

3. प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 11783.889 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 11441.071 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन द्वारा 341.755 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 1.063 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

4. ईधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2011-12)

विद्युत गृह का नाम	ईधन खपत		विशिष्ट ईंधन खपत	
	कोयला खपत (मीट्रिक टन)	तेल खपत (किलो लीटर)	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
कोरबा पूर्व :–				
विद्युत गृह–2	1313040	2859.38	0.918	1.999
विद्युत गृह–3	1477984	1723.00	0.908	1.058
कोरबा पूर्व संकुल	2791024	4582.38	0.913	1.498
कोरबा पूर्व (2 x 250 मेवा)	-	-	-	-
डॉ.एस.पी. एम ता.वि. गृह	2250077	1120.55	0.715	0.356
कोरबा पश्चिम :–				
विद्युत गृह–1	2491544	1841.81	0.733	0.542
विद्युत गृह–2	2209585	2456.35	0.728	0.810
कोरबा पश्चिम संकुल	4701129	4298.16	0.731	0.668

(II) पारेषण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(1) उपकेन्द्र निर्माण :–

मंडल गठन के वर्ष 2000 की स्थिति में उच्च दाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 27 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 3795 एम व्ही ए थी। जो कि विगत बारह वर्षों में बढ़कर वर्ष 2011–12 के अंत की स्थिति में क्रमशः कुल 72 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 10477.5 एम व्ही ए हो गई है, जो कि बारह वर्षों के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 166 प्रतिशत की तथा क्षमता में 176 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 2010–11 की स्थिति	वर्ष 2011–12 स्थिति
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र	1	1
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	15	15
3	132 केव्ही उपकेन्द्र	52	55
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1
योग		69	72

(2) विद्युत लाईनों का निर्माण :–

पारेषण कंपनी (पूर्ववर्ती मण्डल) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाईनें 5205.46 सर्किट कि.मी. थी वह 12 वर्षों में बढ़कर 2011–12 में 8735.67 सर्किट कि.मी. हो गई है।

पारेषण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2011-12 के दौरान अति उच्च दाब की कुल 619.35 सर्किट कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षान्त की स्थिति में कुल 8735.67 सर्किट कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थीं। इस प्रकार वर्षावधि में 7 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मण्डल गठन से बारह वर्षों की कार्यावधि में 67.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में विद्युत प्रणाली का वोल्टेज अनुपात वर्ष 2011-12 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	31 मार्च 2011 की स्थिति में	वर्ष 2011–12 में वृद्धि	31 मार्च 2012 की स्थिति में	अक्टूबर 2012 की स्थिति में
	अति उच्चदाब लाईनें				
1	400 केव्ही लाईनें	337.91	370.09	708	1030.95
2	220 केव्ही लाईनें	2629.01	156.42	2785.43	2897.43
3	132 केव्ही लाईनें	4789.48	92.76	4882.24	4975.19
4	एचव्हीडीसी. लाईनें	360.00	--	360.00	360.00

(III) वितरण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान पारेषण, उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(1) उपकेन्द्र निर्माण :–

मंडल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए. थी, जो विगत दस वर्षों में बढ़कर वर्ष 2011–12 के अंत की स्थिति में क्रमशः कुल 75951 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 9867 एम.व्ही.ए. हो गई है, जो कि बारह वर्षो के कार्यकाल में उपकेंद्र निर्माण में 154 प्रतिशत की तथा उनकी क्षमता में 231 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 2010–11 की स्थिति	वर्ष 2011–12 स्थिति
1	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	691	734
2	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	69986	75217
योग		**70677**	**75951**

(2) विद्युत लाईनों का निर्माण :–

मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 98858 कि.मी. थी, वह ग्यारह वर्षों में बढ़कर वर्ष 2011-12 में 211390 कि.मी. हो गई है।

मण्डल द्वारा विचाराधीन वर्ष 2011–12 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 13134 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षांत की स्थिति में कुल 211390 कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थीं। इस प्रकार वर्षावधि में 6.62 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मंडल गठन से बारह वर्षो की कार्यावधि में 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य में विद्युत प्रणाली की वोल्टेज अनुपात अनुसार वर्ष 2011–12 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वोल्टेज (के.व्ही.)	31 मार्च 2011 की स्थिति में	2011-12 में वृद्धि	31 मार्च 2012 की स्थिति में
I	उच्चदाब लाईनें			
1	33 के.व्ही. लाईनें	14843	679	15522
2	11 के.व्ही. लाईनें	66500	4543	71043
	कुल उच्चदाब लाईनें	**81343**	**5222**	**86565**
II	निम्नदाब लाईनें			
1	400–230 वोल्ट्स	116913	7912	124825
महायोग :–		**198256**	**13134**	**211390**

(3) सामान्य विकास कार्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष **2011–2012 की उपलब्धि**			
क्रं.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	227
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	556
3	सेवाओं के लिये वितरण लाईन	कि.मी.	495+67 (conversion)
4	सड़क बत्ती हेतु विवरण लाईन	कि.मी.	13.26+4.45 (conversion)
5	सड़क बत्तियाँ (बिन्दु)	संख्या	2734
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1567
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	394
8	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	118298
i)	सिंगल फेस	संख्या	104597
ii)	थ्री फेस	संख्या	13508
9	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	193

(4) आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यों का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में इनर्जी ऑडिट के लिये आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु अगामी वर्ष 2012–13 में रुपये 387 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :–

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	600
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	650
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	80
4	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि	संख्या	65
5	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	1400
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	400

(5) ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में कुल 19744 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2011–12 के अंत की स्थिति में 19196 ग्राम विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2011–12 में कुल 7 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से, मंडल द्वारा एवं 14 ग्रामों का विद्युतीकरण वितरण कंपनी द्वारा तथा 14 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में 35 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। **राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 97.22 प्रतिशत रहा।**

जनगणना 2001 के अनुसार वित्त वर्ष 2011–12 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 548 अविद्युतीकृत ग्राम हैं, 548 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 507 ग्रामों जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, में विद्युतीकरण का कार्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। वनबाधा रहित 41 ग्रामों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

(6) मजरा–टोला विद्युतीकरण :–

जनगणना 1971 के पश्चात राज्य में मजरा–टोलों की संख्या संबंधी वास्तविक जानकारी किसी भी जनगणना विवरण में उपलब्ध नहीं है। अपितु जनगणना 2001 की विवरणी में राज्य में कुल रहवासी क्षेत्रों का उल्लेख अवश्य किया गया है, उसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मजरा–टोलों की संख्या 35,096 अनुमानित है।

विचाराधीन वर्ष में 685 मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे वर्ष 2011–12 के अंत तक की स्थिति में कुल 24190 मजरा–टोला अर्थात् राज्य में 68.92 प्रतिशत मजरा–टोलों का विद्युतीकरण हो गया है। केन्द्र शासन की नीति के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी घरों तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी है, इस हेतु स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 18 जिलों में कार्य प्रगति पर है।

(7) पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददे्श्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं राज्य भाासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत सात वर्षो में (2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11एवं 2011-12) लगभग 202400 नये सिंचाई पंपों

को विद्युतीकृत किया गया है। नई नीति के तहत प्रति पंप हेतु लाईन विस्तार बाबत् कुल खर्च रुपये 50,000/- से बढ़ाकर रुपयें 75,000/- किये गये है, ताकि अधिक से अधिक कृषक लभान्वित हो सके, और किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

वित्त वर्ष 2011–12 में रू. 177.25 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जबकि वर्षावधि में रू. 225.49 करोड़ का दावा राज्य शासन को प्रेषित किया गया। वर्ष 2012-13 हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 177.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(8) किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य भाासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है), जिसके अंतर्गत अल्प वर्षा (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राशि रुपये 60,000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है।

वर्ष 2011–12 में इस योजना के तहत कुल 562 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्षांत तक कुल 14846 नलकूपों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये।

(9) बी.पी.एल. कनेक्शन (एकल बत्ती) :–

राज्य भाासन के निर्देशानुसार प्रदेश के हरिजन, आदिवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल.(एकल बत्ती) कनेक ान की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को जिनके घर, मंडल की विद्यमान निम्नदाब लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर हैं, उनसे सर्विस कनेक ान चार्ज तथा सुरक्षा निधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकल बत्ती) कनेक ान प्रदाय किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 23755 बी.पी.एल. कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2011–12 के अंत तक राज्य में कुल 1327343 (एकल बत्ती) बी.पी.एल. कनेक्शन विद्यमान है, जिन्हें मंडल द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन कनेक्शनधारियों के प्रथम 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य भाासन द्वारा किया जाता है। वर्ष

2012-13 में इस प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 86.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(10) पारेषण एवं वितरण हानियाँ (Transmission and Distribution loss):–

वर्ष 2011–12 में कुल पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिशत 31.27 रहा। जो वर्ष 2010-11 की अपेक्षा 2.40 प्रतिशत कम है। वर्ष 2012–13 में और भी 3 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

वर्शवार पारेषण एवं वितरण हानि का तुलनात्मक विवरण

क्र.	वर्ष	प्राप्त यूनिट (एम.यू.)	खपत यूनिट (एम.यू.)	हानि (एम.यू.)	प्रति ात हानि
1	2002-03	9516.39	6303.42	3213.21	33.77
2	2003-04	10393.77	7223.48	3170.29	30.50
3	2004-05	11736.70	8057.05	3679.65	31.35
4	2005-06	12409.58	8855.79	3553.79	28.63
5	2006-07	13374.32	9441.89	4932.43	29.40
6	2007-08	15035.25	10568.90	4462.22	29.71
7	2008-09	17745.66	12021.45	5724.21	32.26
8	2009-10	17232.11	11311.39	5920.72	34.36
9	2010-11	18302.43	12139.12	6163.31	33.67
10	2011-12	19173.63	13177.89	5995.74	31.27

(11) विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2011–12 के अंत में निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या 35 लाख 51 हजार है। जो वर्ष 2010–11 की तुलना में 6.94 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 23 लाख 29 हजार उपभोक्ता अर्थात् 65.53 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 8.93 प्रतिशत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2011–12 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में एकलबत्ती के 37.39 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 7.68 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2010–11 के अंत में क्रमशः 34.94 एवं 7.44 प्रतिशत था।

(12) विद्युत उपभोग का स्वरुप :–

वर्ष 2011–12 में राज्य की समस्त प्रकार के निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा कुल 13177.00 मि.यू. विद्युत की खपत की गई, जो विगत वर्ष 2010–11 की खपत से 8.55 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का 42.10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली मे से 23.56 प्रतिशत घरेलू, 4.58 प्रतिशत गैर घरेलू, 55.26 प्रतिशत औद्योगिक, 15.82 प्रतिशत कृषि एवं 0.78 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमशः 25.51 प्रतिशत घरेलू, 1.74 प्रतिशत गैर–घरेलू, 37.96 प्रतिशत औद्योगिक, 33.77 प्रतिशत एवं कृषि 0.93 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया।

कुल खपत में से वर्ष 2011–12 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 18.02 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 14.46 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2010–11 में क्रमशः 3.93 एवं 10.16 प्रतिशत थी।

(13) राजस्व संग्रहण :–

वर्ष 2011–12 में राज्य की निम्नदाब उपभोक्ताओं से कुल रुपये 4544.26 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।

(14) बकाया राशि :–

वर्ष 2011–12 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि कुल रुपये 2321.36 करोड़ है, जिसमें 286.58 करोड़ रू. निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 2034.78 करोड़ रू. उच्चदाब उपभोक्ताओं पर बकाया है। कुल राशि का 58.23 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विरुद्ध पाया गया। कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रु. 7.84 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों पर रुपये 65.84 करोड़ रू. एवं 1874.86 करोड़ रू. रेल्वे के विरूद्ध बकाया है।

अध्याय–10
उद्योग

भिलाई इस्पात संयत्र : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र, सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित महारत्न कम्पनी सेल की ध्वजवाहक इकाई है। संयंत्र ने कुशल नेत्रत्व और अथक परिश्रम तथा उपलब्ध संसाधनों के भरपूर उपयोग से बीते वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2011–12 को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के साथ पूरा किया है। संयंत्र ने हॉट मेटल, क्रूड इस्पात और विक्रय इस्पात के उत्पादन तथा विक्रय इस्पात की लोडिंग में भी पिछले सभी कीर्तिमानों को पीछे छोड दिया है। इस संयंत्र को अब तक 10 बार उत्कृष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिये दी जाने वाली प्रधानमंत्री ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है इसके अलावा समय समय पर उत्पादकता, गुणवत्ता, सुझाव, सुरक्षा, पर्यावरण, क्रेडा आदि क्षेत्रों में भी भिलाई का नाम देश में प्रसिद्व है।

वर्ष 2011–12 की अवधि में संयत्र ने 5.13 मिलियन टन हॉट मेटल, 4.90 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.29 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जोकि इन उत्पादों की मापित क्षमता से क्रमशः 9.1 प्रतिशत, 24.9 प्रतिशत व 36.2 प्रतिशत अधिक है। यह एक मात्र संयत्र है जिसने देश में लगातार विगत 19 वर्षों सें विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन अपनी मापित क्षमता से अधिक किया है। वर्ष 2011–12 में संयंत्र ने डिस्पेज के लिए 4.35 मिलियन टन विक्रय इस्पात की लोडिंग की। वर्ष 2011-12 में 7.29 मिलियन टन सिनटर, 5.1 मिलियन टन हॉट मेटल, 4.90 मिलियन टन क्रूड इस्पात, 2.32 मिलियन टन एस. एम. एस.–1 से क्रूड स्टील, 2.58 मिलियन टन एस. एम. एस.–2 से क्रूड स्टील, 5.87 लाख टन मरचेंट प्रोडक्टस, 5.85 लाख टन वायर रॉड्स, 9.09 लाख टन रेल एवं स्ट्रक्चरल, 7.17 लाख टन परिसज्जित (फिनिस्ड) यू. टी. एस.–90 रेल पातों का उत्पादन, 11.95 लाख टन परिसज्जित (फिनिस्ड) प्लेट, 32.76 लाख टन परिसज्जित (फिनिस्ड) इस्पात एवं 42.93 लाख टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन हुआ है। कुल विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन में मूल्यवान विशेष उत्पादन का अंश 64.5 प्रतिशत रहा। संयंत्र के ओर हैंडलिंग प्लांट द्वारा 15.6 मिलियन टन मटेरियल की हैंडलिंग की गई, जिसमें से 7.86 मिलियन टन मटेरियल ओर हैंडलिंग प्लांट में अनलोड किया गया।

वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित मुख्य योजना/कार्य पूर्ण किए गए :–

1. कोकओवन बैटरी नं. 6 का पुर्ननिर्माण (जून, 2011)

2. संयंत्र स्तरीय संसाधनों के साथ जंक्शन हाउस–32 में डस्ट सेप्रेशन सिस्टम की स्थापना की गई इसके फलस्वरूप कार्य पर्यावरण और रूफ टॉप इमिशन में उल्लेखनीय सुधार आया।

3. फरवरी, 2011 में पॉवर प्लांट–1 में संयंत्र स्तरीय आधार पर डेवलपमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बीएफ गैस बर्नर ऑफ बॉयलर नंबर– 3 विथ् न्यू फ्यूल एफिशियंट बर्नर्स को आरंभ कर लिया गया। इस परियोजना को आरंभ किए जाने से लगभग 7200 टन कोल की बचत हुई है वहीं 2000 टन फ्लाई ऐश के जनरेशन में कमी आई है।

प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक परिवेश में अग्रणी रहने हेतु व अधिक से अधिक लाभार्जन के लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र तकनीकी/आर्थिक पैरामीटर में लगातार सुधार करता रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2011–12 में औसत कन्वर्टर लाइनिंग लाईफ 10398 हीट्स एवं लेडल फर्नेंस के द्वारा 14183 हीट्स, प्रति टन क्रूड इस्पात के उत्पादन में अब तक के न्यूनतम 2.994 घनमीटर पानी की खपत, मर्चेन्ट मिल में 92.55 प्रतिशत तथा प्लेट मिल में 91.46 प्रतिशत की सर्वश्रेष्ठ मिल उपलब्धता को अर्जित किया। विषम परिस्थितियों और लागत मूल्यों में वृद्धि के बावजूद संयंत्र ने वर्ष 2011–12 में 2714.75 करोड़ रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वैश्विक मंदी के बावजूद भी यह भिलाई इस्पात संयंत्र का लाभार्जन का लगातार 24 वां वर्ष है जो कि एक विश्व कीर्तिमान है।

वर्ष 2012–13 की योजना

वर्ष 2012–13 के लिए 5.25 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल), 5.0 मिलियन टन अपरिष्कृत स्पात (क्रूड स्टील) व 4.29 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल से सितम्बर 2012 की अवधि तक संयत्र ने 2.69 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल) 2.59 मिलियन टन क्रूड स्टील व 2.21 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया है। जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि (2010–11) के उत्पादन से क्रमशः 5.7%, 8.1%, एवं 6.1% अधिक है। भारतीय रेलवे के लिये 3.95 लाख टन से भी अधिक यूटीएस–90 रेलपातों का उत्पादन किया है। बाजार की आवश्यकता के अनुरूप मर्चेंट, वायर राड्स, प्लेट एवं परिसज्जित फिनिस्ड इस्पात का उत्पादन क्रमशः 3.14 लाख, 3.21 लाख, 5.93 लाख तथा 17.01 लाख टन किया गया।

आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजनाऐं :

इकाईः मिलियन टन प्रतिवर्ष

क्रमांक	सामग्री	वर्तमान मापित क्षमता	विस्तार के बाद क्षमता
1	हॉट मेटल	4.080	7.5
2	कूड इस्पात	3.925	7.0
3	फिनिश्डि इस्पात	2.620	5.85
5	सेमीज	0.533	0.72
6	विक्रय इस्पात	3.153	6.56

विस्तार और आधुनिकीकरण में मुख्य नई इकाईयॉ :

- 7 मीटर उंचाई की नई आधुनिक एनवारयमेंट–फ्रेंडली कोक ओवन बैटरी क्र. 11
- वर्तमान सिंटर प्लांट क्र. 2 का संवर्धन तथा वर्तमान सिंटर प्लांट क्रमॉक 3 में 360 वर्ग मीटर की अतिरिक्त सिंटर मशीन ।
- 4060 घनमीटर के 8000 टन प्रतिदिन की क्षमता का नयी आधुनिक और एनर्जी एफीशियंट ब्लास्ट फर्नेस क्रमॉक 8 ।
- सभी सेकेण्डरी रिफाईनरी और कास्टिंग फेसिलिटी के साथ 4 मिलियन टन क्षमता का नया आधुनिक स्टील मेल्टिंग शॉप क्र. 3 ।
- लांग रेल उत्पादन के लिए 1.2 मिलियन टन क्षमता का नया आधुनिक यूनिवर्सल रेल मिल ।
- 0.9 मिलियन टन क्षमता का नया आधुनिक बार और रॉड मिल ।
- 1.65 मिलियन टन उत्पादन क्षमता के लिए वर्तमान प्लेट मिल की क्षमता का संवर्धन और आधुनिकीकरण।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड, कोरबा :

एल्यूमिना संयंत्र का वर्ष 2011–12 में इनगॉट्स का उत्पादन 8671 मीट्रिक टन, प्रॉपर्जी रॉड्स का उत्पादन 167826 मीट्रिक टन, रोल्ड उत्पादन 69157 मीट्रिक टन हुआ। वर्ष 2012-13 में माह सितंबर 12 तक इनगाट्स का उत्पादन 2785 मीट्रिक टन, प्रॉपर्जी रॉड्स का उत्पादन 90343 मीट्रिक टन, रोल्ड उत्पादन 29736 मीट्रिक टन हुआ।

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमि. उत्पादन (मेट्रिक टन में)
(संदर्भ तालिका क्रमांक–5.1)

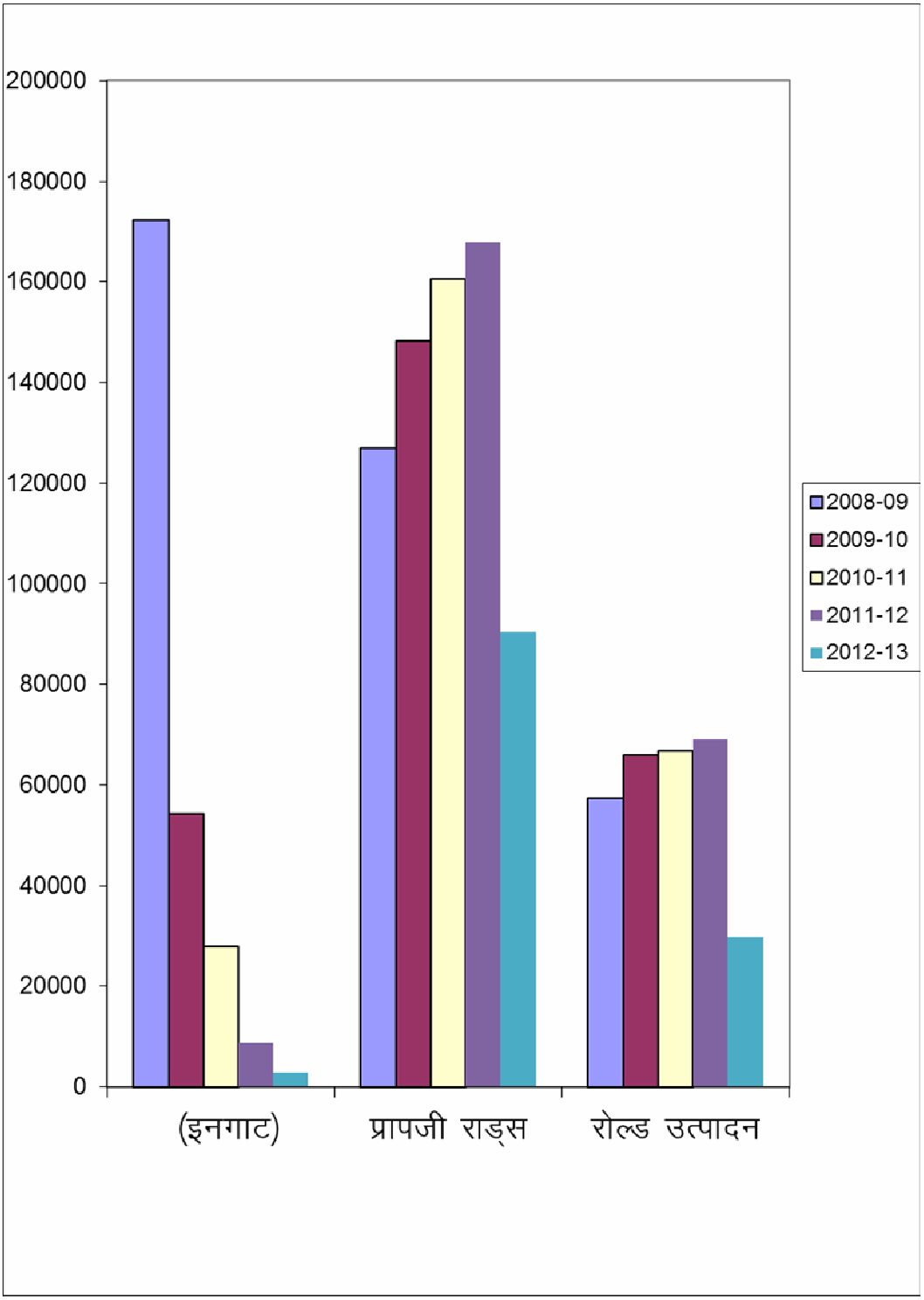

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्ड्रस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है। इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है।

औद्योगिक नीति 2009–14 में राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित योजनाएं :–

1. ब्याज अनुदान :– सावधि ऋण पर ब्याज का 75 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 7 वर्ष तक रू. 60 लाख वार्षिक।
2. पूंजी निवेश अनुदान :– पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 500 लाख।
3. विद्युत शुल्क छूट :– 10 वर्ष से 12 वर्ष तक।
4. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :– स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू.4.00 लाख।
5. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :– किए गए व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लाख।
6. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :– किए गए व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 6 लाख।
7. मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान :– क्रय किए जाने वाले माल पर 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 5 लाख वार्षिक, 5 वर्ष की अवधि तक।

11.अनु. जाति/जनजाति पुरस्कार योजना :– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 1.0 लाख 0.51 लाख तथा 0.31 लाख।

राज्य में स्थापित हो रही प्रमुख औद्यौगिक परियोजनाएं एवं समूह :– स्टील प्लांट, पावर प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट, स्पांज आयरन, कोल वाशरी, रोलिंग मिल्स, शुगर प्लांट्स, इंडक्शन फर्नेस, फेरो एलायज, कोल माइंस, सीमेंट क्लिंकर, पेलेटाईजेशन प्लांट, एच.डी.पी.बी. बेग्स, जल आधारित विद्युत संयंत्र।

टाटा, वेदांता, एस्सार, जी.एम.आर., बिड़ला, लेंको जिंदल, मोनेट, इफको, के.एस. के. ग्रुप, डी.बी. पावर, एन.टी.पी.सी. इत्यादि। छ.ग. राज्य में स्थापित क्षमता में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, एवं नया प्लांट लगा रहे हैं।

निष्पादित एम.ओ.यू. की प्रगति

1. कुल निष्पादित एम.ओ.यू.	142
2. निरस्त किए गए एम.ओ.यू.	21
3. प्रभावी एम.ओ.यू.	121
4. प्रस्तावित पूँजी निवेश	रू. 192000 करोड़
5. वास्तविक निवेश	रू. 30000 करोड़
6. परियोजनाएं प्रारंभ	58
7. वर्तमान में रोजगार	100000

1- परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों का आयोजन एवं जिला स्तर समस्याओं का निराकरण।

2- रायगढ़ जिले में भारत सरकार के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि. को वृहद विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु भू–अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर।

कोर सेक्टर में वार्षिक उत्पादन :– एल्यूमिनियम 3.45 लाख टन, सीमेंट 10.46 मिलियन टन, स्टील 9.5 मिलियन टन, स्पांज आयरन 75 लाख टन, पावर 50000 मेगावाट से अधिक क्षमता की विद्युत परियोजनाऐं विभिन्न चरणों में प्रगति पर।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) की स्थापना राज्य निर्माण के पश्चात वर्ष 2001 में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर को परिवर्तित कर किया गया है।

राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्धन गतिविधियों यथा – प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों के संचालन, पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश वित्त निगम के ऋणों की वसूली, प्रतिवर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव के आयोजन में सहभागिता एवं नई दिल्ली में भारत–अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा राज्य में औद्यागिक निवेश संवर्धन हेतु प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों में राज्य की ओर से भाग लेने तथा प्रतिवर्ष राजधानी रायपुर में राज्योत्सव के आयोजन का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है।

सीएसआईडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं :–

(1) वृहद औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना :– तिल्दा, जिला रायपुर 1730.230 हेक्टेयर, दगोरी, जिला बिलासपुर 795.920 हेक्टेयर, लारा, जिला रायगढ़ 1465.847 हेक्टेयर । वृहद औद्योगिक क्षेत्र दगोरी, बिलासपुर एवं लारा, रायगढ़ हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

(2) लघु औद्योगिक क्षेत्र

(अ) आईआईडीसी तिफरा, जिला बिलासपुर – औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, सिरगिट्टी सेक्टर डी जिला बिलासपुर की स्थापना लगभग 57 हेक्टेयर भूमि पर की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना की लागत रू 18.00 करोड़ है।

(ब) आईआईडीसी कापन, जिला चांपा–जांजगीर – औद्योगिक क्षेत्र कापन की स्थापना लगभग 43 हेक्टेयर भूमि पर रू. 12.50 करोड़ की लागत पर की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रारंभ किया गया है। भू–आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।

(स) आईआईडीसी तेंदुआ, जिला रायपुर – औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ की स्थापना लगभग 21 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना की लागत रू 12.20 करोड़ है।

(द) आईआईडीसी टेकनार, जिला दन्तेवाड़ा – औद्योगिक क्षेत्र टेकनार की स्थापना लगभग 20 हेक्टेयर भूमि पर की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास

यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की लागत रू. 10.86 करोड़ है।

(इ) आईआईडीसी बरतोरी, जिला रायपुर – औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी की स्थापना लगभग 24 हेक्टेयर भूमि पर रू. 15.00 करोड की लागत पर की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास यथा सड़क, नाली, स्ट्रीट लाईट, जलप्रदाय आदि का कार्य प्रस्तावित है। आई.आई.डी.सी. हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

(3) उत्पाद आधारित औद्योगिक पार्क :–

(अ) मेटल पार्क रायपुर – रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूर पर रावांभाठा में स्थापित मेटल पार्क की कुल 87.57 हेक्टेयर भूमि में से फेस–। की 19.93 हेक्टेयर औद्योगिक प्रयोजन की भूमि मेटल डाउनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आबंटन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं जिस पर कुल 247 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत उपलब्ध भू–खण्डों से अधिक मात्रा में पात्र आवेदन प्राप्त होने के कारण भू–खण्डों के उप विभाजन की आवश्यकता के दृष्टिगत् नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ब) इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई – औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में लगभग 121 हेक्टेयर भूमि पर इंजीनियरिंग उत्पाद आधारित इकाईयों हेतु इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना हेतु प्रस्तावित है। आबंटन योग्य भूमि 61 हेक्टेयर है। इस औद्योगिक पार्क में आधुनिक सुविधाएं उपलबध होंगी।

(4) ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2012 (2 एवं 3 नवंबर 2012) :–

छत्तीसगढ़ राज्य को निवेश का बेहतर स्थान के रुप में स्थापित करने एवं राज्य की ब्रांडिंग करने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं से अवगत कराए जाने, निवेश हेतु प्रोत्साहित करने तथा राज्य में नैसर्गिक संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए मानव संसाधन के विकास के लिये वातावरण निर्मित करने हेतु नया रायपुर में दिनांक 2 एवं 3 नवंबर 2012 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें आयोजन में देश एवं विदेश के 500 से अधिक प्रमुख निवेशकों द्वारा भाग लिया गया जिससे कोर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम उद्योगों, इंजीनियरिंग इक्वीपमेंट, आटोमोबाईल एवं आटोमोटिव सहायक उद्योग, खाद्य एवं कृषि

उत्पाद प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन, लघु वनोपज, हर्बल/मेडिसिनल उत्पादों का मूल्य संवर्धन, शहरी अधोसंरचना विकास, नई एवं नवीकरण उर्जा, आई.टी. एवं आई.डी.ई.एस, हैण्डलूम एवं हैण्डीक्रॉफ्ट, फार्मास्यूटिकल एवं बायो टेक्नॉलाजी, हेल्थकेयर एवं मेडिकल टूरिज़्म में निवेश हेतु निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया।

दिनांक 2 एवं 3 नवंबर 2012 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में देश एवं विदेशों से निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दिनांक 3 नवंबर 2012 की स्थिति में एम.ओ.यू. के 137 प्रस्ताव तथा निवेश अभिरुचि के 135 इस प्रकार कुल 272 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें रु. 1,23,953 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिससे 6,21,670 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मीट के दौरान बने वातावरण से नवंबर 2012 से आज तक कुल 410 एम.ओ.यू. और ई.ओ.आई. निष्पादित किये जा चुके हैं जिनमें लगभग रुपये 1,60,000 करोड़ के पूंजी निवेश से 10,00,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इस प्रकार आयोजन प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इससे राज्य के नागरिकों को निश्चित ही लाभ होगा एवं रोजगार के अवसर निर्मित होंगे एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नयन होगा।

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछ़ड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रे ाम प्रजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है।

1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध हैं वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्वस्थ्य डिंब समूह रियायती दर पर 1.00 रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ्य डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है प्रत्येक

फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 550 रू. से 950 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। उक्त योजना प्रदेश के 17 जिलों में संचालित 127 टसर केन्द्रों एवं टसर परियोजना के 151 केन्द्र, चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2011-12 में 635.237 लाख नग टसर पालित कोसा उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध उत्पादन 587.012 लाख नग ककून का उत्पादन हुआ तथा योजनान्तर्गत 16962 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2012-13 में टसर पालित कोसा उत्पादन का भौतिक लक्ष्य 700.15 लाख नग के विरूद्ध माह सितम्बर 2012 तक 160.196 लाख का उत्पादन किया गया जिससे 10466 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2011-12 में विभागीय प्रक्षेत्र में कुल 4324.56 हेक्टेयर, वन क्षेत्र के अंतर्गत 9787 हेक्टेयर, रेशम परियोजना के अंतर्गत 2046 हेक्टेयर पौधारोपण युक्त क्षेत्र है। इस प्रकार कुल 16157 हे. क्षेत्र में टसर योजना संचालित की जा रही है। जिसमें से कुल 12069 हे. का उपयोग के लिए चयन किया गया है।

विगत वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	**विवरण**	**इकाई**	**07-08**	**08-09**	**09-10**	**10-11**	**11-12**	**12-13 (sept12)**
1.	पालित टसर	लाख नग में	457.10	434.98	438.69	418.96	578.01	160.19
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	18991	20067	19511	20596	16962	10466

2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :–

वर्ष 2010-11 में नैसर्गिक ककुन उत्पादन 1210 लाख नग के लक्ष्य के विरूद्ध 870.08 लाख ककून (72%) का अनुमानित संग्रहण कर 38802 संग्रहक हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। वर्ष 2011-12 में नैसर्गिक ककुन उत्पादन 1392 लाख नग के लक्ष्य के विरूद्ध 1636.26 (118%) लाख ककुन का अनुमानित संग्रहण कर 52366 संग्राहक हितग्राही (35% grouth over last year) लाभान्वित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 में नैसर्गिक टसर ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 2435 लाख नग के विरूद्ध माह सितंबर 12 तक कुल 1030.87 लाख नग उत्पादन किया गया जिससे 35056 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

विगत वर्षों में नैसर्गिक, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13 (सितं. 12)
1.	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग में	586.74	754.51	809.16	870.08	1636.27	1030.87
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	33716	43761	44276	38802	52366	35056

टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 853 रीलिंग एवं 253 स्पीनिंग मशीन संचालित हैं। योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 1058 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 167.92 मि.टन रा–स्पन सिल्क उत्पादन किया गया है। वर्ष 2011-12 में सॉख्यिकी आधार पर 298.60 मि.टन. रा–स्पन सिल्क उत्पादित किया गया। तथा वर्ष 2012-13 में सॉख्यिकी आधार पर माह सितम्बर 2012 तक 178.68 मि.टन रा–स्पन सिल्क का उत्पादन किया गया।

विगत वर्षों में रॉ–सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण

क्र	विवरण	इकाई	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13 (सितं 12)
1.	टसर रा–सिल्क एवं स्पन धागा	कि.ग्रा.	126298	146265	160534	167919	298608	178679

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रेशम प्रभाग में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि एवं हितग्राहियों को सहायता :–

क्र.	वर्ष	बीज कृमिपालक को सहायता	व्यावसायिक कृमिपालक को सहायता	निजी अण्डा उत्पादक	मलबरी कृषक को सहायता	ईरी एवं मलबरी कृषक को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2007–08	100	1000	40	100	0	1240
2.	2008–09	200	700	0	100	150	1150
3.	2009–10	200	500	40	60	210	1010
4.	2010–11	200	500	40	100	0	840
5.	2011–12	–	–	–	–	–	–

क्र.	वर्ष	टपक सिंचाई योजना हेक्टेयर में	ग्रेनेज भवन (टसर ग्रेन्यूअर)	रियेरिंग हाउस मलबरी	सी.आर.सी.	पी.पी.सी. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2007–08	30	40	75	0	5
2.	2008–09	100	0	50	05	5
3.	2009–10	60	0	60	05	0
4.	2010–11	20	0	0	02	3
	योग	**210**	**40**	**185**	**12**	**13**

ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

राज्य गठन के पश्चात प्रथम बार प्रायोगिक रूप से जशपुर, सरगुजा बस्तर एवं कांकेर जिले में अरंडी का पौधा रोपित किया जाकर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया। सफलता को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा क्षेत्र रायगढ़ के धरमजयगढ़ में भी वर्ष 2009–10 से भी किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में कुल 49000 कि.ग्रा. भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध कुल 4354 कि.ग्रा. ईरी ककून का उत्पादन किया गया था, जिससे कुल 488 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2011–12 में कुल 35100 कि.ग्रा. भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध कुल 2780 कि.ग्रा. ईरी ककून का उत्पादन किया गया है, जिससे 333 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2012–13 में ईरी ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 14900 कि.ग्रा. के विरूद्ध माह सितंबर 12 तक कुल 129 कि.ग्रा. ईरी ककून उत्पादन किया गया। जिससे 216 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। ईरी रेशम का प्यूपा खाने के उपयोग में लाया जा सकता है एवं मछली हेतु खाद्य आहार भी तैयार किया जा सकता है।

विगत वर्षों में ईरी ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13 (सितं12)
1.	इरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	4370	6127	7948	4354	2780	129
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	578	370	728	488	333	216
3.	पौधरोपण क्षेत्र	एकड़	187	99	224	1190	186	177

ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जा सकती है एवं प्रति हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–9000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : प्रदेश में 72 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 09 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित हैं। वर्ष 2011–12 में कुल 52340 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन कर 1639 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में सितम्बर 2012 तक 10312 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन कर कुल 1687 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13 (सितं12)
1.	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	41632	36224	35125	44484	52340	10312

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 17100 करघों पर लगभग 52000 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के चांपा–जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगॉव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य का कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है।

(1) हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियॉ कार्यशील करघे एवं बुनाई रोजगार :– वर्ष 2009–10 से 2011–12 की स्थिति

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति			
		2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1	बुनकर समितियॉ	155	158	167	175
2	कार्यशील करघे	15800	16300	16690	17367
3	बुनाई रोजगार	47400	48900	50070	52101

(2) शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना के माध्यम से हाथकरघा बुनकरों को नियमित रोजगार :– वर्ष 2010–11 से 2011–12 की स्थिति में

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति		
		2010-11	2011-12	2012-13 (सितंबर)
1.	वस्त्र मॉग आदेश	172.57	141.32	117.00
2.	आपूर्ति	157.24	80.32	86.99
3.	धागा प्रदाय	69.44	29.01	16.17
4.	बुनाई पारिश्रमिक	38.96	16.29	12.42
5.	बुनाई रोजगार	18000	22000	24000

(3) नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी :– नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो का आयोजन प्रदेश एवं देश के बड़े शहरों में किया जाता है। योजना के तहत् विगत वर्षों में रायपुर, बिलासपुर, कलकत्ता, बम्बई, देहरादून, शिमला, दिल्ली, नैनीताल, अहमदाबाद, नासिक आदि विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया। वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक आयोजित प्रदर्शनी विवरण

वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2008-09	29.99	9.00	38.99	290.00
2009-10	51.68	56.00	107.68	550.05
2010-11	52.53	96.00	148.89	736.85
2011-12	60.00	106.00	166.00	603.38
2012-13	60.00	372.00	432.00	-

(4) कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना :– योजनांतर्गत आमगांव, विकास खण्ड छुरिया, जिला राजनॉदगॉव में कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से लगभग 200 स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।

(5) एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :– एकीकृत हाथकरघा विकास योजना बुनकरों के समग्र विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त योजनांतग्रत प्रदेश के 10 क्लस्टर जिला रायपुर में मूंगझर, कटगी, जिला राजनांदगॉव में छुईखदान, जिला जांजगीर में चांपा एवं चन्द्रपुर, जिला रायगढ़ में रायगढ़, जिला जगदलपुर में बकावण्ड, जिला महासमुन्द में सल्डीह, भंवरपुर एवं जिला बिलासपुर में लोफंदी स्वीकृत है। उक्त क्लस्टर योजनांतर्गत कुल राशि रू. 573.98 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। इस योजनांतर्गत 4160 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

(6) बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना :– योजनांतर्गत बुनकरों द्वारा वार्षिक प्रीमियम में प्रतिवर्ष राशि रू. 50/– अंशदान दिया जाता है। बीमित बुनकर को प्रतिवर्ष अधिकतम राशि रू. 15000 तक की स्वास्थ्य लाभ की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2010–11 में 3815 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा किया गया था। वर्ष 2011–12 में माह नवंबर तक 4788 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए 7000 बुनकरों का बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– भारत सरकार ने 31-03-2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एक में मिलाकर, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र और बैंक करेंगे। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना।
4. कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः– यह योजना वर्ष 2008-09 से भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। ग्रामोद्योग 20000 तक आबादी वाले ग्रामों में स्थापित की जाती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों से ऋण व बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में 25.00 लाख तक अनुदान देय होता है।

पात्रता :–

1. हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
2. योजना में आय का कोई बंधन नहीं है।
3. व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र में राशि रू. 10 लाख एवं निर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है।
4. लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
5. स्व–सहायता समूह जो अन्य किसी योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
6. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं।
7. कोई भी उत्पादन सहकारी समिति।
8. दानदाता न्यास।

वर्ष 2011-12 में 292 इकाई में रू. 832.79 लाख अनुदान में 2920 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। उस लक्ष्य के विरूद्ध 600 इकाई स्थापित की जाकर रू. 1181.52 लाख के अनुदान वितरण से 3374 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में 581 इकाई में रू. 1337.06 लाख के अनुदान वितरण लक्ष्य में से रू. 434.37 लाख अनुदान राशि का वितरण किया जाकर 1355 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसमें स्वीकृत ऋणी उद्यमी को 15 दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर आयोग मान्य स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे–छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के सभी जिले में वर्ष 2011-12 में 3914 इकाईयों में रू. 415.20 लाख अनुदान का लक्ष्य रखा जाकर 7828 लोगों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के विरूद्ध 5905 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी तरह वर्ष

2012-13 में योजनांतर्गत 3152 इकाई का लक्ष्य में 423.00 लाख रू. अनुदान राशि से 6304 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

कारीगरों को प्रशिक्षण योजना :– वर्ष 2011-12 में रू. 28.86 लाख का बजट आबंटन से 1620 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2012-13 में रू. 33.00 लाख से 648 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसंबर 2012 तक रू. 22.043 लाख से 438 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

विभागीय खादी उत्पादन :–खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 9 सूत इकाई बुनाई केन्द्र स्थापित है जहां 630 ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है जिसमें 240 कारीगर बुनकर कार्य में लगे है। वर्ष 2011-12 में रू. 146.58 लाख का खादी उत्पादन किया गया है। तथा वर्ष 2012-13 में रू. 200.00 लाख के खादी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध माह दिसंबर 2012 तक रू. 106.52 लाख का खादी उत्पादन हो चुका है। इन केन्दों द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री विभागीय 3 संचालित बिक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है।

बांसकला केन्द्र :– राज्य बस्तर जिले में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 40 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है। वर्ष 2011-12 में रू.8.16 लाख के बांस शिल्प का उत्पादन किया गया। पूर्व स्टाक को मिलाकर कुल 7.65 लाख के बांस शिल्प का विक्रय किया गया। वर्ष 2012-13 में रू. 10.00 लाख का उत्पादन एवं रू. 12.00 लाख का विक्रय लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध उत्पादन रू. 9.93 लाख एवं विक्रय रू. 10.27 लाख हो चुका है।

अध्याय–11

खनिज

छत्तीसगढ़ की धरती औद्यौगिक खनिजों से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिजों की गुणवत्ता तथा खनिजों के भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2011-12 में लगभग रू. 15777.45 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ। वित्तीय वर्ष 2011-12 में खनिजों से राज्य शासन को रू. 2737.25 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ जो विगत वर्ष की तुलना में रू. 275.79 करोड़ अधिक है। वर्ष 2012-13 में दिसम्बर 2012 तक रू. 2156.40 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों की बहुलता एवं विविधता है। बैलाडीला का विख्यात लौह अयस्क भण्डार के साथ अभी कवर्धा जिले में अतिउत्तम ग्रेड का लौह अयस्क भण्डार प्राप्त हुआ है। प्रदेश में कोयला, बाक्साइट, चूनापत्थर, एवं डोलोमाइट का बाहुल्य तो है साथ ही सामरिक महत्व में टिन अयस्क का पूरे राष्ट्र में छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है।

बॉक्स क 11.1

वर्ष 2011–12 में खनिज अन्वेषण कार्यों की उपलब्धियॉं

लौह अयस्क	जिला कोण्डागांव	पावारास–कचौरा क्षेत्रों में 51.69 लाख टन भंडार अनुमानित।
बाक्साइट	जिला सरगुजा	सरभंजा/डांडकेसरा क्षेत्रों में 4.00 लाख टन भण्डार अनुमानित।
		जिला महुआरी टिकरा में बाक्साइट के नये क्षेत्र चिन्हित।
	जिला कबीरधाम	दरई क्षेत्र में 3.25 लाख टन अनुमानित।
कोयला	जिला कोरबा	सैला क्षेत्र में पूर्व से ही पूर्वेक्षण कार्य फलस्वरूप 511.15 लाख टन कोयले के अतिरिक्त भण्डार का अनुमान। विभागीय कार्य से भण्डारों में वृद्धि होगी
	जिला रायगढ़	गारेपेलमा क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य से 140.00 लाख टन भंडार अनुमानित।
लाईमस्टोन	जिला बस्तर	ग्राम चीतापुर/रायकोट क्षेत्रों में 10 लाख टन भण्डार प्राप्त होने का अनुमान।
	जिला रायपुर	ग्राम देवगांव–कुर्रा में पूर्वेक्षण कार्य से 179.8 लाख टन चूना पत्थर के भण्डार प्रमाणित तथा 680 लाख टन भण्डार अनुमानित।
	जिला कबीरधाम	ग्राम बरोदा में सर्वेक्षण के दौरान नये चूनापत्थर के क्षेत्र प्राप्त।
ग्रेनाइट	जिला कांकेर बस्तर,कोण्डागॉव	जिलों के गेरावडी/मुरवेंड तथा चरामा/लखनपुरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान कटिंग पॉलिशिंग युक्त ग्रेनाईट के 8 नये क्षेत्र ज्ञात, जिसमें 28 लाख घनमीटर काला ग्रेनाइट (ब्लैक ग्रेनाइट) के क्षेत्र सीमांकित किए गए हैं।

(संदर्भ तालिका क्र 5.2)

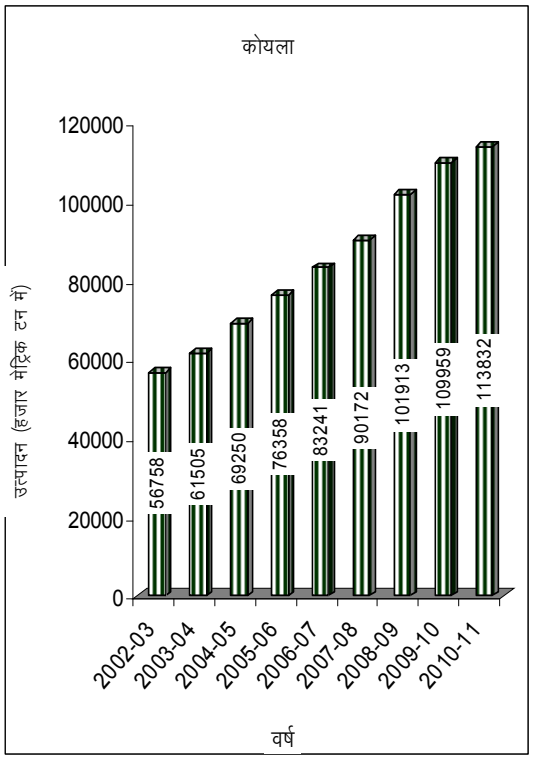

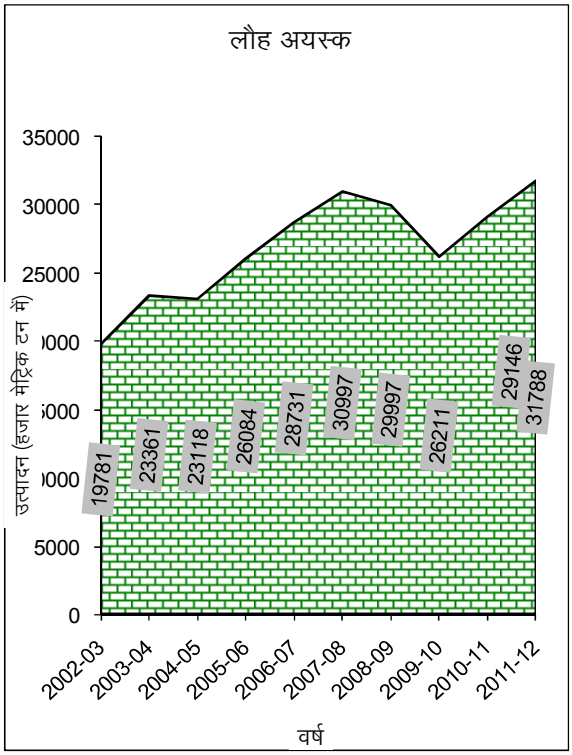

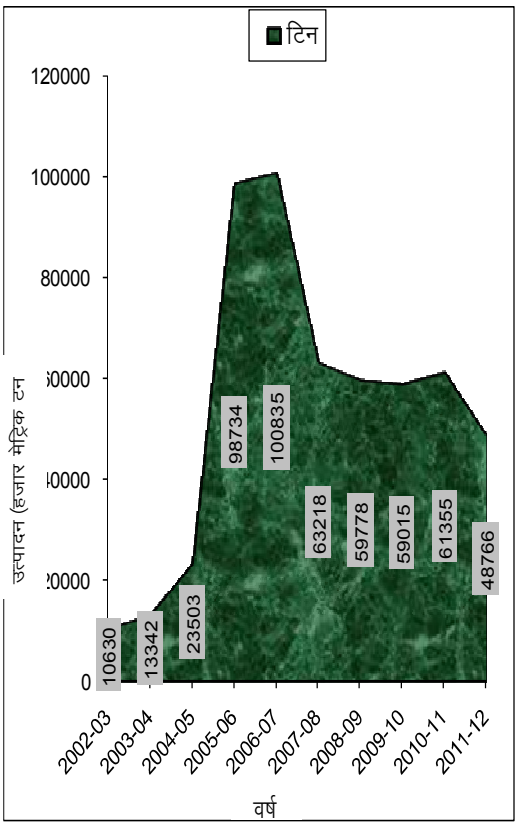

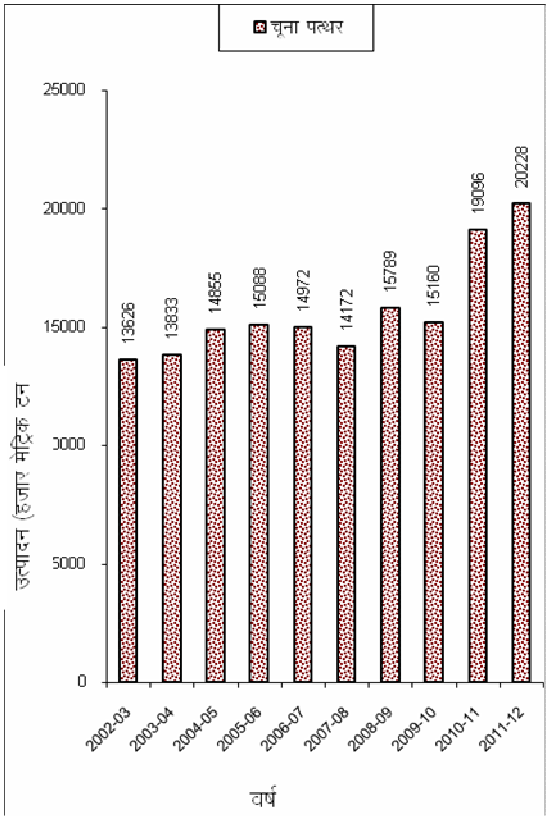

खनिज अन्वेषण कार्य :– वित्तीय वर्ष 2011-12 में 3273 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 130 घनमीटर पिटिंग तथा 5263 मीटर ड्रिलिंग की गई। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 5214 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 28210 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

गौण खनिजों का उत्पादन :–वर्ष 2011-12 में राज्य में रू. 33495.06 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज का प्रकार	उत्पादन मात्रा (टन में)	उत्पादन मूल्य (लाख रूपयों में)
पत्थर	2817969	2895
मिट्टी	1858016	2603
मुरूम	3129286	2398
फर्शी पत्थर	38357	104
ग्रेनाईट (घन मीटर)	43	1
चूना पत्थर	14949883	25493

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत अंशपूँजी राज्य सरकार की है। सी.एम. डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी. सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

सी.एम.डी.सी. को कोल ब्लॉक्स का आबंटन :– भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा सी. एम.डी.सी. को पांच कोल ब्लॉक्स क्रमशः तारा, शंकरपुर (भटगांव–II) एण्ड एक्सटेंशन, सोंढिया, गारेपेलमा सेक्टर–1 एवं चेण्डीपाड़ा – II आबंटित किए गए हैं। चार कोल ब्लॉक (गारेपेलमा सेक्टर –1 को छोड़कर) के विकास, दोहन एवं वितरण हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया जा चुका है तथा पॉचवे कोल ब्लॉक (गारे–पेलमा सेक्टर–I) के विकास एवं दोहन हेतु उपर्युक्त खनन पद्धति के संबंध में सी.एम.डी.सी. द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जावेगा। उपर्युक्त कोल ब्लॉकों में से शंकरपुर कोल ब्लॉक को भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा दिनॉक 30.11.2012 को डि–एलोकेट कर दिया गया है।

अध्याय–12

परिवहन सुविधाएँ

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिवहन के कमी के परिणाम–स्वरूप सड़क परिवहन के प्रमुख संसाधन मालयानों तथा यात्रीयानों का आन्तरिक परिवहन संचालन व्यवस्था में अपना एक विशिष्ठ स्थान है।

मार्च 2010-11 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 2766 हजार थी जो मार्च 2012 में बढ़कर 3099 हजार हो गई है। इस प्रकार कुल पंजीकृत वाहनों में 12.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कार एवं जीप में 15.89 प्रतिशत, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड में 11.65 प्रतिशत, यात्री वाहन में 8.16 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 14.88 प्रतिशत परिलक्षित हुई है।

वर्ष 2011–12 में शुल्क एवं मोटर यानों पर देय कर आदि से 508.88 करोड़ रू. राजस्व संग्रहण किया गया था, जो गत वर्ष 2010–11 में अर्जित राजस्व 426.74 करोड़ रू. से लगभग 19.25 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012–13 में शुल्क एवं मोटर यानों देयकर आदि से सितंबर 2012 तक 274.96 करोड़ रू. राजस्व संग्रहण किया गया है। विगत वर्ष इसी अवधि में 220.57 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ था।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थापित (म.प्र.रा.स.प.नि) एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम 31.12.2002 तक कार्यरत था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निगम को समाप्त कर परिवहन क्षेत्र में निजीकरण किया गया है। इसके कारण राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन में वृद्धि हुई है। पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक नये समझौता सम्पन्न किए गए हैं। वाहन रजिस्ट्रीकरण एवं चालक लायसेंस हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का क्रियान्वयन अंतिम चरण में है। केन्द्र सरकार के योजनानुसार प्रत्येक वाहनो में हाई सिक्योरीटी रजिस्ट्रे ान प्लेट लगाने की योजना है यह योजना भी अंतिम चरण में है। राज्य के सीमावर्ती स्थानों में पाटकोहेरा, खम्हारपाली एवं धनवार में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटोयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जहॉ परिवहन विभाग के साथ–साथ वाणिज्य, वन, खनिज, कृषि विभाग के अधिकारी एक ही स्थान पर चेकिंग का कार्य सम्पादित करेंगे, इससे अंतराष्ट्रीय परिवहन में सुगमता आयेगी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं 16 मैदानी परिवहन कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण योजना पूर्ण हो चुकी है। वाहन चालक लायसेंस एवं वाहन के पंजीयन किताब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना से पंजीयन किताब एवं लायसेंस एक चिप्स युक्त कार्ड दिया जायेगा इससे वाहन स्वामी को डूप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों से मुक्ति मिलेगी।

सड़कें एवं पुल

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2011-2012 में 1837 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 61 वृहद पुलों एवं 14 मध्यम पुलों का निर्माण किया गया और 161 वृहद पुल एवं 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज प्रगति पर हैं। वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक 711.23 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया एवं 27 वृहद पुलों एवं 10 मध्यम पुलों का निर्माण पूरा किया गया तथा 148 वृहद पुल कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2011-12 में कुल राशि रू. 2356.94 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू. 1346.21 करोड़ रू. का व्यय किया गया। वर्ष 2012-13 में माह सितम्बर तक रू. 3222.97 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध रू. 595.88 करोड़ व्यय किये गये है।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेन्ट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं जिला मार्गों जिनकी लंबाई कुल 1188 कि.मी. के उन्नयन/पुर्ननिर्माण का कार्य किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. 1266 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 1171 कि. मी. सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण हो चुका है।

महत्वपूर्ण सड़कों के विकास हेतु एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से द्वितीय लोन प्राप्त कर 15 मार्ग लगभग 916 कि.मी. सड़कों के उन्नयन हेतु रू. 2355.00 करोड़ की नई योजना पर कार्यवाही की जा रही है।

बायपास मार्ग :– बायपास मार्ग के अंतर्गत 2011-12 में पॉच नग बायपास कोनी मोपका, अंबिकापुर शहर, सकरी से तुर्काडीह, राजनॉदगॉव बायपास मार्ग, रामानुजगंज रिंग रोड का निर्माण प्रगति पर थे। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 02 नग बायपास मार्ग (सकरी से तुर्काडीह–अंबिकापुर शहर के चारों ओर रिंग रोड) पूर्ण किए गए तथा 06 नग बायपास मार्ग प्रगति पर हैं।

रेल्वे ओव्हरब्रिज के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में उसलापुर बिलासपुर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का कार्य पूर्ण किया गया एवं 05 नग रेल्वे ओव्हर ब्रिज प्रगति पर थे। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रायगढ़ शहर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज, जोरा सड्डू धनेली मार्ग में टेकारी ब्रिज

तथा डोंगरगढ़ में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा 04 नग प्रगति पर है।

आर्थिक एवं अंर्तराज्यीय महत्व की सड़क योजना अंतर्गत कुल 1 कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2012-13 में इस वर्ष 09/2012 तक रू. 1.04 करोड़ व्यय किया गया है।

एल.डब्लू.ई. योजनांतर्गत केन्द्र भाासन को 49 सड़क कार्यो के रू. 2726.62 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 06 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 28 कार्य प्रगति पर हैं। शेष 12 कार्यों के लिए निविदा कार्यवाही प्रगति पर है।

बाक्स न–12.1

वर्ष 2012–13 में पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन कार्यों की जानकारी

- कोरबा में आई.टी. कॉलेज का निर्माण (प्रथम फेस) कार्य लागत रू. 24.80 करोड़।
- द्वारका नई दिल्ली में ट्रायबल यूथ हॉस्टल निर्माण कार्य लागत रू. 14.25 करोड़।
- नारायणपुर में जिला कार्यालय का निर्माण कार्य लागत रू. 8.99 करोड़।
- जिला दुर्ग में 20 नग अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण लागत रू. 6.66 करोड़।
- बीजापुर में कम्पोजिट कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण लागत रू. 10.37 करोड़।
- कवर्धा में एक नग नवीन विश्राम भवन का निर्माण लागत रू. 2.35 करोड़।
- विधानसभा परिसर में बैडमिन्टन एवं अन्य इंडोर गेम का निर्माण लागत रू. 2.00 करोड़ ।

विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण भवन कार्य जो प्रगतिरत हैं

- जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण लागत रू. 98.00 करोड़।
- रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण लागत रू. 83.43 करोड़।
- हाईकोर्ट आवासीय भवन, बिलासपुर का निर्माण लागत रू. 59.44 करोड़।
- जंगलवार फेयर कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. 29.53 करोड़।
- जांजगीर में पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. 6.45 करोड़।
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय भवन कार्य वर्ष 2011-12 में 182 भवन कार्य पूर्ण किए गए थे, तथा 402 कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो हेतु वर्ष 2011-12 में रू. 497.36 करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. 165.35 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यो पर सितंबर, 2012 तक रू. 554.81 करोड़ आबंटन के विरूद्ध 83.01 करोड रूपये व्यय कर 112 भवन पर्ण एवं 447 भवन के कार्य प्रगति पर हैं।

अध्याय–13

श्रम एवं रोजगार

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

1. कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत औषधालयों की संख्या 22 है तथा 20 नये औषधालयों को आरंभ करने की कार्यवाही की जा रही है।
2. वर्ष 2011 में पतरापाली, तराईमाल, टेडेसरा तथा चौबे कॉलोनी रायपुर में एक–एक औषधालय (कुल 4) आरंभ किए गए। 01-04-2012 को बैकुंठ (तिल्दा), मंदिरहसौद, धमतरी, रसमड़ा में एक–एक (कुल 4) आरंभ किए गए।
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा भिलाई, रायपुर तथा कोरबा में एक–एक अंतः रोगी चिकित्सालय (100 शैय्यायुक्त) आरंभ करने की स्वीकृति दी गई है। चिकित्सा के निर्माण तथा संचालन पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन केन्द्रीय शासन के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया जावेगी।
4. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित हितग्राहियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा हितलाभ राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शेष अन्य हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

राज्य औद्यौगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ :– वित्तीय वर्ष 2011-12 (800)– अन्य प्राप्तियॉ अर्थदंड की राशि में 14465000/– की राजस्व वसूली ही प्राप्त हो सकी है। प्रदेश में स्थापित समस्त श्रम न्यायालयों से अर्थदंड की मासिक राशि प्राप्त होती है। चूँकि प्रदेश में स्थापित श्रम न्यायालयों में श्रम न्यायाधीशों की कमी एवं स्टाफ की कमी होने के कारण अनुमानित वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। साथ ही नकल शुल्क (0414) में राशि रू. 32000/- के लक्ष्य के विरूद्ध रू. 22000/- ही नकल शुल्क वसूला जा सका।

रोजगार एवं प्रशिक्षण

प्रशिक्षण पक्ष–

भारत शासन द्वारा 1950 में शिक्षित बेरोजगारों को उद्योगो में रोजगार एवं स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना प्रारंभ किया गया।

योजना का मुख्य उद्देश्य :–

1. उद्योंगो के लिए कुशल कारीगरों की लगातार पूर्ति करते रहना ।
2. शिक्षित बेरोजगारों को योग्य प्रशिक्षण देकर औद्योगिक रोजगार के उपयुक्त बनाना, इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारी कम करना ।
3. सुरक्षा सेना से वापस आने वाले भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास में आवश्यकतानुसार मदद देना ।
4. ग्रामीण पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचति जन जाति, अपंग एवं महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, जिससे वे रोजगार के अवसर पा सकें एवं स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकें।

राज्य गठन के समय 13 जिलों में 44 संस्थायें संचालित थी। राज्य गठन उपरान्त तकनीकी शिक्षा के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 74 नई संस्थायें प्रारंभ की गई। इस प्रकार वर्तमान में 27 जिलों में कुल 118 संस्थायें संचालित है। साथ ही उपलब्ध अधोसंरचना (भवन) के पूर्ण उपयोग की दृष्टि से संचालित संस्थाओं में आधुनिक तकनीकी पर आधारित अतिरिक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। राज्य शासन द्वारा वित्तीय उपलब्धता एवं तकनीकी कौशल के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 तक आई.टी.आई. विहीन समस्त विकासखण्डों में आई.टी.आई. प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रशिक्षण सुविधा :– राज्य गठन के समय संचालित संस्थाओं में विभिन्न व्यवसाओं में प्रशिक्षण हेतु 5960 सीटें उपलब्ध थी वह वर्ष 2012–13 में बढ़कर 20348 हो गई। इस प्रकार विगत वर्षो में संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा में लगभग चार गुना वृद्धि हुई।

सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस :– उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व स्तरीय कुशल कामगार तैयार करने बहुकौशलीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 22 संस्थाओं का सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया गया है, जिसमें 09 संस्थायें क्रमशः बस्तर, डौंडीलोहारा, कोरबा, गौरेला, गीदम, महिला कांकेर, केशकाल, गरियाबंद एवं अंबिकापुर आदिवासी क्षेत्र में संचालित है।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनांतर्गत संस्थाओं का उन्नयन :–पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनांतर्गत 2012–13 तक विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 41 संस्थाओं के उन्नयन हेतु सहमति दी गई। जिनमें मेसर्स जिंदल पावर एंड स्टील रायगढ़, भिलाई इस्पात संयत्र भिलाई, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड कोरबा (एनटीपीसी), एसीसी जामुल आदि प्रमुख है। योजनांतर्गत संस्थाओं के उन्नयन के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रति संस्था रू. 2.50 करोड़ ब्याज रहित दीर्घकालिक अग्रिम प्रदान किया गया है।

अधोसंरचना का विकास :– राज्य गणन के पश्चात् राज्य योजनांतर्गत 41 संस्था भवन, केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु 18 अतिरिक्त भवन निर्माण एवं 04 कन्या छात्रावास भवन का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 में 26 छात्रावास भवन (04 बालिका एवं 22 बालक) तथा 06 संस्था भवन निर्माण के लिए 10.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

स्किल डेव्हलपमेंट इनीशियेटिव (SDI) योजना :– केन्द्र शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ की गई ''स्किल डेव्हलपमेंट इनीशियेटिव (SDI) योजना'' के अंतर्गत संस्थाओं/कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों/उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स, निजी एवं शासकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मियों, आईटीआई के छात्रों, शाला त्यागी बच्चों, आदि के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) नई दिल्ली के द्वारा अनुमोदित नवम्बर 2012 की स्थिति में लघु अवधि के लगभग 1450 (MES) कोर्सेस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन के 79 Vocational Training Provider (VTP) के रूप में पंजीकृत संस्थाओं में 5000 हितग्राही प्रशिक्षित तथा प्रमाणित हो चुके हैं तथा 1200 से अधिक प्रशिक्षणार्थी विभिन्न MES कोर्सेस में प्रशिक्षणरत हैं।

अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल कक्षायें :– सेंटर आफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षणार्थियों को विश्वस्तरीय कामगार के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से उन्हे अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है ताकि वे राज्य के बाहर एवं विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर कार्य करने में सक्षम हो सकें। इस उद्देश्य से राज्य की संस्थाओं में अंग्रेजी प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है।

प्लेसमेंट सेल की स्थापना :– प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षणोपरान्त नियोजन एवं ट्रेसर स्टडी के उद्देश्य से 05 संस्थाओं क्रमशः रायपुर, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर एवं बस्तर में प्लेसमेंट सेल की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रमुख उपलब्धियॉ योजनायें :–

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रमशः टेडेसरा, महिला दुर्ग, मेघा, दल्लीराजहरा, रामानुजनगर, जनकपुर, जॉजगीर, हसौद, बड़ी करेली एवं भखारा में राशि रू. 20.00 करोड़ की लागत से 10 नवीन आई टी आई स्थापित किए गए, इससे प्रतिवर्ष लगभग 2000 अतिरिक्त युवा तकनीकी प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे।

आधुनिक मशीन औजार उपकरण :– वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनांतर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं के लिये मशीन औजार उपकरणों के क्रय हेतु राशि रू. 4358.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

नक्सल प्रभावित 07 जिलों क्रमशः राजनांदगॉव, उ. बस्तर कांकेर, बस्तर, द. बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर एवं सरगुजा में केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत एक–एक आईटीआई एवं दो–दो स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए राशि रू. 46.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

संस्थाओं का वर्षवार विवरण :–

वर्ष	औ.प्र. संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं की संख्या में वृद्धि	संस्थाओं की संख्या जहां अतिरिक्त व्यवसाय प्रारंभ की गई	प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	सीटों में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
2000–2001	44	–	–	5960	–
2001–2002	56	12	–	6408	448
2002–2003	61	05	–	6664	256
2003–2004	61	–	10	7048	384
2004–2005	61	–	08	7328	280
2005–2006	68	07	15	8236	908
2006–2007	80	12	02	10078	1842
2007–2008	87	08	42	14600	4522
2008–2009	89	02	09	15364	764
2009–2010	91	02	05	15816	452
2010–2011	101	10	11	17304	2208
2011–2012	108	07	05	18988	1684
2012–2013	118	10	02	20348	1360

वर्षवार बजट एवं व्यय का विवरण (राशि लाखों में)

वर्ष	आयोजना			आयोजनेत्तर			योग		
	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
2005-06	1163.11	763.55	65.65	1557.54	1282.60	82.35	2720.65	2046.15	75.21
2006-07	3340.18	1591.89	47.65	1463.46	1226.43	83.80	4803.64	2818.32	58.67
2007-08	4983.63	2655.39	53.28	1764.68	1429.59	81.01	6748.31	4084.98	60.53
2008-09	5465.26	1763.69	32.27	1984.70	1632.00	82.23	7228.95	3395.69	46.97
2009-10	4940.11	2296.17	46.48	2294.50	2315.27	100.91	7234.61	4611.44	63.74
2010-11	8102.51	2318.33	28.61	2849.70	2717.63	95.37	10952.20	5035.97	45.98
2011-12	12459.15	2785.29	22.36	3559.20	2856.54	80.26	16018.35	5641.83	35.22
2012-13 (sept. 12)	13068.00	650.72	4.98	3906.60	1362.12	34.87	16974.60	2012.84	11.86

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए लोक सभा में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम – 2005' विधेयक दिनॉक 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य की मांग किए जाने पर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार दिए जाने का प्रावधान है।
2. मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर कार्य न दिए जाने की स्थिति में आवेदक को बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी।
3. ग्रामीण परिवारों को पंजीयन एवं रोजगार कार्ड का वितरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
4. आवेदक द्वारा कार्य हेतु आवेदन ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में दिया जायेगा।
5. योजनांतर्गत अधिनियम के बंधनकारी प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 रखा जाना है।
6. ग्रामीण परिवार के कम से कम दस व्यस्क सदस्यों द्वारा काम की मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. योजनांतर्गत कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के समुचित प्रबंध के लिए प्रत्येक छः माह में सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2011–12 में कुल उपलब्ध राशि रू. 2492.95 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 2046.10 करोड़ व्यय कर 1200.17 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 26.57 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। वर्ष 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि रू. 1419.71 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 995.06 करोड़ व्यय कर 590.01 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर 17.52 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना :–इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को छोटे–छोटे अनेकानेक उद्यम स्थापित कर उन्हें मूलभूत व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इसमें केन्द्र व राज्य सरकार का वर्तमान में

वित्तीय अनुदान 75 व 25 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 में रू. 169.80 करोड़ का क्रेडिट मोबिलाईजेशन का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2012 तक रू. 171.43 करोड़ वित्तीय उपलब्धि अर्जित कर 58355 परिवारों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 8719 अनु. जाति 26312 अनु. जनजाति एवं 38232 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। उपलब्ध राशि 93.99 करोड़ में से मार्च 2012 तक रू. 90.63 करोड़ की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2012–13 में राशि रू. 140.00 करोड़ का क्रेडिट मोबिलाईजेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह सितंबर 2012 तक उपलब्धि रू. 37.45 करोड़ है। माह सितम्बर, 2012 तक कुल 12765 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 1739 अनु. जाति, 6123 अनु. जनजाति एवं 8375 महिला लाभान्वित किए गए। उपलब्ध राशि रू. 34.27 करोड़ में से माह सितंबर 2012 तक रू. 21.07 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

इन्दिरा आवास योजनाः– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश 75 व 25 प्रतिशत का है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 से नये आवास निर्माण हेतु रू. 45000 तथा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रूपये 48500 का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011–12 में रू. 211.90 करोड़ उपलब्ध राशि में से रू. 188.56 करोड़ व्यय कर 43010 नये आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। वर्ष 2012–13 में माह सितंबर, 2012 तक रू. 131.30 करोड़ उपलब्ध राशि में से 92 करोड़ के व्यय से 38001 आवास निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना :–

भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई है। योजना का मूल उद्देश्य 500 या इससे अधिक आबादी (पहाड़ी/रेगीस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में 250 या इससे अधिक) की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2012.13

निर्माण कार्य :– भारत सरकार से फेस 9 अंतर्गत IAP जिलों राजनांदगॉव एवं कवर्धा के लिए 217 सड़कें, लंबाई 579 कि.मी., लागत रू. 221 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन सड़कों की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह सितंबर 2012 अंत तक पूर्व स्वीकृति प्राप्त शेष कार्यों में से 56 सड़कें 302.35 कि.मी. लंबाई पूर्ण कर रू. 104.40 करोड़ का व्यय किया गया इन जुड़ी सड़कों से 172 बसाहटें लाभान्वित हुईं।

इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से सितंबर 2012 अंत तक स्वीकृत कुल 5941 सड़कें, लंबाई 27420.27 कि.मी. में से 4395 सड़कें, लंबाई 19764.56 कि.मी. डामरीकृत होकर पूर्ण हो चुकी हैं। अब तक स्वीकृत राशि रू. 7203.34 करोड़ की स्वीकृत के विरूद्ध 4935.94 करोड़ व्यय किया गया है जिससे राज्य की 8916 बसाहटें लाभान्वित हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :– इस योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के बजट में कुल 1354 सड़कें, लंबाई 4520.74 कि.मी. लागत राशि 2200.52 करोड़ की सम्मिलित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु रू. 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन सड़कों को 02 वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना :– इस योजनांतर्गत ऐसी ग्राम पंचायत या आश्रित ग्राम जहां गलियों में कीचड़ की समस्या हो, वहॉ शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर कांक्रीट सह नाली निर्माण किया जावेगा। वर्ष 2012-13 में लगभग 1000 ग्रामों में 0.5 कि.मी. प्रति ग्राम के मान से कुल 500 कि.मी. कांक्रीट सड़कों का निर्माण किया जावेगा। वर्ष 2012-13 हेतु राशि रू. 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अध्याय–14

सामाजिक सेवायें

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हे समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

स्कूल शिक्षा विभाग

संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ–साथ विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे (विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग) को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो, योजना को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हो इस हेतु विभाग द्वारा अधोसंरचना के विकास, शिक्षा के गुणवत्ता के विकास एवं मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। शासन शिक्षा का विकास इस तरह से संपादित कर रही है कि शिक्षण सुविधा छात्रों को उनकी पहुॅच पर प्राप्त हो रही है विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन कर समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आकृष्ट किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख योजनाएं जो उपरोक्त उद्देश्य से संचालित हैं निम्नानुसार है :–

2. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :

प्रदेश की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु –

- एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रदेश के 1189 हाई स्कूल एवं उ.मा.विद्यालयों के 186000 बालिकाओं के लिये 54/– रूपये प्रति छात्रा की दर से शासन द्वारा भुगतान किया गया है।
- प्रदेश के 16 जिलों में जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।
- इस योजना के अन्तर्गत सत्र 2009-10 से 400 केन्द्र संचालित है। जिनमें लगभग 78000 छात्राओं को योजना का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में 300 विद्यालयों में आईसीटी योजना संचालित है एवं 1900 विद्यालयों के लिए प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में 3695.50 लाख का प्रावधान हैं।

3. सरस्वती सायकल प्रदाय योजना (निःशुल्क) :–

राज्य के हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदान कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सत्र 2007–08 से 9वीं कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को भी सायकल के प्रदाय से जहां शालाओं में आवागमन की सुविधा है वहीं बालिकाएं शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो रही है।

इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को लेडीस ब्लैक सायकल के वितरण की कार्यवाही की गई है। वर्ष 2011-12 में रू. 2474.34 लाख का व्यय कर 46367 बालिकाओं को सायकल प्रदाय की गईं, शेष प्रक्रियाधीन। वर्ष 2012-13 हेतु रू. 2996.60 लाख का प्रावधान कर 100000 सायकलें वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

4. निःशुल्क गणवेश योजना :– प्राथमिक विद्यालय (1 से 5) की अजा, अजजा एवं बी.पी.एल. वर्ग के अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क गणवेश योजनान्तर्गत प्रदान किया जाता है, सत्र 2012–13 से ए.पी.एल. अंतर्गत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छोड़कर समस्त अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दो–दो सेट गणवेश प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 हेतु रू. 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे कुल 882848 लाख छात्राओं को निःशुल्क गणवेश का लाभ प्राप्त होगा।

5. छात्र दुर्घटना बीमा योजना :–

इस योजनान्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दुर्घटना बीमा का संरक्षण प्रदान किया गया है। जिसमें दुर्घटना–जनित मृत्यु, पूर्ण अपंगता अथवा स्थाई अपंगता होने पर 10,000 रूपये एवं एक अंग भंग होने पर अथवा आंशिक अपंगता पर 5,000 रूपये एवं उपचार हेतु 500 रू. की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 में रू. 55.00 लाख व्यय कर 65.00 लाख छात्रों का बीमा किया गया तथा वर्ष 2012-13 में रू. 65.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

6 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/पुस्तकालय योजना :–

इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किया जा रहा है।

वर्ष 2005-06 से शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की गई हैं।

वर्ष 2008-09 में कक्षा 11 से 12 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं समस्त बालक–बालिकाओं को पुस्तक योजना के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें प्रदाय की जावेंगी।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग (पाठ्यपुस्तक निगम) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान कर रही है। वर्ष 2011-12 हेतु रू. 46.80 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से रू. 46.03 करोड़ व्यय कर राज्य के 53.18 लाख विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तकें वितरित की गई। वर्ष 2012-13 हेतु रू. 47.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

योजना में औसतन 200 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह कार्य दिवस 200 से 240 दिवस के मध्य मान्य किया जाता है। प्रदेश के 146 विकासखण्डों के 48129 शालाओं में लगभग 3716300 विद्यार्थीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश में शालाओं में पंचायत द्वारा 11960 शालाओं में, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 26927 शालाओं में, प्रधान पाठक द्वारा 8057 शालाओं में, एवं 03 स्वयंसेवी संगठन द्वारा भोजन पकाया जा रहा है।

मध्यान्ह भोजन केन्द्रो के प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु 753.76 लाख का व्यय प्रस्तावित है। इसमें बाह्य एजेन्सी के द्वारा मूल्यांकन कराया गया। इस हेतु जिला मुख्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर रखा गया है। वर्ष 2011-12 में 271.21 करोड़ बजट आबंटन के विरूद्ध 146.26 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2012-13 में योजनांतर्गत 589.26 करोड़ बजट आबंटन किया गया है।

वर्षवार प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या :– शिक्षा के अधोसंरचना के विकास के लिए शिक्षा को घर–घर पहुॅचाने के लिए छात्रों की पहुॅच सीमा के भीतर शालाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राज्य निर्माण से अद्यपर्यन्त प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	Total
1	प्राथ.	399	9	1	319	193	8	929
2	माध्य.	446	25	404	85	140	30	1130
3	हाई	146	276	09	218	1136	0	1785
4	उ. मा.	84	146	31	95	101	200	657
कुल योग		1075	456	445	717	1570	238	4501

इस शिक्षा अभियान अन्तर्गत 2002–03 से अद्यपर्यन्त 1244 प्राथमिक भााला भवन, 8608 माध्यमिक भााला भवन एवं 37292 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदिवासी अंचल में 10 बच्चों की उपलब्धता पर 1370 प्राथमिक स्तर ज्ञान ज्योति विद्यालय खोले गये। 1136 हाई स्कूल एवं 101 हायर सेकण्ड्री स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। 36 नाईट भोल्टर के माध्यम से 1803 कामकाजी बच्चें एवं आदिवासी क्षेत्रो में 24 डारमेट्री संचालित कर 2350 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दन्तेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में 18 पोटा केबिन तैयार कर 7422 शाला त्यागी बच्चों को आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के मुख्याधारा से जोड़ा गया।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :–

- सत्र 2009-10 से 2011-12 तक में 1351 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया।
- पूर्व से संचालित 1641 विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया।
- दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों के आवास हेतु 405 भवन स्वीकृत किए गए हैं।

मॉडल स्कूल :– राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समस्त 74 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल की स्थापना की गई जिसमें कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक अंग्रेजी माध्यम से CBSE पाठ्यक्रम से पढ़ाई कराई जावेगी तथा समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदत्त की जावेंगी।

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापी करण है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2010 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सुविधा युक्त उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001 से लगातार अभी तक प्रयास जारी है। इन प्रयासों में सभी बसाहटों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस–पास की 1 किलो मीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जावेगा एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस–पास की 3 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जावेगा। प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत राज्य में नए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तथापि नए बसाहटें एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्ष 2012-13 में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत 08 प्राथमिक एवं 30 उच्च प्राथमिक शालाऐं खोली गई हैं। इस तरह अब तक सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य में कुल 9797 प्राथमिक एवं 7780 पूर्व माध्यमिक शालाऐं प्रारंभ की गई हैं। जिसमें वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में आदिवासी क्षेत्रों में 10 बच्चों की उपलब्धता पर भी खोले गए 1540 नवीन प्राथमिक शालाऐं सम्मिलित हैं। शिक्षकों के नए पद स्वीकृति, शिक्षक भर्ती, शाला भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक प्रदाय, पेयजल सुविधा, शौचालय, रैंप निर्माण आदि का कार्य सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत किया जाता है।

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र 2012–13 में शिक्षक प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में ही प्रारम्भ किया जाकर 133000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि बच्चों को उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।

2. निःशक्त बच्चों की शिक्षा :– समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत 80222 विशेष आवश्यकता आधारित बच्चे राज्य में चिन्हांकित किए गए हैं। चिन्हांकित बच्चों की जांच एवं आवश्यकता निर्धारण हेतु जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर परीक्षण शिविर आयोजित किया जाकर आवश्यकतानुसार सर्जरी, कृत्रिम उपकरण, प्रमाण पत्र आदि प्रदाय किया गया है।

3. विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन :– शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों का उम्र के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश के साथ ही विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वर्ष 2012-13 में 64860 शाला से बाहर बच्चों हेतु विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 36343 बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं 21949 बच्चों को आयु के मुताबिक समुचित कक्षा में प्रवेश दिया गया है।

4. डॉरमेटरी युक्त विद्यालय :– आदिवासी क्षेत्रों में जहॉ 10 से कम बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में नवीन प्राथमिक शाला नहीं खोले जा सके हैं। वहां के बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, अंबिकापुर, कोरबा एवं जशपुर जिलों में कुल 24 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेट्री युक्त शालाएं प्रारंभ की जाकर 1200 बच्चों को तथा पलायन प्रभावित जिले जांजगीर–चॉपा, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, बिलासपुर एवं रायगढऋ जिले में कुल 23 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाऐं प्रारंभ की जाकर 1123 बच्चों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

5. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) :– इस कार्यक्रम के तहत राज्य के पिछड़े सुविधा विहीन क्षेत्रों की निर्धन परिवारों की शाला त्यागी बालिकाओं को जो पांचवीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। उन्हें कक्षा आठवीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय व्यवस्था सहित मुहैया करायी जा रही है। राज्य में इस तरह के विद्यालयों की कुल स्वीकृत संख्या 93 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भोजन, गणवेश, कापी–किताब, लेखन सामाग्री, साबुन–तेल आदि निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। इन सभी 93 विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की कुल दर्ज संख्या 9300 है।

6. बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6–14 वर्ष की सभी बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने, महिला–पुरूष भेद–भाव को समाप्त करने एवं महिला–पुरूष साक्षरता दर के अंतर को समाप्त करने के लिए महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु यह विशेष कार्यक्रम शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (ई.बी.बी.) जहॉ ग्रामीण महिला साक्षरता दर इसकी राष्ट्रीय दर 46.13 प्रतिशत से कम है, तथा राष्ट्रीय महिला–पुरूष साक्षरता दर में अंतर 21.70 प्रतिशत से अधिक है। इसके अतिरिक्त जहां अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 5.00 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जहॉ महिला साक्षरता दर 10.00 प्रतिशत से कम है एवं शहरी गन्दी बस्ती क्षेत्र में संचालित है।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के 74 (ई.बी.बी.) विकासखण्डों में संचालित है।

7. शिक्षा का हक अभियान जन–जन तक पहॅचाने हेतु '' निःशुल्क शिक्षा एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009'' की पुस्तिका तैयार कर अधिकाधिक संख्या में स्कूलों एवं शाला प्रबंध समिति का उपलब्ध कराया गया है।

स्वास्थ्य सेवायें

राज्य में नवम्बर, 2012 की स्थिति में स्वास्थ्य संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	जिला चिकित्सालय	27
2	सिविल अस्पताल	14
3	सिविल डिस्पेंसरी	29
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	155
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	764
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5136
7	लेप्रोसी होम एंड अस्पताल 100 बिस्तर	1
8	राज्य में हेल्थ केयर संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान रायपुर में	1
9	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	14
10	लेप्रोसी होम एंड अस्पताल 10 बिस्तर	2
11	क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	1

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :–

वर्ष 2002 से विजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011–12 के लिए 1.00 लाख मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध 88969 मोतियाबिंद आपरेशन हुए, जो कि वार्षिक लक्ष्य के 89 प्रतिशत रही है। स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 1149853 छात्रों का नेत्र परीक्षण कर 15019 छात्रों को निःशुल्क चश्में वितरित किए गए। वर्ष 2012–13 में 89000 मोतियाबिंद आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध माह अक्टूबर 2012 तक 29199 आपरेशन पूरे किए गये। स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 8.58 लाख छात्रों का नेत्र परीक्षण किया गया एवं 6520 निःशुल्क चश्मे वितरण किए जा चुके हैं। वर्ष 2012–13 में माह अक्टूबर 2012 तक 83 नेत्रदान हुए हैं।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. एवं एम.सी. की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	डीटीसी	टी.यू	एम.सी	प्रोज. जनसंख्या
1	रायपुर	1	7	36	3509978
2	दुर्ग	1	6	29	3343000
3	राजनांदगांव	1	4	21	1539419
4	बिलासपुर	1	5	26	2662077
5	धमतरी	1	2	09	865481
6	कांकेर	1	3	13	748593
7	रायगढ़	1	4	17	1493627
8	कबीरधाम	1	2	8	838046
9	जांजगीर–चांपा	1	3	11	1620632
10	महासमुन्द	1	2	11	1032275
11	कोरबा	1	5	15	1206563
12	जशपुर	1	3	17	874569
13	बस्तर	1	5	23	1411644
14	कोरिया	1	3	13	659039
15	दन्तेवाड़ा	1	2	10	564500
16	सरगुजा	1	8	41	2298730
17	नारायणपुर	1	1	04	140206
18	बीजापुर	1	1	05	282347
	योग	**18**	**66**	**309**	**25090726**

RNTCP संचालित सभी जिलों में 1 जनवरी से सितम्बर 2012 में (तृतीय त्रैमास 2012 तक) में 88776 नये संदेहास्पद क्षय रोगियों की जांच की गई जिसमें 10522 धनात्मक क्षय खखार मरीज पाये गये, राज्य में कुल 8233 खखार धनात्मक क्षय रोगी सहित 7291 नये क्षय रोगी निःशुल्क उपचाररत हैं। राज्य का धनात्मक क्षय रोगियों का सफलता दर 87 प्रतिशत एवं नये खोजे गये रोगियों का वार्षिक दर 53 प्रतिशत तथा नये खखार धनात्मक रोगियों की वार्षिक दर 55 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाये।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश की कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो कि माह सितम्बर 2012 में 2.15 प्रति दस हजार है। वर्तमान में सितम्बर 2012 तक उपचाररत रोगी संख्या 5439 है जिन्हें नियमित बहुऔषधी उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है। वे विकास खण्ड जिसका प्रभाव दर 2 या 2 से अधिक था वहॉ परामर्श एवं सघन प्रचार प्रसार द्वारा कुष्ठ संबंधी जानकारी देकर स्व–प्रेरणा से जांचकेन्द्र में आने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

विवरण	31 मार्च की स्थिति में						सितंबर 2012
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	6052	7784	5453	7647	7383	6999	4063
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	7249	6215	8016	7843	7733	7563	3056
उपचाररत् मरीजों की संख्या	3322	5465	7984	5304	4952	4415	5439

वित्तीय वर्ष 2012–13 में भारत शासन से राशि रू. 167.91 लाख प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध सितंबर 2012 तक 17.65 लाख खर्च किए गए।

परिवार कल्याण कार्यक्रम : राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सकल प्रजनन दर को 2.8 से 2.1 तक प्राप्त करने का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में लक्ष्य दंपत्तियों को सुरक्षित करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य दंपत्ति संरक्षण दर 65% की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश का लक्ष्य दंपत्ति संरक्षण दर 63.5% है।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य मलेरिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथ. स्वा. केन्द्रो में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है।

राज्य में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011 में 4122602 स्लाइड (रक्त पट्टी) का मलेरिया हेतु परीक्षण का लक्ष्य था जिसमें अक्टूबर 2012 तक उपलब्धि 2767032 स्लाइड की रही। इस परीक्षण में 86413 पॉजिटिव पाई गयी जिसमें से 66194 पैल्सीफैरम मलेरिया पाए गए। जून से अक्टूबर के मध्य दो चक्रों में प्रदेश में 7820 ग्रामों में जहॉ विगत वर्ष में एक हजार की आबादी में औसतन दो से अधिक मलेरिया रोगी प्रकाश में आए हैं, में कीटनाशक छिड़काव कराया गया है।

छिड़काव हेतु कीटनाशक औषधियों की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2012 में 425 मी.टन डी.डी.टी. भारत सरकार से प्राप्त हुई।

राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– राज्य में एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्या 13093 है जिसमें पॉजिटिव महिलाओं का प्रतिशत 37 तथा पुरूषों का प्रतिशत 63 है। 25 से 49 वर्ष की आयु वर्ग सर्वाधित प्रभावित आयुवर्ग है। राज्य में ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या 10032 है।

जिलेवार एचआईवी पाजिटिव

(सितम्बर 2012 तक)

क्र.	जिला	एचआईवी पाजिटिव	ART पर मरीजों की संख्या
1	रायपुर	5356	1607
2	दुर्ग	1965	852
3	राजनांदगांव	806	-
4	बिलासपुर	2047	568
5	रायगढ़	232	-
6	सरगुजा	254	101
7	जगदलपुर	648	236
8	कांकेर	134	-
9	कोरबा	305	-
10	महासमुन्द	452	-
11	धमतरी	119	-
12	कवर्धा	375	-
13	जांजगीर–चांपा	119	-
14	दन्तेवाड़ा	56	-
15	जशपुर	85	-
16	कोरिया	131	-
17	बीजापुर	1	-
18	नारायणपुर	8	-
कुल योग		**13093**	**3364**

संजीवनी सहायता कोष : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों के गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु संजीवनी कोष की स्थापना की गई है जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बीमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु 1.5 लाख की सहायता मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है। वर्ष 2008–09 में ऐसे 394 व्यक्तियों को 3.53 करोड़ रू. की राशि दी गई। वर्ष 2010–11 में अब तक 269 व्यक्तियों को 4.20 करोड़ रू. की राशि ईलाज हेतु दी गई जिसके अन्तर्गत 208 हृदय

रोगी 6 कैंसर रोगी एवं अन्य मरीज शामिल हैं। वर्ष 2011–12 में अब तक 281 व्यक्तियों को 2.65 करोड़ की राशि ईलाज हेतु दी गई, जिसके अंतर्गत 239 हृदय रोगी, 5 कैंसर रोगी एवं 37 अन्य मरीज शामिल हैं। वर्ष 2012–13 में अब तक 297 व्यक्तियों को रू. 2.67 करोड़ की राशि ईलाज हेतु दी गई, जिसके अंतर्गत हृदय रोगी– 247, कैंसर रोगी– 7 तथा अन्य रोगी– 32 मरीज शामिल हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम :– छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में पेयजल व्यवस्था के साथ ही छत्तीसगढ़ को पूर्ण निर्मल राज्य का दर्जा दिलाने के काम में जुटा है। आमजनों को पेयजल से संबंधित समस्याओं का तुरंत निदान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में टोल फ्री नंबर 1800–233–0008 चालू किया गया है।

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम :–

राज्य की कुल 72329 बसाहटों में अब तक कुल 226940 हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

अब तक स्वीकृत कुल 2560 स्वीकृत नलजल योजनाओं में से 1901 पूर्व एवं 116 आंशिक पूर्ण नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सार्वजनिक नल एवं घरेलू नल कनेक्शन द्वारा सीधे घरों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है एवं 2931 स्वीकृत स्थल जलप्रदाय योजनाओं में से अब तक 2143 स्थल जलप्रदाय योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं पेयजल उपलब्ध हो रहा है। 370 योजनाओं के कार्य प्रगति पर एवं 418 योजनाओं के कार्य प्रारंभ शेष हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्त्रोतों पर आधारित पेयजल योजना का कियान्वयन :–

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्त्रोत पर आधारित योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2012–13 में निर्धारित लक्ष्य 7832 के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं सभी पेयजल स्त्रोतों की वर्ष में एक बार जॉच कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में आयरन के साथ–साथ कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है।

दिनॉक 01-04-2012 की स्थिति में चिन्हित 72329 बसाहटों में 8815 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गईं जिनमें आयरन युक्त 8339 बसाहटें, सेलेनिटी युक्त 163 बसाहटें एवं फ्लोराइड युक्त 313 बसाहटें पाई गई हैं। वर्ष 2012–13 में 4810 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

राज्य के ऐसे ग्राम/बसाहटें जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है वहॉ के लिए Solar Pump आधारित योजना कियान्वित की जा रही है। अब तक प्रदेश में 265 Solar Pump आधारित योजना कियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

नगरीय/शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम :–

राज्य के 169 नगरीय निकायों में से 55 नगरीय निकायों में शहरीय पैटर्न पर आधारित जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित कर जल प्रदाय किया जा रहा है। 31 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं एवं 11 स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाने हैं। 28 नगरीय निकायों की योजनाएं बनाकर स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। 10 नगरीय निकायों की योजनाएं बनाने का कार्य प्रगति पर है। 34 नगरीय निकायों में शहरीय पैटर्न की जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित किया जाना शेष है।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो 1 अप्रैल 2012 से ''निर्मल भारत अभियान'' के रूप में लागू किया गया है। इस अभियान का कियान्वयन तीव्रगति से करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता में है। बीपीएल परिवारों की कुल लक्षित 1568600 शौचालय निर्माण के विरूद्ध अब तक 1084445 एवं एपीएल परिवारों हेतु कुल लक्षित 1823853 शौचालय निर्माण के विरूद्ध अब तक 854275 इस प्रकार कुल लक्षित 3392453 के विरूद्ध अब तक 1938720 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण ग्रामीण

क्षेत्रों हो चुका है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित 52338 शालाओं में से अब तक 51863 यूनिट एवं लक्षित 10211 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से अब तक 10478 यूनिट शौचालय का निर्माण किया जा चुका है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 693 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरूस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

खुले में शौच मुक्त ग्राम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ''निर्मल ग्राम पुरूस्कार'' कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 816 ग्राम पंचायतों को ''निर्मल ग्राम पुरूस्कार '' से सम्मानित किया जा चुका है।

तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता युक्त विकास समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय की स्थापना 01 नवम्बर, 2000 में की गई। संचालनालय द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं :–

1. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं का प्रशासकीय नियंत्रण।
2. राज्य के सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही।

उद्देश्य :

- ❖ तकनीकी शिक्षा का सर्वांगीण एवं बहु–आयामी विकास।
- ❖ अधो–संरचना विकास हेतु तकनीकी ज्ञान का प्रचार एवं शिक्षा।
- ❖ आधुनिकतम तकनीक एवं मेघा–संपन्न मानव संसाधन का विकास।
- ❖ राज्य के खनिज संपदा का राज्य के हित में प्रदूषण रहित विदोहन एवं उपयोग में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग।
- ❖ राज्य में स्थापित विभिन्न संयंत्रों/उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित करने में मार्गदर्शन एवं परामर्श देना।
- ❖ राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना।
- ❖ छात्र/छात्राओं में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के प्रति अभिरूचि का विकास।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी ज्ञान हेतु नवीन तकनीकी शाखाओं एवं संस्थाओं का विस्तार एवं प्रस्तुति।

राज्य की तकनीकी संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम :–

(अ) स्नातक पाठ्यक्रम :– बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस इंजी., इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी ।

(ब) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :–

- एम टेक :– मेकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स।
- एम. बी. ए.
- एम. सी. ए,
- एम. फार्मा

(स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम :– सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन।

राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थिति

क.	संस्थाएं	1 नवम्बर 2000 की स्थिति में		वर्ष 2012–13 की स्थिति में	
		संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	इंजीनियरिंग	11	2750	50	19590
2	पॉलीटेक्निक	10	1495	23	3820
3	एम.सी.ए.	4	210	10	660
4	एम.बी.ए.	3	160	24	1560
5	एम. फॉर्मा	0	0	05	156
6	बी. फॉर्मा	0	0	11	660
7	डी. फॉर्मा	01	30	09	510
8	आर्किटेक्चर	01	20	01	80
9	एम.ई./एम.टेक	0	0	09	646
	योग	**30**	**4665**	**142**	**27682**

प्रवेश प्रकिया :– इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बी.ई. के लिए अर्हकारी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.ई.टी. एवं अखिल भारतीय ए.आई.ई.ई.ई. में प्रावीण्य सूची के आधार पर दिया जाता है। एम.ई. /एम.टेक में प्रवेश (GATE) के प्राप्तांकों के आधार पर होता है। एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. के लिए अर्हता स्नातक है तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाना है। पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.पी.टी. के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हता 10वीं उत्तीर्ण है।

उपलब्धियां :–

1. राज्य के आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर, नारायणपुर कांकेर एवं दंतेवाड़ा में पॉलीटेक्निक वर्तमान सत्र 2010–11 से प्रारंभ। जशपुर, बैकुण्ठपुर एवं गरियाबंद में भी शासकीय पॉलीटेक्निक वर्तमान सत्र से प्रारंभ। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, बैकुण्ठपुर एवं जशपुर में पॉलीटेक्निक संस्थाओं की स्थापना केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत की गई है।
2. राज्य में सूचना प्रौद्यौगिकी के विकास एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए N.T.P.C. के सहयोग से I.I.I.T. की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
3. राज्य में I.I.M. वर्तमान सत्र 2010–11 से रायपुर में प्रारंभ।
4. वर्ष 2010–11 से बी.ई., बी. फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं इंजी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से किया गया।
5. रायपुर जिले में I.I.I.T. खड़गपुर के अध्याय की शुरूआत वर्ष 2012–13 से हो चुकी है।
6. प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई है।
7. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की गई है।

विगत दो वर्षों की अवधि में केन्द्र शासन की सहायता नवीन योजनाएं/कार्यक्रम प्रारंभ किए गए प्रगति एवं संक्षिप्त विवरण

1. अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं शासकीय पॉलीटेक्निक कोरिया, जशपुर, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के सेटअप की स्वीकृति हो चुकी है। यह संस्थाऐं वर्ष 2010–11 से संचालित हैं।

2. शासकीय पॉलीटेक्निक कोरिया, जशपुर, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

3. केन्द्र शासन के सहयोग से उपरोक्त संस्थाओं के भवन/मशीन उपकरण क्रय हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रति संस्था राशि रू. 12.30 करोड़ स्वीकृत की गई है।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कोरिया, जशपुर, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के भवन निर्माण के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर लोक निर्माण विभाग को भुगतान कर दी गई है, आर्किटेक्ट का चयन कर टेण्डर की कार्यवाही जारी है।

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य के विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

1. छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 181 शासकीय, 222 अशासकीय अनुदान रहित एवं 16 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 109748 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 20095 सामान्य छात्र, 15813 अनुसूचित जाति तथा 24030 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 49810 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
2. राज्य स्थापना के समय राज्य में 03 विश्वविद्यालय थे जबकि वर्तमान में 07 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। राज्य के आदिवासी अंचलों में से एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, किन्तु राज्य के प्रमुख आदिवासी अंचल बस्तर तथा सरगुजा में दो विश्वविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर तथा सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर संचालित हो रहे हैं।
3. इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों की देश में बढ़ती हुई भूमिका के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी 06 निजी विश्वविद्यालय– डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, मैट्स विश्वविद्यालय आरंग रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम कोटनी रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय ग्राम चरोदा दुर्ग, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय उपरवारा, अभनपुर रायपुर एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी मंगला, बिलासपुर की स्थापना की जा चुकी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है।
4. वर्ष 2012.13 में विभाग द्वारा 09 नए शासकीय महाविद्यालय क्रमशः कोतरी, जिला – मुंगेली, मगरलोड, जिला – धमतरी, बोरी, जिला–दुर्ग, बलौदा, जिला महासमुन्द, बेमेतरा (कन्या), आरा जिला–जशपुर, पटना, जिला–कोरिया, प्रेमनगर, जिला– सूरजपुर, शंकरगढ़, जिला–बलरामपुर में प्रारंभ किए गए हैं। इसके लिए 171 पदों का सृजन किया गया है।

5. National Mission of Education through Information and Communication Technology (NME-ICT) के तहत भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना प्रारंभ की गई है, जिसका व्ययभार भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। प्रदेश के 104 महाविद्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं, जिसके लिए शासन द्वारा वहन किए जाने वाले लागत अंश बी.एस.एन.एल. को प्रदान कर दिया गया है।

6. सत्र 2012–13 में विभाग द्वारा 8 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने के साथ–साथ पाठ्यक्रम संचालन हेतु बजट उपलब्ध कराते हुए 30 पदों का सृजन भी किया गया है।

7. 04 महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2012–13 में प्रारंभित 09 शासकीय महाविद्यालयों को छोड़कर इन भवनों के निर्माण के पश्चात शासकीय महाविद्यालयों के स्वयं के भवन युक्त हो जायेंगे।

8. वर्ष 2001–11 में रू. 47.79 करोड़ का बजट प्रावधान था, जबकि 2012–13 में यह राशि बढ़कर रू. 506.58 करोड़ हो गई है। विगत वर्षों में बजट प्रावधान में लगभग 10 गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

9. छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहॉ जाति एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से शास. महाविद्यालयों में बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति एवं बी.पी.एल. बुक बैंक योजना संचालित है।

10. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के भवन निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

11. नारायणपुर एवं बीजापुर जिलों को छोड़कर राज्य स्थापना के पश्चात महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011–12 में घोषित 09 जिलों में से 07 जिलों में शासकीय महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।

12. संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में उपलब्ध पाण्डुलिपियों के संरक्षण हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

समाज सेवा

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है। निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों के देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है।

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 200 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है। पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–2012 में रू. 15105.64 लाख व्यय किए गए जिससे 389053 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2012–13 में माह सितंबर, 2012 की स्थिति में रू. 7762.06 लाख व्यय कर 422352 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

1.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 300.00 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 600.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 100.00 राज्यांश सम्मिलित है। वर्ष 2011–2012 में रू. 16104.82 लाख व्यय कर 600957 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–2013 में माह सितंबर 2012 तक रू. 7969.84 लाख व्यय कर 635488 हितग्राही लाभान्वित हुए।

1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 10,000 रू. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती

है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011–2012 में 10471 हितग्राहियों को 1047.10 लाख की सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2012–13 में माह सितंबर की स्थिति में 4573 हितग्राहियों को 457.30 लाख रूपये की सहायता दी गई।

1.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–50 वर्ष तक की निराश्रित विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को 200 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि भुगतान की जाती है। वर्ष 2011–2012 में 210776 हितग्राहियों को राशि रू. 5049.96 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2012–2013 में माह सितंबर की स्थिति में 227546 हितग्राहियों को 2514.84 लाख रूपये की सहायता दी गई।

1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 59 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रू. 200.00 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जात है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 116134 हितग्राहियों को 2625.39 लाख की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2012-13 में माह सितंबर 2012 की स्थिति में 114653 हितग्राहियों को 1351.47 लाख पेंशन भुगतान किया गया है।

1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 59 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रू. 200.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 30426 हितग्राहियों को रू. 740.89 लाख पेंशन भुगतान किया गया है। वर्ष 2012-13 में माह सितंबर 2012 की स्थिति में 32458 हितग्राहियों को रू. 373.81 लाख पेंशन भुगतान किया गया है।

2. स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विद्यालय संचालित हैं। इन स्वैच्छिक

संस्थाओं को विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में राशि रू. 164.75 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें 1984 बच्चे लाभान्वित हुए। वर्ष 2012–2013 में माह सितंबर 2012 तक 2194 हितग्राही लाभान्वित हुए तथा रू. 64.47 लाख व्यय किये गये।

3. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन शिक्षारत निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 50 से 240 प्रतिमाह छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 50 से 100 वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011-2012 में इस मद में राशि 74.36 लाख रूपये की छात्रवृत्ति 13623 निःशक्त हितग्राहियों को वितरित की गई। वर्ष 2012-2013 में माह सितंबर तक 1857 बच्चों को 2.56 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है।

3. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5001 से रू. 8000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु दी जाती है। वर्ष 2011-12 में रू. 259.37 लाख की राशि राज्य मद से व्यय कर 5830 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण प्रदाय किए गए। वर्ष 2012-13 में माह सितंबर तक 354 व्यक्तियों पर (यंत्र उपकरण खरीद हेतु) रू. 9.35 लाख व्यय किए गए।

4. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :– निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 वर्ष आयु के पुरूष के विवाह हेतु राशि रू. 21000 प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2011-12 में 815 विवाहित दंपत्ति को रू. 171.15 लाख एवं वर्ष 2012-13 में माह सितंबर 2012 तक 33 विवाहित दंपत्ति को रू. 69.30 लाख की सहायता दी गई।

5. समाज रक्षा कार्यक्रम : राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत विधि विरूद्ध एवं देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम संचालित है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के विधि अवरूद्ध एवं देख–रेख की अपेक्षा रखने वाले बालक/बालिकाओं के संरक्षण, भरण–पोषण, विकास, चिकित्सकीय देखरेख एवं पुनर्वास की व्यवस्था किया जाना प्रावधानित है।

जिसमें विधि विरूद्ध बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रू. 209.80 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। तथा सितंबर 2012 की स्थिति में 1118 किशोर एवं किशोरियों को लाभान्वित किया गया है।

6. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :–** वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर को ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन, निराश्रित वृद्ध जनों के लिए प्रदेश में 18 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 375 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है। वर्ष 2012-13 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए गतिविधियॉ संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को रू. 15.29 लाख के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

(1) शालेय शिक्षा :– राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 16627 प्राथमिक शालाएं, 6202 माध्यमिक शालाएं, 540 हाई स्कूल, 691 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 05 आदर्श उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय, 05 कन्या शिक्षा परिसर, 11 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 01 गुरूकुल विद्यालय एवं 13 खेल परिसर संचालित हैं।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	1005165	870.56	35750	438.00
अनुसूचित जनजाति	407925	1047.18	23238	149.35
पिछड़ा वर्ग	984706	1907.41	24600	635.00

(3) पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11 वी एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	54019	60.00	00	00
अनुसूचित जनजाति	95446	00	00	00
पिछड़ा वर्ग	104125	3500.00	9200	2563.00

(4) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	23782	200.00	925	17.12

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1847 छात्रावास संचालित है। प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	12328	2057.18	9168	536.98
अनुसूचित जनजाति	53563	4795.77	40709	1396.83
अन्य पिछड़ा वर्ग	166	85.76	170	12.54

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनाँचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 43 एवं अनु. जनजाति के लिए 1133 आश्रम शालाएँ संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	2429	522.26	2105	208.47
अनुसूचित जनजाति	70550	7640.19	59090	2367.73

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	56925	133.51	53103	144.75
अनुसूचित जनजाति	519000	1508.95	477695	860.26

(8) छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमी एवं दसवी में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दिये गये है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	4393	120.79	60145	1440.00
अनुसूचित जनजाति	32156	884.18		
अन्य पिछड़ा वर्ग	13774	177.68		-
विशेष पिछड़ी जनजाति	751	7.34	1331	20.00

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	32430	162.15	13500	89.04
अनुसूचित जनजाति	62600	313.00	39200	196.00

(10) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि (परिवार)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि (परिवार)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	546 परिवार	111.94 (केन्द्र+राज्य)	52 परिवार	21.31 (केन्द्र+राज्य)

(11) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से बैठने वाले छात्र–छात्राओं की परीक्षा में प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	NA	11.61	NA	NA
अनुसूचित जनजाति	NA	13.33	NA	NA

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से चौदह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
छात्र / छात्राएं	1653096	16588.10 (केन्द्र+राज्य)	1595939	3311.48 (केन्द्र+राज्य)

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति / जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुदान	9	2057.92 (केन्द्र+राज्य)	9	294.21 (केन्द्र+राज्य)

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियाँ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। जिनके द्वारा अधोसंरचना के कार्य, सामुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए गए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि (कार्य)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
कार्य	362	3480.39	-	-

(15) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
कार्य	1583	3964.01	317	583.82

(18) मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र/छात्राओं को जो दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	300	29.30	1000	0.00
अनुसूचित जनजाति	700	67.60		

(19) स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में माह सितंबर 2012 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

वर्ग	2011-12		2012-13 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू. में)
अनुसूचित जाति	4347	14.68	6700	0.00
अनुसूचित जनजाति	61623	83.45	21000	0.00

(20) वाहन चालक प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 से योजना लागू की गई है। वर्ष 2012-13 में अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के क्रमशः 155 एवं 345 युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(21) एअर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना :– वर्ष 2012-13 में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के क्रमशः 54, 66 युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है जिसके लिए क्रमशः 138.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

(22) सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर सफल होने पर रू. 1.00 लाख एवं रू. 0.10 लाख (प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर), छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रू. 0.20 लाख राशि प्रदान की जावेगी। वर्ष 2012-13 में इस योजनांतर्गत रू. 14.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास

आई.सी.डी.एस सेवा योजना :– भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यक्ताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती है। 1. पूरक पोषण आहार 2. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 3. टीकारण 4. स्वास्थ्य जांच 5. संदर्भ सेवा 6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। उपरोक्त सेवायें हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र आरंभ किया गया आदिवासी, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में 150 से 300 की जनसंख्या में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 300 से अधिक जनसंख्या में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 400 से

अधिक की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया है। 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में कुपोषण शिशु एवं मातृ मृत्यु दर जैसी गम्भीर समस्या रही है।

छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व प्रदेश में 152 बाल विकास परियोजनाओं में 20289 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से विस्तार कर वर्ष 2010 में स्वीकृत नवीन 8826 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 4229 मिनी आगनबाड़ी केन्द्र के साथ कुल 43763 आंगनवाड़ी तथा 6548 मिनी आगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृत प्राप्त है। जिसके माध्यम से जहां 0 से 03 आयु वर्ग के 11.66 लाख, 03-06 आयु वर्ग के 9.41 लाख बच्चे तथा 4.75 लाख गर्भवती व धातृ महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से शिशु मृत्यु दर की संख्या में निम्नानुसार परिवर्तन दर्ज किया गया है :–

देश/प्रदेश	वर्ष 2000 कुल	वर्ष 2011 कुल	वर्ष 2011 ग्रामीण	वर्ष 2011 शहरी
भारत	68	47	51	31
छत्तीसगढ़	79	51	52	49
मध्यप्रदेश	87	62	67	42

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :

पूरक पोषण आहार के संबंध में भारत शासन द्वारा फरवरी, 2009 में जारी किए गए संशोधित वित्तीय एवं पोषण मापदंडों के अनुरूप प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को ग्राम पंचायतों, महिला स्व–सहायता समूहों व नगरीय निकायों के माध्यम से नाश्ता व चावल आधारित गर्म पका हुआ भोजन तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित गेहूं आधारित रेडी–टू–ईट फूड दिया जा रहा है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में लगभग 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के 20.27 लाख सामान्य बच्चों, 6 माह से 6 वर्ष आयु के 1.18 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों तथा 4.67 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह सितम्बर 2012 तक 11127.56 लाख रू. व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन महिला स्व सहायता समूहों/महिलाओं को वित्त पोषण, आर्थिक स्वावलंबन तथा समग्र रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया

है। वर्ष 2002 से गठन उपरांत अब तक कोष द्वारा 20993 महिला स्व–सहायता समूहों को 30 करोड़ 78 लाख 73 हजार रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। कोष द्वारा समूहों को प्रथम बार में 25000 रू. तक का ऋण तथा सफलता पूर्वक भुगतान पश्चात 50000 रू. तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। जो कि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में प्रभावशील है। यह ऋण 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। वर्ष 2011-12 में 2148 समूहों को 5 करोड़ 81 लाख 25 हजार रूपये के ऋण का वितरण किया गया है।

वर्ष 2009-10 से महिला कोष द्वारा सक्षम योजना प्रारंभ की गई। इस योजनांतर्गत 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु 1 लाख रूपये का ऋण 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। वर्ष 2011-12 में सक्षम योजनांतर्गत 180 महिलाओं को 1 करोड़ 65 लाख रूपये तक के ऋण स्वीकृत किए गए।

वर्ष 2012-13 हेतु 2875 स्व–सहायता समूहों को 7 करोड़ 18 लाख ऋण वितरित किया जाएगा एवं सक्षम योजना हेतु 215 महिलाओं को 1 करोड़ 29 लाख का ऋण वितरित किया जाएगा।

किशोरी शक्ति योजना :–

किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 92 बाल विकास परियोजनाओं में योजना को लागू किया गया तथा 27402 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। प्रत्येक बाल विकास परियोजना में शाला त्यागी 11 से 18 वर्ष आयु की गरीब किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबद्ध कर स्वास्थ्य एवं पोषण से संबधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, सिकलसेल एनीमिया परीक्षण किया गया तथा आई.एफ.ए. टेबलेट एवं कृमिनाशक टेबलेट दी गई। योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ स्व–सहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवो में बाल विकास के नारे लेखन, कुपोषित बच्चों की देखभाल इत्यादि कार्य भी योजनांतर्गत किए गए तथा किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया।

आयुष्मति योजना : (राजीव जीवन रेखा योजना में समाहित)

ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिसके अन्तर्गत जिला/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड चिकित्सालयों में रोगी महिलाओं को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भरती रहने पर 400 रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 1000 रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज, दवाइयां, टानिक एवं पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। यह अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के अतिरिक्त है। रोगी महिला के साथ आए परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में 17531 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु सितंबर 2012 तक 3942 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

नारी निकेतन : अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता महिला को आश्रय व सहारा प्रदाय करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए प्रदेश में तीन नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। ये नारी निकेतन रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में संचालित हैं। संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण–पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

वर्ष 2011-12 में 21 महिलाएं व 6 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक 28 महिलाएं व 06 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : यह अभिनव योजना राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना है।

योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं हेतु प्रत्येक के विवाह हेतु अधिकतम 5000.00 रूपये की राशि व्यय की जाने का प्रावधान था। 01 अप्रैल 2011 से उक्त राशि में परिवर्तन कर प्रत्येक बालिका के विवाह पर रू. 10000.00 व्यय का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2011-12 में 8617 जोड़ों के विवाह सम्पन्न किए गए। जिन पर 952.40 लाख रूपये व्यय हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक 1512 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है।

शासकीय झूलाघर : निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के छः माह से छः वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में शासकीय झूलाघर बिलासपुर एवं रायपुर से संचालित है।

वर्ष 2011-12 में 50 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक 25 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

बाल संरक्षण गृह : संस्था में 18 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ्य बच्चों को आवास शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में स्थित पांच बाल संरक्षण गृह संचालित है। बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में 108 बच्चे निवासरत रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक 69 बच्चे संस्था में निवासरत हैं।

बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र : 0-6 आयु वर्ष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए रायपुर तथा बिलासपुर में शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र संचालित है जहॉ सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में 50 बच्चे एवं 15 महिलाएं लाभान्वित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में सितंबर 2012 तक 50 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

अध्याय–15

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकः– वर्ष, 2011-12 में बैंकों की संख्या 6 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 215 है। वर्ष 2011–12 में बैंकों की अँशपूंजी 19014.31 लाख रू. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान 1311.7 लाख रूपये रहा। वर्ष 2011–2012 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 340363.61 लाख रूपये एवं 428038.61 लाख रूपये हो गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2011–2012 में 192426.5 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 181693.5 लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं 10733.00 लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं। इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 128368.86 लाख रूपयों का रहा। वर्ष 2011–2012 में 152 जिला सहकारी बैंकों को 8662 लाख़ रूपये का लाभ हुआ है, एवं 63 बैंकों को 1204.81 लाख रू. की हानि हुई है।

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ :– राज्य में वर्ष 2011–2012 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2010–2011 के समान ही है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2011–2012 में 15.05 लाख हो गई है।

कुल सदस्यों में से 2.87 लाख अनुसूचित जाति, तथा 4.47 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2010–2011 में 13346.01 लाख रूपये थी। यह वर्ष 2011–2012 में बढ़कर 14347.03 लाख रूपये हो गई है। कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2011–2012 में 99696.60 लाख रू. कुल ऋण वितरित किए गए जिसमें से 97714.26 लाख रूपये का अल्प ऋण वितरित किया गया एवं 1982.34 लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में है।

अध्याय–16

बचत एवं विनियोजन

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : अल्प बचत योजना में अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा व्याज की राशि कम होने के कारण निवेशक अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं । अतः बचत योजनाओं में निवेशकों की रूचि कम हुई है ।

अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष

राज्य में समस्त बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या मार्च 2012 की स्थिति में 1912 थी, सितंबर 2012 की स्थिति में 1981 शाखाएं हैं। राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार हैः–

राज्य में बैकिंग कार्यों की प्रगति

(राशि करोड़ रू.में)

क्र.	विवरण	मार्च 2011	मार्च 2012	गतवर्ष में वृद्धि		**सितंबर 2012**
				राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	बैंकों की संख्या	-	50	-	-	50
2	शाखाओं की संख्या	1705	1912	-	12.14	1981
3	ATM की संख्या	-	1063	-	-	1289
4	कुल जमा	59032.73	70742.27	11709.54	19.84	39824.60
5	कुल अग्रिम	33022.25	40135.13	7112.88	21.54	39824.60
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	55.94	56.73	0.79	1.41	53.20
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	19443.98	18433.01	-1010.97	-5.20	19832.36
8	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	58.88	45.93	-12.95	-21.99	49.8
9	कृषि में अग्रिम	9540.32	6651.01	-2889.31	-30.29	7837.29
10	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	28.89	16.57	-12.32	-42.64	19.68
11	लद्यु उद्योगों में अग्रिम	7021.29	8057.54	1036.25	14.76	8173.45
12	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	3585.49	4251.81	666.32	18.58	4366.57
13	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	10.86	10.59	-0.27	-2.49	10.96
14	महिलाओं को अग्रिम	2079.95	2349.95	270	12.98	2324.85

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा–ऋण राशि

मार्च के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (संदर्भ 9.1)

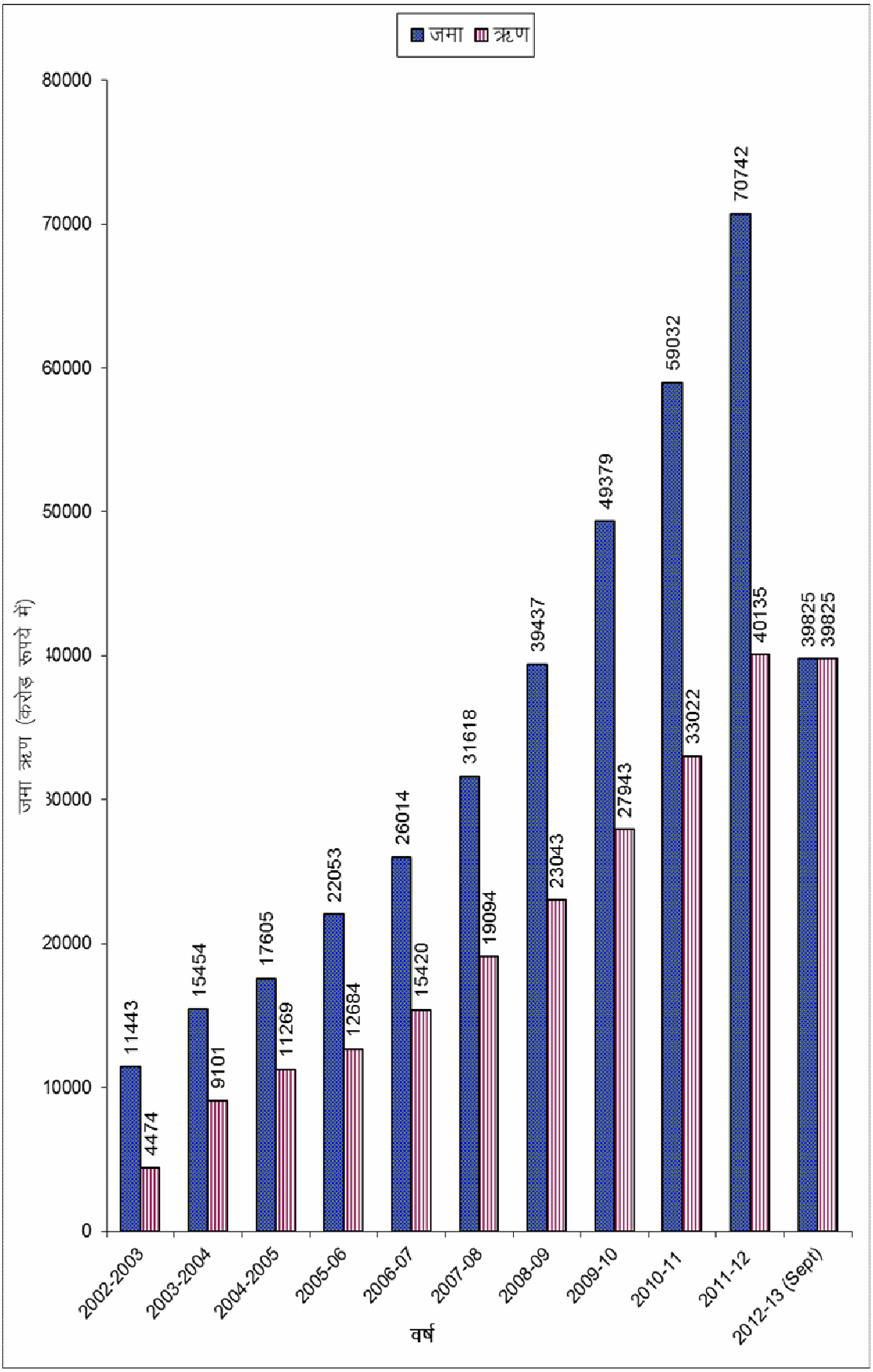

जमाः– राज्य में वित्तीय वर्ष 2011–12 में बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि 70742.27 करोड़ रू. है, जो गत वित्तीय वर्ष 2010–11 की तुलना में 19.84 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 11709.54 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई है।

अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में बैंकों के ऋण की कुल राशि 40135.13 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2010–11 की तुलना में 21.54 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 7112.88 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई।

साख–जमा अनुपातः– यह किसी भी बैंक की कार्यक्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य में बैकों का साख–जमा अनुपात 56.73 % रहा। विगत वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 55.94 % था।

प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 19443.98 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में 5.20 % घटकर 19832.36 करोड़ रू. हो गई।

कृषि अग्रिम :– वित्तीय वर्ष 2010–11 में कृषि अग्रिम की कुल राशि 9540.32 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में 30.29 % घटकर 6651.01 करोड़ रू. हो गई।

लद्यु उद्योगों में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में लद्यु उद्योगों में अग्रिम की कुल राशि 7021.29 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में 14.76 % बढ़कर 8057.54 करोड़ रू. हो गई।

अन्य कमजोर वर्ग हेतु अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम की कुल राशि 3585.49 करोड़ रू. थी जो 18.58 % बढ़कर 4251.81 करोड़ रू. हो गई है।

महिलाओं को अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में महिला वर्गो के लिए अग्रिम की राशि 2079.95 करोड़ रू थी जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर 2349.95 करोड़ रू. हो गई। जो विगत वर्ष से 12.98 प्रतिशत अधिक है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों हेतु वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान रू. 1149 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इसमें से विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में रू. 940 करेाड, छत्तीसगढ़ शासन को ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने हेतु रू. 153 करोड़, विभिन्न अनुदान सहायता आधारित कार्यक्रमों के तहत रू. 29 करोड़, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत सब्सिडी के रूप में रू. 6 करोड़ तथा सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को फसल ऋण के समक्ष ब्याज माफी के रूप में रू. 21 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

2. वर्ष के दौरान नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रू. 940 करोड़ का संवितरण करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसमें रू. 789 करोड़ का फसल ऋण और रू. 151 करोड़ का आवधिक ऋण वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के कृषि और संबद्ध गतिबिधियों उदाहरण लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, डेयरी विकास आदि के लिए दिया गया।

3. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) से नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ शासन को आधारभूत ग्रामीण सुविधाओं हेतु रू. 153 करोड़ संवितरित किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 121 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या पिछले वर्ष के 12 से बढ़कर 853 हो गई है। इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत रू. 291 करोड़ की राशि वर्ष 2010–11 की तुलना में 141 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, इन नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5885 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभावना बनेगी, 263.69 कि.मी. की ग्रामीण सड़कें विकसित होंगी और 769 ग्रामीण गोदाम विकसित होंगे जिससे 5.332 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता निर्मित होगी।

4. (अ) नाबार्ड द्वारा आदिवासियों की आजीविका में वृद्धि हेतु 45 वाडी परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें 15 जिलों के 500

से अधिक गॉवों के 32924 आदिवासी परिवार शामिल हैं। वर्ष के दौरान वाडी विकास हेतु रू. 21.75 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई।

(ब) छत्तीसगढ़ के 12 चुने हुए जिलों में वाटरशेड विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसमें 20809 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा रू. 4.09 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई।

वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विपणन सुविधाओं के विकास हेतु 08 ग्रामीण हाट तैयार करने के लिए रू. 40 लाख की अनुदान सहायता दी गई।

(स) छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है नाबार्ड ने 14 जिलों के 9000 किसानों को धान की गहन खेती पद्धति (सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन–श्री) के संवर्धन हेतु सहायता दी गई है, यह उल्लेखनीय है कि परंपरागत धान की खेती के प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल औसत उपज की तुलना में श्री पद्धति से औसत उपज 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है।

(द) किसानों को प्रौद्यौगिकी अंतरण का लाभ दिलाने हेतु वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 457 किसान क्लबों के गठन में सहायता दी। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 2530 किसान क्लब बन चुके हैं।

5. वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत नाबार्ड ने 312 गोदाम, 28 कोल्ड स्टोरेज, 120 कृषि विपणन आधारभूत सुविधाएं और 59 डेयरी यूनिट के निर्माण हेतु रू. 6 करोड़ की सब्सिडी जारी की।

6. भारत सरकार की ब्याज माफी योजना के तहत नाबार्ड ने वर्ष के दौरान रू. 21 करोड़ की राशि क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (रू. 15 करोड़), छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (रू. 4 करोड़), सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (रू. 1 करोड़) और दुर्ग–राजनॉदगॉव ग्रामीण बैंक (रू. 1 करोड़) जारी किए। इस योजना में रू. 3 लाख तक फसल का ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज में छूट का प्रावधान है।

7. नाबार्ड ने एग्रिमाल बनाने की परियोजना हेतु रू. 274 लाख की ऋण सहायता मंजूर की है, इस परियोजना से विभिन्न क्लस्टरों के 1000 छोटे ओर सीमांत किसानों को मदद मिलेगी।

अध्याय–17

संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन

राजभाषा आयोग :– छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास के लिए कार्यरत अमले के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2011-12 में इस हेतु राशि रू. 53.83 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 38.00 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2012-13 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 85.89 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से अब तक राशि रू. 14.50 लाख का व्यय हुआ है।

बहुआयामी संस्कृति संस्थान :– बहुआयामी संस्कृति संस्थान, राज्य के समस्त प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, विकास, प्रचार–प्रसार, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन से संबंधित संस्थान होगा, इसे साकार करने के उद्देश्य से आडिटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी कलाविथिकाएं, संग्रहालय, ग्रंथालय, पार्किंग स्थल आदि तैयार करने की योजना बनाई गई है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश की केन्द्र प्रवर्तित योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ हुई है।

फोटोग्राफी सेलः– विभाग के अधीन 58 पुरातत्वीय प्राचीन स्मारक है, जिनकी देख–रेख एवं रख–रखाव कार्य किया जाता है। पुरातत्वीय उत्खनन/सर्वेक्षण में प्राचीन पुरातत्वीय स्मारक साईट की खोज होती है। इसका डॉक्यूमेंटेशन तथा विडियोग्राफी की जाती है। साथ ही वांछित स्थलों की समय–समय पर फोटोग्राफी, विडियोग्राफी का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थलों के सर्वेक्षण कार्य के समय वहां की फोटोग्राफी की जाती है। पुरातत्वीय प्रदर्शनी के आयोजन अवसर पर बड़े साईज के छायाचित्र इनलार्ज करवाए जाते हैं तथा प्रदर्शन हेतु रखे जाते हैं। वर्ष 2011-12 में इसके लिए रू. 5.00 लाख का प्रावधान था। जिसमें से राशि रू. 4.73 लाख व्यय हुआ। वर्ष 2012-13 में राशि रू. 10.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मेला/उत्सव/प्रदर्शनीः– इस योजना का उद्देश्य मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी के माध्यम से संस्कृति एवं पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित जानकारी लोकसाधारण तक पहुंचाना है। इसके अंतर्गत मेला उत्सव व प्रदर्शिनियां राज्य के साथ–साथ राज्य के बाहर भी आयोजित की जाती हैं।

इसमें बुद्ध जयंती प्रदर्शनी, महावीर जयंती अवसर पर पुरातत्वीय प्रदर्शनी, स्वाधीनता दिवस पर प्रदर्शनी, शहीद वीरनारायण सिंह के छायाचित्रों की प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ में भगवान रामचन्द्रजी के वनगमन मार्ग पर आधारित प्रदर्शनी, विश्व धरोहर दिवस पर छत्तीसगढ़ के राज्य स्मारक/धरोहर पर आधारित प्रदर्शनी, गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल एवं रायपुर में प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ के प्राचीन गहनों (आदिवासी) की प्रदर्शनी, हिन्दी दिवस के अवसर पर रायपुर में प्रदर्शनी, संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्राचीन स्मारकों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी, राज्योत्सव में पुरातत्वीय एवं संस्कृति की झलक से संबंधित प्रदर्शनी, श्री राजीवलोचन महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी, स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रीय रंग समारोह, नाचा महोत्सव, पावस प्रसंग आजादी 50 आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार संगीत प्रतिभा उत्सव, लोक मड़ई मेला राजनांदगांव, दशहरा मेला (बस्तर) जगदलपुर, ग्वालियर म.प्र. के व्यापार मेले में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, रायपुर में राष्ट्रीय शिल्प मेला, लोक नृत्य उत्सव, रायपुर गुरू घासीदास जी की जयंती पर गिरौदपुरी मेला, कुल्लू दशहरा मेला में छ.ग. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, स्वदेशी मेला, जगार, शिल्प मेला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पंथी नृत्य उत्सव, सरस मेला रायपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावानुसार पारम्परिक मेले उत्सव के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2011-12 में इसके लिए रू. 60.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से राशि रू. 58.89 लाख व्यय किए गए थे। वर्ष 2012-13 में राशि रू. 100.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके विरूद्ध अभी तक राशि रू. 0.73 लाख का व्यय हुआ है।

शोध संगोष्ठीः—इस मद के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित विषय पर राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा कलेक्टर सरगुजा को पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित संगोष्ठी के आयोजन हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभायी गई। हिन्दी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, विश्व धरोहर दिवस पर संगोष्ठी, संग्रहालय दिवस पर संगोष्ठी तथा पुरातत्वीय धरोहर विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्ष 2011-12 में इसके लिए रू. 22.00 लाख का प्रावधान था,

जिसमें से राशि रू. 22.00 लाख व्यय किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु रू. 24.00 लाख का बजट प्रावधान है।

उत्खनन तथा सर्वेक्षणः– इस मद के अंतर्गत तहसीलवार एवं ग्रामवार सर्वेक्षण कर पुरातत्वीय धरोहर/स्मारक संरचना, पुरावशेष की जानकारी का एकत्रीकरण जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2004-05 में पुरातत्वीय नगरी 'सिरपुर' का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। वर्ष 2011-12 में इस योजना के लिए राशि रू. 89.10 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 63.74 लाख का व्यय किया गया, एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्य 3 उत्खनन कार्य व 5 सर्वेक्षण कार्य का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट प्रावधान राशि रू. 100.00 लाख है, जिसमें 39.16 लाख का व्यय हुआ है।

सार्वजनिक पुस्तकालयः– इस मद के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित महंत सर्वेश्वरदास ग्रंथालय को राज्य केन्द्रीय ग्रंथालय का दर्जा दिया गया है। शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित इस ग्रंथालय को ई–लाईब्रेरी के रूप में विकसित कर आधुनिक ग्रंथालय का रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राशि रू. 15.00 लाख का प्रावधान था, जिसमे राशि रू. 3.93 लाख व्यय हुए। इसमें ग्रंथालय में पाठकों के पाठन–पाठन हेतु पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएं क्रय कर उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रंथालय में पाठकों के पाठन–पाठन हेतु पुस्तकें, ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएं क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं अलमारियॉ क्रय किया जाना है।

विभिन्न शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को अनुदानः– इस मद के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों, सर्वेक्षण, प्रकाशन, प्रदर्शनी, संगोष्ठी के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर तथा पुरातत्व संघ को राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभाग के अंतर्गत शासकीय तौर पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई में स्थापित है तथा दूसरी संस्था छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान का गठन कर उसे भी स्थापित किया गया है। इन दोनों संस्थाओं को पोषण अनुदान के साथ–साथ सांस्कृतिक गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में रू. 33.00 लाख का बजट से 150 पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान दिए जाने हेतु लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 124 पंजीकृत संस्थाएं जो कि सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते है, इस हेतु रू. 31.97 लाख वित्तीय सहायोग/अनुदान प्रदाय किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि रू. 38.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से अभी तक रू. 12.57 लाख का अनुदान दिया गया है।

समारोह हेतु अनुदानः– विभाग के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित करना कला का प्रचार–प्रसार करना, उनकों शासकीय मंच प्रदान करना, उन्हें प्रदेश, देश एवं देश के बाहर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राशि रू. 362.63 लाख बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल राशि रू. 361.77 लाख का व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि रू. 285.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें अभी तक राशि रू. 33.24 लाख का व्यय हुआ है।

विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थानः– इस योजनांतर्गत स्वामी विवेकानंद के आदर्शो पर आधारित संस्थान का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2011-12 में इस हेतु राशि रू. 15.00 लाख का बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 15.00 लाख का व्यय हुआ था। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजनांतर्गत राशि रू. 25.00 लाख बजट प्रावधान है।

कलाकार कल्याण कोषः– इस योजना मद वरिष्ठ कलाकारों/साहित्यकारों के परिवार को गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 में 34 वरिष्ठ कलाकारों/साहित्यकारों को राशि रू. 5.00 लाख का सम्पूर्ण बजट अनुदान दिया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस मद में रू. 8.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मुक्तांगन संग्रहालयः– विभाग के अधीन पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय एक महत्वाकांक्षी योजना है। पुरखौती मुक्तांगन की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति के मुलतत्व, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर की संपन्नता तथा जनजातीय के साथ प्रकृति के संबंध की अभिव्यक्ति है जिसमें लोक, नागर तथा जनजातीय सांस्कृतिक धारा रूपायित हो। यह एक निर्जिव संग्रहालय न होकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का जीवंत परिसर होगा जहां सृजनशील मानव की कर्मठता आकार ले सकेगी ।

पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से 18 कि.मी. दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के सन्निकट ग्राम उपरवारा स्थित लगभग 200 एकड़ की विशाल समतल भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

इस परिसर में पैनल, चार्ट, मॉडल के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियां सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल, वनौषधि, कृषि, सिंचाई व्यवस्था आदि प्रदर्शित की जाएंगी। फ्लड हिस्ट्री, टेक्टोनिक हिस्ट्री वनस्पतियों का विकास, नदियों एवं पर्वतों का विकास भी प्रदर्शित किया जाएगा। कला के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा, इनके साथ खेलगुड़ी, उड़ीसारथ, बस्तर घोटुल, बस्तररथ, राजस्थान गृह, मणिपुर गृह आदि भी विकसित किये जाते है, उपरोक्त प्रकार का विकास करने हेतु परिसर के सिविल कार्यो को करने के लिए ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग को राशियों का समय–समय पर आबंटन किया जा रहा है।

परिसर में कॉस्य प्रतिमाएं, मूर्तिशिल्प काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प, ढोकरा शिल्प, मृदा शिल्प, गोदना चित्रकारी, रजवार शिल्प, बांस शिल्प आदि कलाकृतियों को निर्मित कर स्थापित करने हेतु अलग अलग विधाओं की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। इन कार्यशालाओं में आदिवासी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के शिल्पियों कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इन्हे कच्ची सामग्री प्रदाय की जाती है। मुख्य शिल्पियों को प्रतिदिन रू. 200/–मात्र मानदेय तथा सहायक शिल्पकार को रू. 150/– मानदेय दिया जाता है। परिसर में ही इनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है। एक एक विधा की कार्यशाला 15 से 20 दिन की अवधि तक रहती है तथा शिल्पियों की संख्या 15 से लेकर 30 तक रहती है। इसमें कॉस्य प्रतिमाएं, लौह शिल्प कलाकृतियां, काष्ठ शिल्प, बेल मेटल शिल्प, भित्ति चित्र पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा सिविल वर्क के तहत सम्पन्न करवाये जा रहे है।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2003-04 से आरंभ हुई है जिसमें इस हेतु बजट प्रावधान राशि 0.40 करोड़ मात्र था।

वर्ष 2011-12 में राशि रू. 300.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध रू. 263.74 लाख व्यय हुआ जिसमें 15 भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राशि रू. 330.00 लाख का बजट के विरूद्ध अभी तक रू. 36.64 लाख का व्यय हुआ है।

गजेटियर और सांख्यिकी विवरण :– इस मद के अंतर्गत कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनभत्ते एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य किए जाते है।

वर्ष 2011–12 में इस मद में राशि रू. 56.46 लाख का बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 25.95 लाख का व्यय हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि रू. 26.91 लाख का बजट प्रावधान के विरूद्ध अभी तक राशि रू. 4.36 लाख का व्यय हुआ है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

छत्तीसगढ़ प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन्य प्राणियों, नक्काशीदार मंदिरों, बौद्य स्थलों, राजमहलों, जलप्रपातों, गुफाओं एवं शैल चित्रों से परिपूर्ण है। राज्य का 44 प्रतिशत भू–भाग वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक समृद्ध पर्यटन राज्य है, यहॉ एतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, औद्यौगिक केन्द्र, प्राकृतिक सौंदर्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य के साथ–साथ गौरवशाली आदिम लोक संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से छोटे–बड़े लगभग 120 स्थल पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 :– इस योजना के अंतर्गत अर्हता पूर्ण करने वाली नवीन इकाईयों एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण हेतु निर्दिष्ट प्रोत्साहन देय होगा। प्रोत्साहन पात्रता इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है :– होटल, मोटल, टूरिस्ट रिसोर्ट, हेरीटेज होटल, मार्ग सुविधाएं, हेल्थ फॉर्म, कला एवं शिल्पग्राम, मनोरंजन पार्क, कैपिंग एवं टेंट सुविधाएं, साहसिक/मनोरंजक गतिविधियों के केन्द्र, रोप–वे, गोल्फ कोर्स, मल्टीप्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर आदि।

प्रोत्साहन :– इसके अंतर्गत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :– भूमि–प्रीमियम में छूट, भूमि आबंटन, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि बैंक योजना, भू–आबंटन सेवा शुल्क, वाणिज्यिक कर (VAT), अन्य रियायतें ।

राज्य सरकार द्वारा आबंटित बजट की स्थिति निम्नानुसार हैः– 2011–12 हेतु राशि रू. 4785.00 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया था तथा वर्ष 2012–13 हेतु राशि रू. 4950.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विगत वर्षों में प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियॉ :–

1. छत्तीसगढ़ पर्यटन के प्रचार–प्रसार हेतु ख्याति प्राप्त पर्यटन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया, टूडेस ट्रेवलर, आउट लुक ट्रेवलर, एशिया स्पा इंडिया, लैण्डस्केप, फोटोलुक टूरिज्म आदि में विज्ञापन एवं लेख प्रकाशित किया जाता है।
2. फरवरी–मार्च 2007 से प्रतिवर्ष राजिम कुंभ का आयोजन।
3. छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा शहरों के समीप नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर हाईवे मोटल/रिसॉर्ट का निर्माण।
4. रविशंकर जलाशय गंगरेल में मोटल भवन, स्वागत कक्ष, शौचालय, फौव्वारा तथा गार्डन का निर्माण।
5. चम्पारण्य में पर्यटक सूचना केन्द्र, सूचना पटल, दुकानों तथा चबूतरे का निर्माण।
6. कैलाश गुफा जिला जशपुर में पर्यटकों के लिए (प्रकाशीकरण, महिला डारमेट्री, शेड आदि) सुविधाओं का विस्तार।
7. चित्रकोट में 13 लक्जरी टेंट का निर्माण कार्य प्रगति में।
8. पर्यटकों को बारनवापारा अभ्यारण्य में भ्रमण हेतु प्रदूषण रहित इलेक्ट्रावेन वाहन का परिचालन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
9. प्रदेश के बाहर दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम एवं भोपाल में पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ–साथ अमृतसर, मुंबई, शिरडी, रॉची, चेन्नई एवं जयपुर में भी पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।
10. जगदलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय एवं डोकरा क्राफ्ट पर आधारित संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
11. तीरथगढ़, सोनतराई एवं सिरपुर में मोटल निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अध्याय –18

नगरीय निकाय

विभागीय परिचय :– छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं। विभाग के अधीन स्थापित संचालनालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर में स्थापित है।

अधीनस्थ कार्यालय

1. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
2. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर
3. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय सरगुजा
4. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

नगरीय निकाय :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है :–

निकाय	वर्ष 2000	वर्ष 2003	वर्ष 2012
नगर पालिक निगम	06	10	10
नगर पालिका परिषद्	20	28	32
नगर पंचायत	49	72	126
कुल योग	**75**	**110**	**168**

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :–

1. राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग. रायपुर
2. राज्य की 10 नगर निगम
3. राज्य की 32 नगर पालिकाएं
4. राज्य की 126 नगर पंचायतें

विभाग के दायित्व :– नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषय, तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण, छ.ग. नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम का क्रियान्वयन एवं पट्टों के दस्तावेजों का पर्यवेक्षण, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि प्रशासन, वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

सरोवर धरोहर योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 11.90 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 50 तालाबों का कार्य लिया जाकर रू. 688.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 521 परियोजनाओं में रू. 4491.15 लाख व्यय कर 391 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

ज्ञानस्थली योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 5.25 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 7.35 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 8.65 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 9.70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 08 कार्यों हेतु रू. 59.28 लाख स्वीकृत गया है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 1010 शाला भवनों में से रू. 2042.74 लाख व्यय कर 926 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 10.25 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 07 कार्यों हेतु 123.04 लाख की स्वीकृत दी गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 167 परियोजनाओं में राशि रू. 1489.76 लाख व्यय कर 140 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

पुष्प वाटिका उद्यान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू.16.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अभी तक 23 कार्यों हेतु 333.01 लाख की स्वीकृत दी गई है। योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 300 परियोजनाओं में रू. 1980.04 लाख व्यय कर 191 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

मुक्तिधाम निर्माण योजनाः– शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 8.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। समस्त नगरीय निकायों में योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 24 कार्य हेतु रू. 225.23 लाख व्यय का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में 184 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना :–राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. 46,000/– की लागत से छोटी दुकान, रू. 57000/– की लागत से बड़ी दुकान तथा रू. 6500/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत 2011–12 में 78 दुकानों हेतु 17.94 लाख स्वीकृत किया गया है। अभी तक रू. 2279.75 लाख की लागत से 8032 दुकानों तथा 5429 चबूतरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 6021 दुकान व चबूतरा पूर्ण कर शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

महिला समृद्धि बाजार योजना :– राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से **महिला समृद्धि बाजार योजना** प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है।

योजनांतर्गत अभी तक 778 दुकानों का निर्माण हेतु रू. 194.50 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसमें 515 दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं। 263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत कुल 08 निकायों में रू. 21.31 करोड़ की योजना के विरूद्ध व्यय राशि रू. 15.66 करोड़ की राशि जारी की गई है। 03 परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है।

गोकुल नगर योजना :– नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. 1396.81 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 05 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :– शहरों में निवासरत् आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007–08 में लागू की गई है। प्रथम चरण में 5000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 में 10000 हितग्राहियों को शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें SDI Scheme अंतर्गत विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :–वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2011–12 में 17 कार्य हेतु 756.10 लाख स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत अब तक 133 हाट बाजार के लिए

रू. 5592.75 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 4348.82 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 68 परियोजना पूर्ण किया जाकर 65 हाट बाजार निर्माणाधीन है।

सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :– वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में 25.00 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। वर्ष 2011–12 में 13 कार्य हेतु रू. 333.95 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

योजनांतर्गत अब तक 129 सांस्कृतिक भवन के लिए रू. 3655.00 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 2820.68 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 60 परियोजना पूर्ण किया जाकर 81 सांस्कृतिक भवन का कार्य निर्माणाधीन है।

अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना (नवीन योजना) :– नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, उन्हें आर्थिक रूप से सुढृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत्–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में 15 निकायों में 41 केन्द्र स्वीकृत कर रू. 419.50 लाख राशि प्रदाय की गई है।

भागीरथी नल–जल योजना (नवीन योजना) :– राज्य के लगभग 2.5 लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। वर्तमान में इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इन गरीब परिवार को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किए जाने हेतु भागीरथी नल–जल योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत हितग्राही परिवार से निर्धारित मासिक जल कर लिया जावेगा। इस योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– की प्रतिपूर्ति का

प्रावधान है। वर्तमान में नगरीय निकायों को 131256 निःशुल्क जल संयोजन हेत रू. 3572.15 लाख आबंटित किए गए हैं।

ऑन–लाईन जन शिकायत निवारण प्रणाली (निदान 1100) :– ऑन लाईन जन शिकायत निवारण प्रणाली प्रदेश के समस्त 10 नगर निगमों में प्रारंभ की गई है। इस प्रणाली के द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र के नागरिकों द्वारा टोल फ्री नंबर 1100 पर स्ट्रीट लाईट और पेयजल से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा रही हैं एवं दर्ज हुई शिकायत का निराकरण निर्धारित समयावधि (24 घंटे से 07 दिवस) में किया जा रहा है। निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं होने पर इसकी जानकारी उच्च स्तर पर सूचित किया जा रहा है। योजना प्रारंभ दिनॉक 06 मार्च 2012 से 31 जुलाई 2012 तक कुल प्राप्त 8961 शिकायतों में से 8867 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :– स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत छ.ग. राज्य गठन के बाद से अभी तक केन्द्र से रू. 7045.42 लाख तथा राज्य से रू. 1761.35 लाख राशि दी गई है, कुल रू. 8806.77 लाख व्यय किए गए हैं। वर्ष 2011–12 में 1200 व्यक्तिगत तथा 769 समूहों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 2011–12 में केन्द्र से रू. 1342.70 लाख प्राप्त हुए हैं। केन्द्रांश के विरूद्ध राज्य शासन से रू. 400.65 लाख का आहरण प्राप्त हो चुका है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :– (J.N.U.R.M.) राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन **(N.U.R.M.)** अंतर्गत देश के 65 नगरों में नगरीय विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। योजनांतर्गत वर्ष 2005–12 तक के लिए विभिन्न घटकों में योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध आबंटन/स्वीकृति की स्थिति निम्नलिखित है :–

क.	निकाय	स्वीकृति योजना	स्वीकृत परियोजना	प्राप्त राशि				वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजना पूर्ण होने की संभावित तिथि
				केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग			
1	रायपुर	जलआवर्धन	303.64	218.61	30.36	30.36	279.33	277.42	95%	दिसंबर 2012
2	रायपुर	सिटीबस	14.85	5.94	0.74	0.00	6.68	0.00	अक्टूबर 2012 अंत तक प्रारंभ	दिसंबर 2012
		योग	**318.49**	**224.55**	**31.1**	**30.36**	**286.01**	**277.42**		

बी.एस.यू.पी. परियोजना

क्र.	परियोजना का नाम	स्वी. परियोजना लागत	भौतिक प्रगति				प्राप्त राशि	वित्तीय प्रगति	योजना पूर्ण होने की संभावित तिथि
			स्वी. आवास संख्या	पूर्ण आवास संख्या	प्रगतिरत आवास संख्या	आबंटित आवास			
1	रायपुर एवं नया रायपुर	461.49	19474	4032	9218	1691	202.82	176.67	मार्च 2014 तक

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए राशि रू. 117.50 करोड़ का प्रावधान इन कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए रखा गया है।

अध्याय–19

राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

राज्य योजना आयोग का प्रमुख कार्य–पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का निर्माण करना, संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजनाओं की प्राथमिकताएं सुनिचित करना, क्षेत्रीय योजनाएं निर्माण में सहयोग करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में असंतुलन के कारणों को अभिज्ञापित करना तथा उसे दूर करने हेतु सुझाव देना, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतिगत निर्णयों को लेने के लिए तथ्यों के आधार पर आवष्यक सिफारिश करना है।

आयोग द्वारा कियान्वित कार्यक्रम

1. 12–वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) मे राज्य के लिए लक्षित सामाजिक संकेतक

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 12–वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नानुसार सामाजिक संकेतको का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

क्र.	मद	इकाई	11वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धि	12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिशु मृत्युदर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	48	28
2.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	269	122
3.	रक्ताल्पता (महिला 15–49 वर्ष)	प्रतिशत	57.5	28

2. 12–वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित विकास वृद्धि दर –

योजना आयोग, भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा 12–वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नानुसार सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रक अनुसार वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है –

क्र.	मद	इकाई	भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कृषि क्षेत्र	प्रतिशत	4.00	4.00
2.	उद्योग	प्रतिशत	9.60	11.00
3.	सेवाएं	प्रतिशत	9.60	11.60
	कुल	**प्रतिशत**	**8.80**	**10.00**

3. सहस्त्राब्द्धि विकास लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धियों की समीक्षा

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा लक्षित विकास संकेतकों के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ एवं अंतिम अवस्था की राज्य स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	विकास संकेतक	इकाई	11वी पंचवर्षीय योजना से पूर्व की स्थिति	11वी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	11वी पंचवर्षीय योजना तक की उपलब्धियां	कॉलम 6 का संदर्भ वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	40.8	26.2	अनुपलब्ध	–
2.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	61	30	48	योजना आयोग प्रारूप
3.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्म पर	335	126	269	योजना आयोग प्रारूप
4.	सकल प्रजनन दर (महिला 15–49 वर्ष)	प्रति महिला	3.3	2.4	3.0	(SRS-2010)
5.	कुपोषण(0 से 3 वर्ष के बच्चें में)	प्रतिशत	52.1	26.1	अनुपलब्ध	-
6.	रक्ताल्पता (महिला 15–49 वर्ष)	प्रतिशत	57.5	28.8	57.5	योजना आयोग प्रारूप
7.	लिंगानुपात	प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएं	989	999	991	जन–2011
8.	शाला त्याज्य दर	प्रतिशत – कुल प्राथमिक अपर प्राथमिक	46.81	10	5.55 6.19	(2009-10)
9.	साक्षरता दर	प्रतिशत	64.66	86.16	71.04	जन–2011
10.	महिला पुरूष साक्षरता अंतर	प्रतिशत	25.33	15.6	20.86	जन–2011
11.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि		Nov.2007			2010–11
	1. कृषि	प्रतिशत	9.10	1.70	2.63	
	2. उद्योग	प्रतिशत	14.70	12.00	10.99	
	3. सेवाएं	प्रतिशत	6.80	8.00	11.77	
	योग	प्रतिशत	9.30	8.60	9.71	

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यय को अपेक्षा अनुसार बढ़ाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों (कृषि, उद्योग एवं सेवाएं) में लक्ष्य के सापेक्ष में उपलब्धियॉ अधिक अर्जित की गई है।

सभी विकास संकेतांकों में भी 11 वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व की तुलना में काफी सुधार हुआ है, यद्यपि 11 वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा प्राप्त नहीं हो पाया है।

4. 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) :–

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11–वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) रूपये 53730.00 करोड़ का अनुमोदन किया गया था, जिसके सापेक्ष में परिव्यय 81.86 प्रतिशत किया गया है जैसा कि निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट होता है –

(करोड़ रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	प्रारंभिक योजना अनुमोदित राशि	पांच वर्षो में अनुमोदित राशि	11वी पंचवर्षीय योजना व्यय	कॉलम 03 के सापेक्ष में व्यय प्रतिशत	कॉलम 04 के सापेक्ष में व्यय प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	4659.37	4237.32	216.69	90.94
2.	ग्रामीण विकास	4260.06	2508.45	1884.34	44.23	75.12
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	284.30	2149.79	2362.09	830.85	109.88
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	6613.51	5223.67	72.27	78.98
5.	ऊर्जा	1805.37	941.97	1313.46	72.75	139.44
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1054.65	990.53	121.53	93.92
7.	यातायात	7272.48	6382.00	4467.88	61.44	70.01
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3369.53	1525.06	1305.06	38.73	85.57
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1967.12	2039.34	244.33	103.67
10.	सामाजिक सेवायें	25568.96	29236.13	19927.01	77.93	68.16
11.	सामान्य सेवायें	336.36	479.96	232.68	69.17	48.48
	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	230.87	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	53730.00	57748.87	43983.37	81.86	76.16

11–वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित एवं परिव्यय राशि

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	प्रारंभिक योजना अनुमोदित राशि	11वी पंचवर्षीय योजना व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	4237.32
2	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	5223.67
3	यातायात	7272.48	4467.88
4	सामाजिक सेवायें	25568.96	19927.01
5	अन्य	11705.37	10127.49
	कुल	53730.00	43983.37

अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्द्धि विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल परिव्यय रू. 43983.37 करोड़ के सापेक्ष में कृषि, सिंचाई, परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत क्रमशः 9.63, 11.88,

10.16 तथा 45.31 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है । शेष अन्य सभी क्षेत्रको में 23.03 प्रतिशत व्यय हुआ है । योजना के अंतर्गत केवल कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के अंतर्गत प्रारंभिक अनुमोदित राशि रू. 1955.46 करोड़ के अनुमोदन के सापेक्ष में रू. 4237.32 करोड़ (लक्ष्य से 216.69 प्रतिशत अधिक) व्यय किया गया है, जबकि अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रको में अनुमोदित राशि से व्यय कम हुआ है, जैसा कि निम्न चित्रांकन से स्पष्ट होता है ।

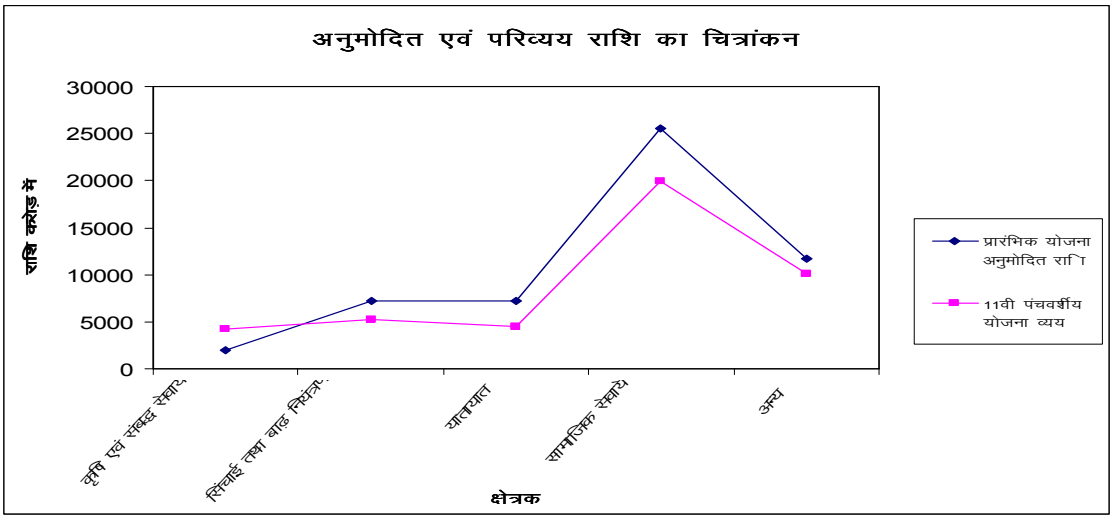

3. 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्रकीय आबंटन

राज्य के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्तियो के संदर्भ में 12–वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रमुख क्षेत्रक अनुसार प्रस्तावित योजना राशि का विवरण निम्नवत है –

(करोड़ रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	12वीं पंचवर्षीय योजना	कुल योजना का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	8283.74	6.97
2.	ग्रामीण विकास	3668.52	3.09
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3313.50	2.79
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11952.26	10.06
5.	ऊर्जा	7337.03	6.17
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	1972.32	1.66
7.	यातायात	13017.31	10.95
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	2840.14	2.39
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	5206.92	4.38
10.	सामाजिक सेवायें	61260.26	51.54
11.	सामान्य सेवायें	0.00	0.00
	कुल बजटीय योजना	118852.00	100.00
	स्थानीय निकाय संसाधन	4421.00	
	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	8455.00	
	कुल योजना परिव्यय	131728.00	

4. राज्य की वार्षिक योजनाओं के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉः–

11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय रूपये 16710.25 करोड़ के विरूद्ध रू. 12363.30 करोड़ (73.99 प्रतिशत) का व्यय किया गया। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रूपये 1621.67 करोड़ के अनुमोदित के विरूद्ध रूपये 1230.01 करोड़, ग्रामीण विकास पर रूपये 496.14 करोड़ के विरूद्ध रूपये 468.39 करोड़ एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 8399.47 करोड़ के विरूद्ध रूपये 6216.84 करोड़ का व्यय किया गया।

वार्षिक योजना 2012–13 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 21184.35 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए रूपये 2284.24 करो़ड़, ग्रामीण विकास हेतु रूपये 806.97 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु रूपये 2086.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 45% राशि रूपये 9578.85 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है, जैसा कि निम्न सारिणी में स्पष्ट है –

वार्षिक योजनाओं की क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित एवं व्यय राशि का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2011–12			वार्षिक योजना वर्ष 2012–13	
		अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि	क्षेत्रक प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	162167.93	123001.44	75.85	228424.36	10.78
2	ग्रामीण विकास	49614.15	46838.76	94.41	80697.43	3.81
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	72848.50	71570.56	98.22	76146.20	3.59
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	204160.58	131713.29	64.51	208625.09	9.85
5	उर्जा	28690.40	49782.85	173.52	126355.83	5.96
6	उद्योग तथा खनिकर्म	25660.23	23223.37	90.50	26846.46	1.27
7	यातायात	144331.71	71283.52	49.39	274073.80	12.94
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	37522.86	31887.58	84.98	50525.37	2.39
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	61299.31	62970.77	102.73	67589.42	3.19
10	समाजिक सेवायें	839969.11	621684.40	74.01	957885.43	45.22
11	सामान्य सेवायें	44760.23	2373.44	20.36	21266.10	1.00
	योग	**1671025.01**	**1236329.98**	**73.99**	**2118435.49**	**100.00**

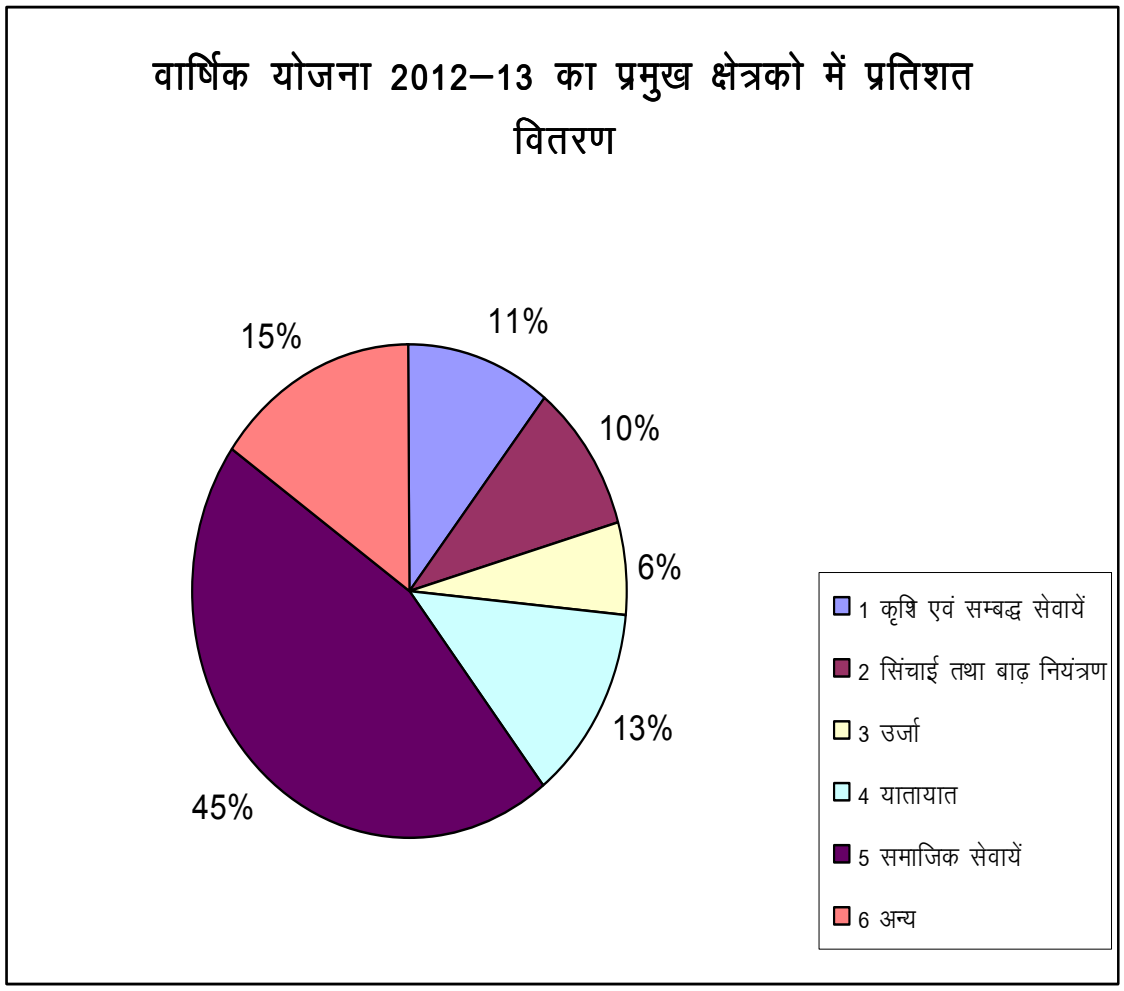

वार्षिक योजना में जनसंख्यानुपात प्रावधान

योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देश के संदर्भ में प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में योजना के लिए संरक्षित वित्तीय संसाधनो का प्रवाह किया जा रहा है। प्रदेश में 2001 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 31.76 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति 11.61 प्रतिशत निवासरत है। राज्य के योजना आयोग द्वारा इन जातियो के लिए वर्ष 2012–13 में किये गये वित्तीय संसाधन के प्रवाह का अनुमोदन योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त किया गया है। जनसंख्यानुपात के संदर्भ में अनुसचित जनजाति के लिए 34.73 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 11.49 प्रतिशत धनराशि का परिव्यय सुनिश्चित किया जा रहा है, जैसा कि निम्न सारिणी से स्पष्ट है –

(लाख रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2012–13		
		अनुमोदित राशि	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	228424.36	74209.60	32437.87
2	ग्रामीण विकास	80697.43	31838.05	8974.91
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	76146.20	54070.90	3000.00
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	208625.09	50388.00	43031.00
5	उर्जा	126355.83	33754.21	15584.81
6	उद्योग तथा खनिकर्म	26846.46	5999.15	1403.75
7	यातायात	274073.80	93060.00	31500.00
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	50525.37	22880.64	5083.36
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	67589.42	22597.68	7218.32
10	समाजिक सेवायें	957885.43	341780.19	93808.58
11	सामान्य सेवायें	21266.10	5067.00	1308.00
	योग	**2118435.49**	**735645.42**	**243350.60**
	प्रतिशत	**100.00**	**34.73**	**11.49**

जनसंख्या अनुपात में संसाधनो का वितरण

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	वित्तीय प्रावधान (प्रतिशत)	
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	32.49	14.20
2	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	24.15	20.63
3	यातायात	33.95	11.49
4	सामाजिक सेवायें	35.68	9.79
5	अन्य	39.21	9.47
	योग	**34.73**	**11.49**

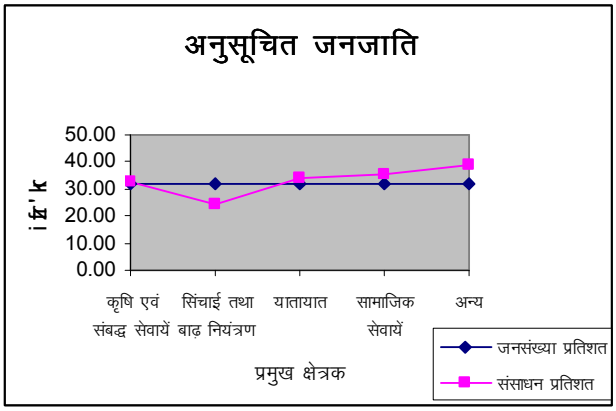

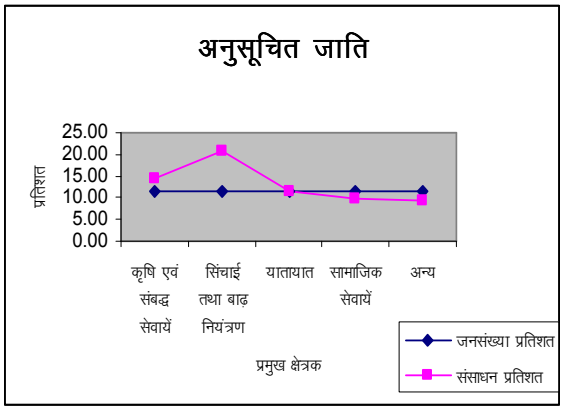

4. जिला वार्षिक योजना

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। वर्ष 2013–14 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं दिसम्बर 2012 तक प्राप्त किया जाना है ।

5. संयुक्त राष्ट्र–भारत सरकार तथा राज्य शासन अभिसरण कार्यक्रम :-

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं (यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए) के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों (महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर) में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण का यह कार्यक्रम दिसम्बर 2012 तक प्रभावी है, जिसे 2013–17 की अवधि में अनवरत् चालू रखना प्रस्तावित है, कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

एकीकृत एवं सभी को जोड़ने वाली जिला योजना को अपनाना।

1. सरकारी एवं अन्य संसाधनों का जिलों द्वारा अधिकतम उपयोग।
2. सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं का स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ीकरण।
3. मैनेजमेंट एवं योजना बनाने में मॉनिटरिंग का उपयोग ।

जिला योजना के संदर्भ में कार्यक्रम की उपलब्धियां :–

1. जिला स्तरीय प्रशासनिक, जिला योजना समिति के सदस्यो के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली से सम्बद्ध सभी अधिकारियों को विभिन्न चरणो में विभिन्न समयावधि में प्रशिक्षित किया गया है ।
2. जेंडर सब प्लान रायपुर एवं कोरबा जिला में आयोजित।
3. ग्राम/नगर (वार्ड) सूचक पत्रक का आकड़े संकलन हेतु महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों का चयन ।
4. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का चयन कर मानव संसाधन उपलब्ध कराकर जिला योजना पर तीन माह का प्रशिक्षण अक्टूबर 2011 से प्रारंभ किया गया है ।
5. प्लान प्लस पर प्रशिक्षण –राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से महासमुंद जिले में अधिकारियों का प्रशिक्षण।

6. राज्य के 12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्ष हेतु एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन।
7. 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार (पेसा पर अध्ययन)
8. परिणाम मूलक प्रबंधन पर कार्याशाला का आयोजन।
9. वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विकेन्द्रीकृत जिला योजना पर कार्यशाला का आयोजन।
10. मीडिया कैपीसिटी बिल्डिंग पर कार्यशाला का आयोजन। जिला योजना के दिशा–निर्देशों पर कार्यशाला।

भाग–दो

सांख्यिकी तालिकाएँ

:: विषय सूची ::

भाग–दो (सांख्यिकी तालिकाएँ)

1.	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1-3
2.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	4
3.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	5
4.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	6
5.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	7
6.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	8
7.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	9
8.	छत्तीसगढ़ का भाुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रति ात वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	10
9.	छत्तीसगढ़ का भाुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रति ात वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	11
10.	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	12
11.	प्रमुख फसलों का उत्पादन	13
12.	प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन	14
13.	सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र	15
14.	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	16
15.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य	17
16.	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	18
17.	महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य	19
18.	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य	20
19.	सड़को की लम्बाई	21
20.	कुल पंजीकृत वाहन	22
21.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	23
22.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	24
23.	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	25
24.	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	26
25.	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	27

तालिका–1.1
छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
भौगोलिक क्षेत्रफल	**वर्ग कि. मी.**	2011–12	137898
प्रशासनिक संरचना			
जिला	संख्या	2011–12	27
तहसीलें	–,,–	–,,–	149
विकास खण्ड	–,,–	–,,–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	–,,–	85
कुल ग्राम	–,,–	–,,–	20307
कुल जनसंख्या	हजार	जनगणना– 2011 *	25540
पुरूष	–,,–	–,,–	12828
स्त्री	–,,–	–,,–	12712
ग्रामीण	–,,–	–,,–	19604
नगरीय	–,,–	–,,–	5936
अनुसूचित जाति	–,,–	जनगणना– 2001 **	2419
अनुसूचित जनजाति	–,,–	–,,–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011)	प्रतिशत	जनगणना– 2011 *	22.59
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	–,,–	189
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	–,,–	991
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2011–2012 (Q)	46743
स्थिर (2004–05) भावों पर	–,,–	–,,–	26979
कृषि वर्ष 2011–2012			
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टर	2011–2012	4677
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	–,,–	5664
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1415
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1648
कृषि जोत (कृषि संगणना 2005–06)			
कृषि जोतों की संख्या	लाख	2005–2006	34.61
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टर	–,,–	52.10
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टर	–,,–	1.51

* (जनगणना–2011 के अनन्तिम आंकड़े)

** (अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के आंकड़े जनगणना–2011 में उपलब्ध नहीं है)

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
कृषि उत्पादन (वास्तविक)			
अनाज	हजार मेट्रिक टन	2011–2012	6653
खाद्यान्न	–,,–	–,,–	7205
तिलहन	–,,–	–,,–	178
धान	–,,–	–,,–	9451
गेंहूं	–,,–	–,,–	135
मक्का	–,,–	–,,–	178
चना	–,,–	–,,–	261
तुअर	–,,–	–,,–	24
स्त्रोतः–आयुक्त भू–अभिलेख			
पशु संगणना 2007			
गौवंश पशु	हजार में	2007	9486
भैंस वंशीय पशु	–,,–	–,,–	1603
भेंड़/भेंड़ी	–,,–	–,,–	140
बकरा/बकरी	–,,–	–,,–	2766
सूवर	–,,–	–,,–	412
अन्य पशु	–,,–	–,,–	3319
कुक्कूट	–,,–	–,,–	14245
विद्युत			
अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावॉट	2011–2012 *	1924.70
उत्पादन	मि.यू.	–,,–	12982.78
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	–,,–	3551
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	–,,–	2989
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	–,,–	19196
एक बत्ती कनेक्शन	हजार	–,,–	1327.34
* प्रावधिक आंकड़ें			
मत्स्योत्पादन			
मछली उत्पादन	हजार मीटरिक टन	2011–2012	250.69
वन			
वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	2011–2012	59772
आरक्षित वन	–,,–	–,,–	25782
संरक्षित वन	–,,–	–,,–	24036
अवर्गीकृत	–,,–	–,,–	9954
परिवहन			
कुल सड़कों की लंबाई	कि.मी.	दिसम्बर, 2011	31803
पंजीकृत वाहन	हजार	मार्च, 2012	3099.73

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
साक्षरता			
कुल	प्रतिशत	जनगणना– 2011 *	71.04
पुरूष	–,,–	–,,–	81.45
स्त्री	–,,–	–,,–	60.59
शैक्षणिक संस्थायें			
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	2011–12	38398
पूर्व माध्यमिक विद्यालय	–,,–	–,,–	16364
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	–,,–	–,,–	3259
हायर सेकेण्डरी विद्यालय	–,,–	–,,–	2884
(स्कूल शिक्षा विभाग में निजी , ट्रायबल तथा शासन से अनुदान/गैर अनुदान प्राप्त, विद्यालय शामिल है)			
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय (शासकीय)	–,,–	–,,–	181
विश्व विद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित)	–,,–	–,,–	08
तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	–,,–	2012–13	142
स्वास्थ्य सेवाएं			
जिला चिकित्सालय	संख्या	दिस. 2012	27
सिविल अस्पताल	–,,–	–,,–	14
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	–,,–	155
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	–,,–	764
उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	–,,–	5136
जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय	–,,–	–,,–	07
आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक औषधालय	–,,–	–,,–	693
आयुष विंग,स्पेस्लाइस्ड थेरेपी सेन्टर, स्पेशिलिटि क्लीनिक, आयुष केन्द्र	–,,–	–,,–	460
नियोजन			
जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	संख्या	जून. 2012	1327685
नौकरी दिलाये गये व्यक्ति (नियुक्ति)	–,,–	(1 जन.– 30 जून 2012)	162
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
कार्यालय/शाखाएँ	संख्या	मार्च, 2012	1522
जमा राशि	राशि मिलियन रु.में	–,,–	689169
ऋण राशि	–,,–	–,,–	368599

* (जनगणना–2011 के अनन्तिम आंकड़े)

तालिका क्रमांक 2.1

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11(P)	2011-12(Q)	2012-13(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	890805	967892	1295565	1314267	1519514	1944080	2243852	2465630
2	वन उद्योग	262491	290518	311445	326370	364589	394196	403897	427475
3	मत्स्य उद्योग	59822	72536	75227	87008	114055	188920	234829	303458
4	खनन तथा उत्खनन	678985	810723	976239	1208213	935778	1129774	1362963	1637771
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1892104**	**2141668**	**2658477**	**2935858**	**2933936**	**3656970**	**4245541**	**4834334**
5	**विनिर्माण**	**918164**	**1490190**	**1801186**	**2021248**	**1707247**	**1729182**	**2023503**	**2235884**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	791703	1335169	1619746	1821725	1501793	1495999	1756003	1938504
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	126461	155021	181440	199523	205454	233183	267500	297380
6	निर्माण कार्य	430685	644367	668015	795653	959843	1178006	1353936	1548179
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	212490	235546	295678	746910	686166	730959	916408	1003346
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1561339**	**2370103**	**2764879**	**3563811**	**3353256**	**3638147**	**4293847**	**4787409**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**254911**	**316602**	**375366**	**443310**	**536940**	**605998**	**736164**	**889109**
8.1	रेलवे	57299	76116	84313	93384	118888	104002	120590	135353
8.2	परिवहन	151953	187102	230940	280105	334880	406015	497519	607788
8.3	स्टोरेज	5176	6229	7518	9175	11596	13231	15572	18370
8.4	संचार	40482	47155	52596	60646	71576	82749	102482	127597
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**508972**	**575003**	**708245**	**899635**	**820769**	**1005632**	**1174306**	**1311984**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**481569**	**561058**	**667536**	**814650**	**950284**	**1171719**	**1416945**	**1741713**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	124964	157240	178150	215834	276052	375004	479215	631954
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	356605	403818	489386	598816	674232	796715	937730	1109759
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**639215**	**723055**	**851007**	**1039954**	**1341241**	**1719363**	**2084692**	**2454223**
11.1	लोक प्रशासन	200130	205799	228362	297182	389007	493391	587051	717870
11.2	अन्य सेवाएँ	439085	517256	622645	742772	952235	1225972	1497641	1736353
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	**1884667**	**2175718**	**2602155**	**3197549**	**3649234**	**4502713**	**5412107**	**6397028**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**5338110**	**6687489**	**8025511**	**9697218**	**9936426**	**11797830**	**13951495**	**16018771**
	जनसंख्या (लाख में)	227	232	236	241	245	250	255	260
	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	23516	28825	34006	40237	40557	47191	54712	61611

तालिका क्रमांक 2.2

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11(P)	2011-12(Q)	2012-13(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	832472	873831	974345	835891	926819	1159381	1232281	1297275
2	वन उद्योग	255423	262794	273137	273002	278060	289773	291329	305000
3	मत्स्य उद्योग	57568	60191	60898	69342	73514	99714	109537	120329
4	खनन तथा उत्खनन	571913	640056	671729	740486	758353	804936	811814	888405
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1717375**	**1836872**	**1980108**	**1918721**	**2036746**	**2353804**	**2444961**	**2611009**
5	**विनिर्माण**	**855197**	**1290532**	**1453736**	**1489014**	**1327348**	**1258646**	**1370288**	**1464748**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	736177	1155549	1304310	1335891	1167433	1090283	1189049	1271914
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	119019	134983	149426	153123	157915	168363	181239	192834
6	निर्माण कार्य	408127	574353	556165	595234	686329	780459	834888	887869
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	206128	204466	227750	497366	457486	448990	509160	522651
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1469451**	**2069351**	**2237650**	**2581614**	**2471163**	**2488095**	**2714336**	**2875268**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**249364**	**296819**	**333814**	**371151**	**407324**	**442718**	**502485**	**582149**
8.1	रेलवे	58269	70727	73814	80957	91972	86681	99513	126691
8.2	परिवहन	142907	163381	185585	204699	220672	245068	273125	303436
8.3	स्टोरेज	4881	5513	6055	6749	7585	7855	8414	8998
8.4	संचार	43307	57198	68360	78746	87095	103114	121432	143024
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**433713**	**494142**	**556069**	**640277**	**638876**	**721427**	**765586**	**816383**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**467343**	**524998**	**567975**	**619021**	**699108**	**793209**	**900090**	**1087759**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	134604	173825	198957	229633	294546	371533	459673	624445
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	332738	351174	369018	389388	404562	421676	440417	463314
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**603528**	**637634**	**688760**	**767427**	**181045**	**1030435**	**1139900**	**1220762**
11.1	लोक प्रशासन	189468	183538	187376	222301	261933	303590	331123	370719
11.2	अन्य सेवाएँ	414060	454097	501385	545126	619113	726845	808777	850042
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	**1753948**	**1953594**	**2146618**	**2397876**	**2626353**	**2987789**	**3308061**	**3707053**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**4940774**	**5859816**	**6364377**	**6898211**	**7134262**	**7829688**	**8467358**	**9193330**
	जनसंख्या (लाख में)	227	232	236	241	245	250	255	260
	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	21766	25258	26968	28623	29119	31319	33205	35359

तालिका क्रमांक 2.3

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11(P)	2011-12(Q)	2012-13(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	816587	881435	1197268	1205741	1388223	1794268	2072835	2270406
2	वन उद्योग	259541	287128	308006	322149	360121	389383	398403	421203
3	मत्स्य उद्योग	52148	63528	65860	74775	96916	169764	212962	278495
4	खनन तथा उत्खनन	557755	662793	793736	962973	719017	913013	1088456	1324409
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1686032**	**1894883**	**2364871**	**2565638**	**2564277**	**3266428**	**3772656**	**4294513**
5	**विनिर्माण**	**635345**	**1140835**	**1412066**	**1544940**	**1176667**	**1092900**	**1297159**	**1406729**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	543771	1025411	1273572	1393360	1025868	920901	1099503	1189080
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	91574	115424	138494	151580	150799	171999	197656	217649
6	निर्माण कार्य	413553	617370	638396	757549	909802	1111009	1277456	1460874
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	93923	88145	105034	437190	380695	367870	501926	530196
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1142821**	**1846350**	**2155496**	**2739679**	**2467164**	**2571779**	**3076541**	**3397799**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**220767**	**279181**	**334400**	**393500**	**482095**	**545824**	**667472**	**810694**
8.1	रेलवे	40787	59270	65999	72250	100600	85008	98908	110601
8.2	परिवहन	141278	174865	217013	263068	313218	380968	468927	575148
8.3	स्टोरेज	4982	5982	7196	8781	11110	12623	14878	17578
8.4	संचार	33719	39064	44193	49401	57167	67224	84759	107366
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**499427**	**563604**	**694453**	**880989**	**802560**	**983468**	**1149005**	**1283101**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**434610**	**507174**	**604227**	**738307**	**860929**	**1068080**	**1298636**	**1606658**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	122480	154344	175031	212412	271716	370115	473634	625583
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	312130	352830	429196	525895	589213	697965	825003	981075
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**582792**	**662379**	**781337**	**962759**	**1242561**	**1605989**	**1955270**	**2306482**
11.1	लोक प्रशासन	160773	165177	182239	249027	327751	424015	507855	627464
11.2	अन्य सेवाएँ	422019	497202	599098	713732	914811	1181974	1447416	1679019
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	**1737596**	**2012338**	**2414418**	**2975555**	**3388145**	**4203361**	**5070384**	**6006936**
	कुल योग (अ+ब+स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)	**4566449**	**5753571**	**6934785**	**8280872**	**8419586**	**10041568**	**11919581**	**13699248**
	जनसंख्या (लाख में)	227	232	236	241	245	250	255	260
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	20117	24800	29385	34360	34366	40166	46743	52689

तालिका क्रमांक 2.4

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11(P)	2011-12(Q)	2012-13(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	761507	796216	891150	764903	833500	1058660	1123527	1179847
2	वन उद्योग	252593	259748	270234	269384	274371	286626	288256	301998
3	मत्स्य उद्योग	50114	51455	51689	58849	59786	84458	92583	101488
4	खनन तथा उत्खनन	457117	505982	513021	542841	586438	597186	560760	585020
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1521330**	**1613401**	**1726093**	**1635977**	**1754095**	**2026930**	**2065126**	**2168353**
5	**विनिर्माण**	**585475**	**966800**	**1104456**	**1077915**	**883863**	**745498**	**776122**	**829354**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	499128	867401	992140	965395	770770	624923	645833	690841
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	86346	99399	112316	112520	113093	120575	130289	138513
6	निर्माण कार्य	391698	549178	529410	566600	644778	726671	765259	797734
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	93564	71866	65854	265475	218026	179509	205894	211349
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**1070736**	**1587844**	**1699719**	**1909990**	**1746667**	**1651678**	**1747275**	**1838437**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**217011**	**262291**	**297798**	**329024**	**362319**	**395303**	**451944**	**528151**
8.1	रेलवे	42758	55228	58065	64189	77007	71902	84496	111432
8.2	परिवहन	132634	151851	172862	189141	202427	224600	250162	277674
8.3	स्टोरेज	4695	5290	5782	6433	7229	7433	7916	8408
8.4	संचार	36924	49922	61089	69261	75656	91368	109370	130637
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	**424610**	**483727**	**544126**	**625527**	**624787**	**705082**	**746623**	**794382**
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**422945**	**476862**	**515361**	**560702**	**633671**	**721793**	**822123**	**1002768**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	132238	171152	196172	226694	290957	367636	455442	619850
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	290706	305711	319189	334008	342714	354157	366681	382918
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**549709**	**582352**	**628117**	**704954**	**804789**	**946182**	**1046549**	**1121046**
11.1	लोक प्रशासन	151922	146647	147436	184192	215654	253628	277186	312489
11.2	अन्य सेवाएँ	397787	435706	480682	520762	589136	692554	769363	808557
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	**1614275**	**1805233**	**1985402**	**2220207**	**2425566**	**2768359**	**3067239**	**3446348**
	कुल योग (अ+ब+स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)	**4206341**	**5006477**	**5411215**	**5766174**	**5926328**	**6446967**	**6879640**	**7453138**
	जनसंख्या (लाख में)	227	232	236	241	245	250	255	260
	प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)	18530	21580	22929	23926	24189	25788	26979	28666

तालिका –2.5

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से)
प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2006-07	13.19	51.80	15.44	25.28
2	2007-08	24.13	16.66	19.60	20.01
3	2008-09	10.43	28.90	22.88	20.83
4	2009-10	-0.07	-5.91	14.13	2.47
5	2010-11(P)	24.64	8.50	23.39	18.73
6	2011-12(Q)	16.09	18.02	20.20	18.25
7	2012-13(A)	13.87	11.49	18.20	14.82

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.6

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(2004–2005) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2006-07	6.96	40.82	11.38	18.60
2	2007-08	7.80	8.13	9.88	8.61
3	2008-09	-3.10	15.37	11.70	8.39
4	2009-10	6.15	-4.28	9.53	3.42
5	2010-11(P)	15.57	0.69	13.76	9.75
6	2011-12(Q)	3.87	9.09	10.72	8.14
7	2012-13 (A)	6.79	5.93	12.06	8.57

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.7

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से)
प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2006-07	12.39	61.56	15.81	26.00
2	2007-08	24.80	16.74	19.98	20.53
3	2008-09	8.49	27.10	23.24	19.41
4	2009-10	-0.05	-9.95	13.87	1.68
5	2010-11(P)	27.38	4.24	24.06	19.26
6	2011-12(Q)	15.50	19.63	20.63	18.70
7	2012-13 (A)	13.83	10.44	18.47	14.93

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.8

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(2004–2005) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2006-07	6.05	48.29	11.83	19.02
2	2007-08	6.98	7.05	9.98	8.08
3	2008-09	-5.22	12.37	11.83	6.56
4	2009-10	7.22	-8.55	9.25	2.78
5	2010-11(P)	15.55	-5.44	14.13	8.79
6	2011-12(Q)	1.88	5.79	10.80	6.71
7	2012-13 (A)	5.00	5.22	12.36	8.34

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान (A) = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.1

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3829.0	3843.8	3854.3	3905.3	3902.9	3928.8	3837.7	3937.8	3939.9
1.2	गेहूँ	106.1	99.2	97.1	93.2	95.0	94.8	109.1	103.7	104.8
1.3	ज्वार	9.1	8.4	8.5	6.0	7.7	5.3	5.6	5.7	5.3
1.4	मक्का	98.6	97.9	101.6	100.1	100.1	99.3	101.7	104.9	107.4
1.5	कोदो–कुटकी	205.4	194.2	177.7	161.1	151.9	145.5	137.1	127.9	121.6
1.6	जौ	4.4	4.0	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	2.3	2.9
1.7	छोटे अनाज	56.4	56.8	50.4	49.1	64.6	54.3	44.30	39.2	37.7
2.0	**दालें**									
2.1	चना	204.7	233.3	242.7	231.4	243.5	237.5	263.9	250.5	260.2
2.2	तुअर	52.3	52.5	50.7	53.8	50.4	49.2	52.9	54.5	52.9
2.3	उड़द	121.3	119.5	117.6	114.5	114.9	110.8	107.2	107.1	102.0
2.4	मूग–मोठ	18.1	16.4	17.1	16.6	16.2	16.2	16.5	16.3	15.4
2.5	कुल्थी	56.7	55.4	53.9	52.8	53.0	51.6	51.1	50.9	48.7
2.6	लाख (तिवड़ा)	460.9	449.4	458.1	425.4	428.6	387.6	327.5	359.2	347.6
3.0	**गन्ना**	11.2	12.3	14.5	19.2	19.3	16.0	14.7	15.4	17.5
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	36.3	34.1	32.8	33.1	31.7	30.5	30.6	29.6	28.7
4.2	रामतिल	74.4	73.1	72.8	72.8	71.9	70.9	68.1	69.4	66.5
4.3	तिल	25.1	24.3	24.6	21.3	21.2	20.0	19.6	20.5	19.7
4.4	सोयाबीन	20.8	32.3	46.8	64.5	72.9	81.8	83.7	95.8	103.2
4.5	अलसी	75.0	71.1	70.8	64.6	55.9	47.6	44.8	37.0	35.3
4.6	राई सरसों	55.3	54.5	57.2	54.5	51.4	52.0	52.3	50.2	49.2

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.2
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2003-04	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	5567.6	4586.8	5267.5	5441.5	5635.0	6021.8	6520.9	9956.6	9451.2
1.2	गेहूँ	108.6	85.2	85.2	94.0	104.6	97.4	118.92	121.7	135.1
1.3	ज्वार	7.6	4.9	5.8	5.2	7.2	6.3	6.8	8.2	4.1
1.4	मक्का	135.0	140.0	109.6	123.5	157.1	139.9	145.36	190.5	177.9
1.5	कोदो–कुटकी	50.9	38.6	29.3	30.0	39.2	24.9	22.83	26.0	22.5
1.6	जौ	4.3	3.5	3.0	2.8	4.0	2.8	2.3	1.2	2.2
1.7	छोटे अनाज	16.8	12.5	13.1	6.9	16.8	9.5	9.3	8.9	10.5
2.0	**दालें**									
2.1	चना	197.3	119.7	172.2	193.5	212.4	190.3	230.18	239.6	260.7
2.2	तुअर	31.5	26.9	22.5	22.9	26.3	28.4	27.61	23.9	23.7
2.3	उड़द	35.1	32.6	33.9	34.5	35.1	32.4	29.20	30.6	30.0
2.4	मूँगमोठ	4.8	3.9	4.3	4.3	4.2	4.0	3.94	4.2	3.9
2.5	कुल्थी	18.4	16.4	17.6	16.6	16.9	16.1	14.13	14.6	14.4
2.6	लाख (तिवड़ा)	278.8	175.3	208.3	225.2	553.0	211.0	193.19	223.6	206.9
3.0	**गन्ना**	13.3	16.5	19.0	20.3	27.3	22.0	35.35	18.4	45.4
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	40.2	38.1	35.5	37.7	40.0	37.7	45.06	35.9	37.9
4.2	रामतिल	13.1	12.1	12.3	12.8	12.8	12.6	10.90	12.0	11.4
4.3	तिल	7.1	7.3	7.3	6.4	6.7	6.1	8.64	6.9	7.6
4.4	सोयाबीन	18.4	31.0	41.9	64.2	83.6	79.9	77.83	112.4	84.6
4.5	अलसी	23.1	16.3	17.5	16.2	17.1	13.0	13.00	9.8	13.6
4.6	राई सरसों	22.8	20.6	18.2	21.8	20.6	19.7	21.68	20.8	21.9

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.3

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	1402	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	1367	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	1425	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	1451	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1198	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1179	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	1686	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	1599	1289	774	1656	1002	448	820	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका – 3.4

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002–2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003–2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004–2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005–2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006–2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007–2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008–2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009–2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010–2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011–2012	873089	53669	19686	468084	1414528

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका – 4.1
प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल/किस्म	विपणन वर्ष				
	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	5	6	7	8	9
धान–सामान्य	850+50	950+100	1000+50	1080	1250
धान– ग्रेड–ए	880+50	980+100	1030+50	1110	1280
ज्वार, बाजरा आदि	860	840	-	980	-
मक्का	840	840	880	980	1175
गेंहूँ	1000	1150	1100	-	-
चना	-	-	-	-	-
मूंगफली	-	-	-	2700	-
तुअर	-	-	-	3200	-
उड़द	-	-	-	3300	-
मूंग	-	-	-	3500	-
सूर्यमुखी	-	-	-	2800	-
राई एवं सरसों	-	-	-	1050	-
सोयाबीन काली/पीली	-	-	-	1650	-
	-	-	-	1690	

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।

खरीफ फसलें– धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।

विपणन वर्ष– गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका – 5.1

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा

उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन, मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा उत्पादन एवं मूल्य							
	इन्गाट्स		प्रापजी राडस		रोल्ड उत्पादन		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2000-2001	7361	5806	36621	30337	36267	34398	80249	70541
2001-2002	20805	17382	23433	21443	25305	28843	69543	67668
2002-03	20490	12922	47490	29947	27510	18272	95490	61141
2003-04	13149	11834	48243	44865	35696	35696	97088	92395
2004-05	6342	5707	34551	32132	31803	31803	72696	69642
2005-06	46462	47251	63302	645255	50391	58456	160155	750962
2006-07	184482	249832	72948	112263	57572	93366	315002	455461
2007-08	195785	234496	101183	135962	61693	92397	358661	462855
2008-09	172342	195528	127041	158150	57398	79991	356781	433669
2009-10	54173	52307	148280	159901	65972	82040	268425	294248
2010-11	27927	31418	160665	202207	66706	87963	255298	321588
2011-12	8671	9208	167826	228309	69157	97046	245654	334563
2012-13*	2785	3659	90343	131155	29736	47066	122864	181880

स्त्रोत –भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ ।

* up to Sep. 2012

तालिका – 5.2

महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मेट्रिक टन में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	50,226	557	20016	695	13954	12979
2001-02	53,677	556	18660	855	13149	13887
2002-03	56758	611	19781	918	13626	10630
2003-04	61505	888	23361	1005	13833	13342
2004-05	69253	1111	23118	1043	14855	23503
2005-06	76358	1332	26084	1109	15088	98734
2006-07	83241	1593	28731	1120	14972	100835
2007-08	90172	1794	30997	1295	14172	63218
2008-09	101913	1674	29997	1318	15789	59778
2009-10	109953	1687	26211	1287	15160	59015
2010-11	113824	2110	29146	1388	19096	61355
2011-12*	113929	2390	31788	1525	20228	48766

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका – 5.3
महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू. में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	300026	2529	49042	1816	18495	10
2001-02	286880	1445	63231	2320	17022	11
2002-03	355239	2188	69834	2351	15145	9
2003-04	334587	2774	84162	2430	15492	13
2004-05	417436	2900	131138	2329	17090	35
2005-06	489378	3861	237338	2524	19316	148
2006-07	532010	5487	326767	2617	21402	184
2007-08	581204	7083	468950	2944	19394	146
2008-09	678736	5574	590643	3612	22082	213
2009-10	503083	6079	442272	3356	22319	229
2010-11	582562	7653	626758	3013	28901	271
2011-12*	583316	10575	917402	3006	29735	216

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ
*** अनंतिम**

तालिका – 5.4

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	597	454	245	261	133	77
2001-02	534	260	339	271	129	79
2002-03	525	358	353	256	111	85
2003-04	544	312	360	242	112	97
2004-05	603	261	567	223	115	149
2005-06	641	290	910	228	128	150
2006-07	639	345	1137	234	143	182
2007-08	645	395	1513	227	137	231
2008-09	666	333	1969	274	140	356
2009-10	458	360	1687	261	147	388
2010-11	512	363	2150	217	151	442
2011-12*	512	442	2886	197	147	443

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका – 6.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राज्यमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई (लो.नि.वि.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
1	2	3	4	5	7	6
2000-2001	1,827	2,197	3,532	27,526	35,082	0.00
2001-2002	1,827	3,611	2,118	27,526	35,082	0.00
2002-2003	1,827	3,611	2,118	28,768	36,324	683.47
2003-2004	2225	3213	2118	28768	36324	1071.77
2004-2005	2225	3213	4814	24678	34930	921.87
2005-2006	2225	3213	4817	24756	35728	2004.98
2006-2007	2228	3213	4818	25811	36066	3031.86
2007-2008	2228	3213	4818	25122	35381	2676.38
2008-2009	2228	3213	4818	25133	35392	2427.09
2009-2010	2228	3213	4814	25133	35407	4020.44
2010-2011	2226	5240	10539.80	15442.95	33448.75	1570.72
2011-2012	2226	5240	10539	13798	31803	1053.65

स्त्रोत – मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

तालिका – 6.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1999	29	7	10	32	585	50	713
2000	31	7	12	35	643	53	781
2001	34	8	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1719	97	1375
2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2007	78	16	27	85	1396	126	1728
2008	90	18	31	97	1553	139	1928
2009	104	20	36	107	1745	155	2167
2010	121.6	22.5	38.5	116.8	1964.71	171.36	2435
2011	146.92	26.29	42.33	127.61	2232.93	189.95	2766.03
2012	170.28	31.12	45.78	141.05	2493.27	218.23	3099.73

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका– 7.1

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन
नियोजन क्षेत्र

(31 मार्च की स्थिति)

गणना वर्ष	शासकीय विभाग (नियमित)	नगरीय स्थानीय निकाय	ग्रामीण स्थानीय निकाय	विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं विशेष क्षेत्र	विश्व विद्यालय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1999	177988	14102	23535	468	1300	217393
2000	177890	13107	23864	396	1288	216545
2001	182352	12913	24181	399	2092	221937
2002	174273	12871	25795	395	2323	215657
2003	174423	14514	31083	184	2228	222432
2004	175124	15472	35122	14	2536	228268
2005	174453	12552	38500	426	2296	228227
2006	175347	13358	47380	557	2439	239080
2007	178165	13779	59400	363	2940	254647
2008	189434	14983	126090	686	2940	334133

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय छत्तीसगढ़

तालिका– 8.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	2	3	4	5	6	7	8
बैक संख्या	06	06	06	06	06	06	6
शाखाएँ	198	198	198	198	198	198	215
सदस्य (हजार)	55.5	18440	20083	20010	43590	44741	56387
अंश पूँजी							
(1) कुल	5993.42	9968.17	8290.37	8492.46	14458.20	15784.63	19014.31
(2) शासकीय	467.29	3333.13	799.14	768.43	1059.11	1152.03	1311.7
अमानतें	149694.46	159766.10	186593.36	178687.47	262492.96	228648.34	340363.61
कार्यशील पूँजी	184035.17	209180.69	252957.21	240832.13	369911.59	376708.016	428038.61
ऋण वितरण							
(अ) कुल	57854.84	83330.61	79891.90	17148.56	185577.84	142035.87	192426.5
(ब) अल्पकालीन	52186.33	62249.42	71394.13	60975.30	118389.16	129425.24	181693.5
(स) मध्यकालीन	5185.69	2743.62	8497.77	9173.26	67188.68	12610.63	10733.00
ऋण बकाया							
(अ) कुल	17608.13	81189.96	87938.90	80670.15	104698.91	107714.83	128368.86
(ब) अल्पकालीन	44941.20	62325.84	64279.32	57209.12	57699.58	71696.22	92734.38
(स) मध्यकालीन	24387.52	17958.62	23964.54	23461.03	46999.33	36018.61	35634.48
कालातीत ऋण	31605.24	41939.18	53937.66	50543.71	41840.02	45961.70	59298.3
लाभ							
(अ) बैंक संख्या	06	05	05	04	04	05	152
(ब) राशि	1711.34	2827.01	3376.83	2824.72	6166.59	5141.65	8662
हानि							
(अ) बैंक संख्या	-	01	01	02	2	1	63
(ब) राशि	-	707.35	156.38	144.43	733.77	10.39	1204.81

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका– 8.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333	1333	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	1964	2099	2128	2109	1440	1415	1505
अनुसूचित जाति	–,,–	303	301	329	340	291	246.6	287
अनुसूचित जन जाति	–,,–	613	638	643	639	359	417.5	447
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	1126	1240	1249	1305	909	935.6	987
अनुसूचित जाति	–,,–	164	173	190	201	336	233.1	243
अनुसूचित जन जाति	–,,–	327	320	238	245	179	227.1	247
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	8671.06	26224.85	24492.11	24071.23	12919.16	13346.01	14347.03
कुल ऋण वितरण	–,,–	87082	50397.13	46334.79	45343.97	98680.41	97694.59	99696.60
(अ) अल्पकालीन	–,,–	33899	45114.91	32085.10	32701.09	93671.97	95718.24	97714.26
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	1615	5282.22	14528.72	12642.88	5008.44	1976.35	1982.34
कुल ऋण बकाया	–,,–	52745	53968.97	55058.34	31021.80	96624.38	89365.75	90265.74
(अ) अल्पकालीन	–,,–	29027	31237.37	30785.54	25231.20	79191.57	76135.00	78123.00
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	18431	22631.60	23999.35	5790.60	17432.81	13230.75	12142.74
कालातीत ऋण	–,,–	26883	24813.94	284206.05	263104.03	29223.53	25563.10	27562.10

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका– 8.3

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2011–12
1	2	3
1	**बैकों की संख्या**	12
2	**शाखाओं की संख्या**	61
3	**सदस्य (हजार)**	82203
4	**अंश पूँजी**	
	(1) कुल	1352
	(2) शासन	458.05
5	**अमानतें**	971.5
6	**कार्यशील पूँजी**	19209.25
7	**ऋण वितरण**	
	(अ) कुल	128.97
	(ब) अल्पकालीन	29.52
	(स) मध्यकालीन	------
	(द) दीर्घकालीन	99.45
8	**ऋण बकाया**	
	(अ) कुल	10184.89
	(ब) अल्पकालीन	35.42
	(स) मध्यकालीन	------
	(द) दीर्घकालीन	10221.51
9	**कालातीत ऋण**	4673.43
10	**लाभ**	
	(अ) बैंक संख्या	06
	(ब) राशि	239.4
11	**हानि**	
	(अ) बैंक संख्या	56
	(ब) राशि	1789.39

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका– 9.1

प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1998–1999	1046	5602	2070	36.95
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.10
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011 *	1705	59032	33022	55.94
2011–2012	1912	70742	40135	56.73
2012–2013 (सितं12)	1981	39825	39825	53.20

स्त्रोत – भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

* राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति छ.ग. 22, 34, 38, 40, 44 एवं 48 वीं बैठक प्रकाशन,

जन्म हो या मरण, आवश्यक है पंजीकरण

जन्म और मृत्यु का पंजीयन 21 दिनों के भीतर कराये एवं प्रमाण–पत्र निःशुल्क प्राप्त करें।

जन्म प्रमाण पत्र के लाभ

१. जन्म तारीख एवं जन्म स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज
२. स्कूल में प्रवेश के समय आवश्यक
३. राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक
४. पासपोर्ट बनवाने में आवश्यक
५. मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए

मृत्यु प्रमाण–पत्र

१. मृत्यु का कानूनी प्रमाण पत्र
२. मृत्यु तारीख एवं मृत्यु स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज
३. पैतृक सम्पत्ति/उत्तराधिकार के निराकरण हेतु
४. कोर्ट कचहरी के मामले में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में
५. बीमा सम्बधी मामलों में मुआवजा प्राप्ति,दावा करने हेतु

पंजीकरण कहां करायें ?

नगर निगम /नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत
ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्राम पंचायत

यह राज्य और देश के शिक्षा,स्वास्थ्य और विकास के नियोजन के लिए आवश्यक है।

हमेशा याद रखिये जन्म और मृत्यु-प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्रसारित